गैरसैंण, मंगलवार
12 मार्च 2024
वर्ष: 14
अंक: 307 पृष्ठ: 8
मूल्य: 2.00
RNI No.UTTHIN/2005/16338

जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार

www.dainikjayantnews.com
स्थापित 1979
संस्थापक : स्व. नरेन्द्र उनियाल
डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोन: 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

उत्तराखण्ड राज्य निर्माण अवधारणा, दिशा और दशा

"उत्तर प्रदेश से आठ पर्वतीय जिलों पौड़ी, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल को मिलाकर अलग राज्य निर्माण की मांग की गई थी, वजह थी विषम भौगोलिक परिस्थितियां, अलग सांस्कृतिक विरासत और राज्य द्वारा इन जिलों की अनेदखी करना।

इसके लिए आजादी के बाद ही समय-समय पर मांग उठती रही, राज्य निर्माण की मांग करने वालों ने जन जागरण के लिए अपनी-अपनी दलीलें दी और राज्य निर्माण के लिए आर्थिक एवं औचित्य पर पूछे गये सवालों के जवाब दिये, लेकिन इन आठ पर्वतीय जिलों के प्रवासी बड़े नेताओं ने पृथक उत्तराखण्ड निर्माण की मांग को इसलिए दबाकर रखा कि इससे उन्हें उत्तराखण्ड में शामिल होने पर कद घटने की चिंता थी।

पृथक राज्य की अवधारणा सटीक थी, इसलिए यह मांग शिथिल तो हुई, लेकिन मर नहीं पाई और 1994 में उत्तर प्रदेश के साथ-साथ लागू हुए ओबीसी आरक्षण के खिलाफ उत्तराखण्ड में खड़े हुए आंदोलन ने उत्तराखण्ड की मांग को इसलिए अंगीकार कर लिया कि उत्तराखण्ड की हर समस्या का एक ही हल है पृथक राज्य।

पृथक उत्तराखण्ड राज्य की जो अवधारणा थी उसमें राज्य की मजबूत आर्थिकी के लिए उनके जल, जंगल और जमीन मुकम्मल मानी गई थी। यह सत्य और निर्विवाद भी था। इसी को आधार मानते हुए केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद जल, जंगल और जमीन पर अधिक हक मांग लिया। जंगलों पर केन्द्र को हक दिया तो जमीन को सुरक्षित रखने के लिए कोई ठोस कानून नहीं बनाया गया। आज स्थिति यह है कि जल के उपयोग पर उत्तर प्रदेश और केन्द्र की परमिशन मांग.नी पड़ती है। जंगल के उपयोग के लिए भारत सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है। उत्तराखण्ड राज्य की सैकड़ों सड़क परियोजनाएं जंगलों के कारण ठप्प हो गई है या फिर केन्द्र की स्वीकृति का इंतजार कर रही है। कहा जा सकता है कि यदि उत्तराखण्ड का अपने जल,जंगल और जमीन पर अपना अधिकार होता तो आ यह प्रद.श पूर्वोत्तर राज्यों में ही नहीं पूरे देश में आर्थिक रूप से अग्रणी होता। जमीन को सुरक्षित रखने के लिए कोई ठोस कानूनी नहीं होने पर आज उत्तराखण्ड के खेत ही नहीं पहाड़ तक बिक रहे हैं, जिससे आने वाले समय में उत्तराखंडवासी औपनिवेश के शिकार हो जायेंगे।

इसका उदाहरण इस बात से लगाया जा सकता है कि उत्तराखण्ड में धार्मिक और सैर पर्यटन राज्य के हाथ में है तो वह आज राज्य की आर्थिकी का सबसे बड़ा साधन बन गया है, किन्तु यह बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि पर्यटन स्थलों तक अवस्थापना विकास की उम्मीद को जंगल बट्टा लगा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मसूरी, नैनीताल, लैंसडौन के लिए सड़के और पार्किंग राज्य बनने से पूर्व की ही स्थिति में है।

उत्तराखण्ड राज्य की मांग की अवधारणा साफ थी, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित कौशिक समिति और उससे पूर्व विभिन्न विश्लेषकों चिंतकों व संगठनों द्वारा सुझाए गये सुझावों को यदि आज भी लागू किया जाय तो संदेह करने की कोई वजह नहीं है कि उत्तराखंड राज्य एक आर्थिक मजबूती वाला सांस्कृतिक और पर्यटन का अग्रणी राज्य बन सकता है।

राज्य निर्माण की अवधारणा और उसकी दशा और दिशा पर जहां हमने एक लेखन प्रतियोगिता आयोजित कर आम आदमी की भावनाओं को प्राप्त किया है वहीं राज्य के नीति नियन्ताओं में सुमार कुछ सियासतदारों और अधिकारियों से सीधे साक्षातकार किया है। यह सब आपके सामने विचार के लिये प्रस्तुत है। इसी के साथ राज्य निर्माण के लिये हमने 1994 में पृथक पर्वतीय राज्य निर्माण के औचित्य और अवधारणा हेतु गठित उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित मंत्रिमण्डलीय समिति की सिफारिशें व समिति को दिये गये महत्वपूर्ण सुझाव भी यहां प्रस्तुत किये जा रहे हैं।"

राज्य निर्माण की अवधारणा की सोच के चारों तरफ देखते हैं तो निराशा होती है:हरीश रावत

''उत्तराखंड: दशा और दिशा डिजिटल डायरी के अगले कार्यक्रम में हम मिल रहे हैं संसद में एक डिवेटर के रूप में ख्यातिप्राप्त, पूर्व केन्द्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत जी से राज्य की दशा और दिशा पर हमारे सम्पादक नागेन्द्र उनियाल ने बात की।''

राज्य की अवधारणा पर बोलते हुए हरीश रावत ने कहा कि यह बहुत जटिल प्रश्न है! एक सामान्य राज्य के जो फंडामेंटल्स होते हैं, बुनियादी तत्व होते हैं उस हिसाब से हमने बहुत तरक्की की, बल्कि मैं यह कह सकता हूं कि अपने सहोदर झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य है जो एग्रीकल्चर रिच भी है, उनसे ज्यादा फास्ट तरक्की की है और हमारी संस्थाएं भी चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे डेमोक्रेसी हो उसमें हमने बुनियादी और आधुनिकीकरण की दिशा में भी कदम उठाये हैं। लेकिन आपने जो राज्य निर्माण की अवधारणा शब्द कहा है, इस शब्द की सोच से हमने एक राज्य की मांग की तो जब हम उस सोच के चारों तरफ देखते हैं तो हमको निराशा होती है। और बल्कि मैं कभी लोगों से कहता था 2016 में जब लोगों ने मुझसे कहा की कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा देखो यदि लोग चाहेंगे जिस अवधारणा पर राज्य बना, लोगों को उसके लिए 14 साल इंतजार करना पड़ा। हमने सत्ता संभालते ही उस अवधारणा के चारों तरफ नीतिगत निर्णय लेने शुरू किये। बहुत सारी योजनाएं छोटी छोटी प्रारंभ की ताकि वह अवधारणा पूरी हो सके उसे आगे बढ़ाया जा सके। ऐसी अवधारणा कोई एक दिन मे पूरी होने वाली नहीं होती है यह वर्षों का अवसर का परिणाम होती है। जो कमियां होती हैं उनको दूर करने में भी वर्षों लगते हैं।

भू-कानून

भू कानून पर बोलते हुए श्री रावत ने कहा कि कितने शर्म की बात है कि आज 23 साल बाद हमारी नई पीढ़ी को अपनी जमीन बचाने के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है।

भूमि प्रबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था उत्तराखंड सरकार की पहली निर्वाचित सरकार ने की थी वही बनी रहनी चाहिए उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाना चाहिए था। यदि कोई बाहर का व्यक्ति यहां आने के लिए भूमि खरीदता है तो उसका स्वागत होना चाहिए लेकिन आज अगर उत्तराखंड में रोजगार के लिए तय की गई होम स्टे योजना में भी बाहर का व्यक्ति काम कर रहा है तो उत्तराखंड की ऐसी राजनीति और उसके चिंतकों के लिए आश्चर्य की बात है। उन्होंने कहा कि आज 23 साल बाद में हम अपने लोगों को होम स्टे जैसी योजनाओं के लिए भी तैयार नहीं कर पाए हैं जिससे लगता है कि होमस्टे योजना जैसी योजना में भी भी बटमारी हो रही है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में 2015 में गुंजी में होमस्टे योजना शुरू की थी, वह बहुत सुंदर चल रही है और वहां पर मोदी जी को भी आदि कैलाश के दर्शन करने का मौका मिला है।

उन्होंने भू प्रबंधन के लिए तीन बातें जरूरी बताई। जिसमें बंदोबस्त उसके बाद चकबंदी एवं उनके उपयोग की दिशाएं तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में चकबंदी का कुछ कानून तो बनाया है लेकिन वह बंदोबस्त नहीं कर पाया जिसका मुझे अफसोस है।

उत्तराखंड में नॉर्थ ईस्ट की तरह भू प्रबंधन के लिए धारा 371 लागू करने की बात पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन सामान्य कानून से भी यहां काम चल सकता है। उन्होंने कहा कि मैने अपने कार्यकाल में एक आदेश किया था की कोई भी भूमि गलत तरीके से नहीं बिकनी चाहिए और ना ही उसका गलत उपयोग बदलना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो वहां के जिलाधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे इसलिए मेरे कार्यकाल में कोई भी इस तरह का काम नहीं हुआ।

पलायन

पलायन पर बोलते हुए श्री रावत ने कहा कि हमें अपने पारंपरिक अन्न को उगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिसके तहत मैंने अपने कार्यकाल में मंडुवा झंगोरा जैसे अनाजों पर बोनस दिया। जिससे आज मंडुवा आसमान पर है और उसी दौरान मंडुवा की खेती 14% बढ़ी। लेकिन आज यह योजना ठप हो गई है इसी तरह मैंने दूध पर 4 प्रति रूपये प्रति किलो बोनस दिया जो आज भी जारी है। इसलिए हमें अपने क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होगा उसके लिए हमें यहां उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए योजनाएं चलायी जानी चाहिए मैंने अपने कार्यकाल में पर्वतीय क्षेत्रों में बकरी पालन की योजना बनाई थी और कहा था कि बकरी के दूध से चीज और उसके जैविक मांस को निर्यात कर आर्थिक की बढ़ाई जा सकती है। उत्तराखंड में जैविक मांस और दूध होने की वजह से विदेश में इसकी मांग बढ़ेगी और इसकी गुणवत्ता इतनी अधिक उत्तम होगी कि अमेरिका के ट्रंप भी उत्तराखंड की जैविक चीज के मुरीद हो जाएंगे।

हमने अपनी सांस्कृतिक दशा को बचाने के लिए अपने कार्यकाल में सांस्कृतिक मेले आयोजित किये। यही नहीं यहां की एपण कला को बढ़ावा देने का भी काम किया जो आज भी जारी है।

नई जिलों की बात

उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद नए जिलों के सृजन पर बोलते हुए श्री रावत ने कहा कि हमने 15-16 में 9 जिलों के गठन के लिए 100 करोड़ का बजट का प्रावधान किया था। हमारी सरकार तब अस्थिर हो गई थी, जिससे हम नई जिल्ले नहीं बना पाए। हमने गैरसैंणें को भी जिला बनाने की बात की थी लेकिन तब एक विधायक जी ने नाराजगी व्यक्त की तो हमें रोकना पड़ा। इसी तरह हमने तीन कमिश्नरी बनाने की बात की थी यह सब बजट में शामिल है लेकिन हमारी सरकार उस समय अस्थिर रही और उसके बाद नहीं आई। लेकिन आज कोई भी इस प्रश्न पर मुखातिक नहीं दिखाई दे रहा है।उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जलसंरक्षण के क्षेत्र में काम होना चाहिए। हमने जल बोनस की बात की थी की जो जितना जल संरक्षित करेगा उसे बोनस दिया जाएगा लेकिन यह योजना आगे नहीं बढ़ी है आज कोई भी देश परमाणु शक्ति के रूप में शक्तिशाली माना जाता है लेकिन आने वाले भविष्य में जिस देश के पास ज्यादा जल होगा वह शक्तिशाली होगा। इस जल का उपयोग किया जाना चाहिए। हमने पन बिजली बनाने वालों पर टैक्स लगाने की बात की थी लेकिन वर्तमान सरकार उनसे वह टैक्स नहीं ले पा रही है। यह हमारी आर्थिकी का बहुत बड़ा जरिया बन सकता है।

उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश की युवाओं के साथ में बहुत बुरा हो रहा है, वह दिशाहीन है उनको सही दिशा में जाने के लिए मेरे मेरी कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मैं इस उम्र में भी उनके लिए सड़क पर उतरना चाहता हूं।

सरकार भूमि बंदोबस्त पर कर रही है काम, फिर सभी समस्याओं का होगा हल: कोश्यारी

''उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, संसद के दोनों सदनों के सदस्य और महाराष्ट्र व गोवा के राज्यपाल रह चुके भगत सिंह कोश्यारी से उत्तराखंड की दिशा और दशा पर हमारे सम्पादक नागेन्द्र उनियाल ने बात की।''

उन्होंने कहा कि देखिए विकास प्रतिशत के हिसाब से नहीं देखा जाता है, देखा ये जाता है की धरती पर क्या-क्या चीज उतरी है, कल्पना क्या थी, भावना क्या थी और उस भावना के अनुकूल इस समय क्या-क्या चीज हो चुकी है और क्या-क्या चीज रह गयी हैं।

आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि पहले लोग कहते थे कि डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो डॉक्टर नहीं हैं, स्कूल नहीं है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो कुर्सी नहीं है। आज स्थिति यह है कि आप अगर दूरस्त के अस्पताल में भी जाओगे आज की डेट पर मैं आपको कह सकता हूं हर सरकारी अस्पताल में वहां डॉक्टर है। हर स्कूल में मास्टर है। हम जिस आकांक्षा से चले थे कि जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वह पूरी को रही हैं। सड़क के लिए भी पहले उत्तर प्रदेश के जमाने में एक एम.एल.ए. को तो 2 किलोमीटर के लिए 1 साल तक मुख्यमंत्री के चक्कर लगाने पड़ते थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई व वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से मुझे लगता है कि लगभग सभी गांव सड़क से जुड चुके हैं। कुछ गांव जहां पर चार घर पांच और घर ऊंचाई में है अगर ऐसे गांव को आप छोड़ दीजिए तो आप सब जगह देखेंगे सड़क और वह भी पक्की सड़क चली गई है। और जहां अगर नहीं भी गई है तो पाइपलाइन में है और काम चल रहा है। इस प्रकार अगर आप इस भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो मुझे लगता है की एक प्रकार विकास हुआ है। शासन आते हैं जाते हैं लेकिन अटल जी ने ऐसी योजनाएं शुरू की मोदी जी ने तो पिछले 10 सालों में इस प्रकार की योजना शुरू कर दी है कि मुझे लगता है कि विकास की यात्रा काफी आगे हम बढ़ चुकी हैं। हमारा उत्तराखंड अपनी संस्कृति के लिए देवभूमि कहलाता है तो आप कल्पना कीजिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री स्वयं अपने केदारनाथ में जाकर प्रधानमंत्री के रूप में रात एक गुफा में बिताता हो और चार धाम के लिए स्पेशल सीनियर सेक्रेटरी रिटायर उसको भेजता हो। विकास को पूरी तरह से देखो तो आज चार-चार धाम में कितना विकास हुआ है कितनी बढ़िया सड़क बन गई है और वह एक तरफा नहीं देखते अब उन्होंने कहा कि इधर विकास हुआ है तो फिर मुझे पूरा मान सरोवर का भी विकास करना है। आदि कैलाश में जाकर और वहां पूजन अर्चन करते हैं और आज वहां करोड़ों करोड़ों लोगों ने यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से उसको देखा है कि ये कहां है उसके बारे में जानकारी मांगी है। तो एक प्रकार से मुझे लगता है कि यह प्रदेश जिस परिपेक्ष में देवभूमि होना चाहिए था भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विकास की ओर आगे है। सौभाग्य है कि केंद्र में मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं और आपके यहां उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।

राज्य निर्माण की अवधारणा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहली बात बताऊं की अभी आपने गांव की ओर नहीं देखा। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के काम को देखिये। यहां के बहुत बार यहां मेले लगते हैं अगर आप उनको देखते तो आपको पता लगता की कितने लोग उत्पादन कर रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री ने मन की बात में इंटीरियर पिंडारी के आखिरी गांव से थोड़ा ही पहले वहां की महिलाओं ने मंडुवा के बिस्किट बनाए या जो काम शुरू किया उसका वर्णन किया। उत्तराखण्ड में क्या-क्या है, यह आपको और यहां के लोगों को हमको पता नहीं होगा लेकिन प्रधानमंत्री को पता है। उनको यह भी पता है की जागर भी कोई चीज होती है। पहले बड़े लोगों को ही या राजनीतिक नेताओं को ही पद्मश्री और पद्म भूषण मिलते थे तो उन्होंने 2015 में ही बसन्ती बिष्ट जैसी को ढूंढ़ करके पद्मश्री दिलाई, तो इसका अर्थ क्या है।

सरकार भूमि बंदोबस्त पर कर रही है काम.....

2 का शेष भाग,

आपको मैं बताऊं कि धारचूला से आगे जो घोस्ट विलेज है, प्रधानमंत्री आज उनको वाइब्रेंट विलेज बना रहे हैं। और सारे हमारे बड़े-बड़े अधिकारी जनजाति के उन लोगों ने अपने मकान को सुधार कर कर चाहे गुंजी हो चाहे और कोई गांव हो उन सब गांव में उन्होंने अपने मकान को सुधार कर रहे हैं। उनको होम स्टे के रूप में डेवलप कर रहे हैं और इसी प्रकार से अनेको लोग बाहर से यहां आए हैं। अनेकों लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने कि यहां इतना सुंदर होमस्टे बनायें हैं। देखिए यहां से लाल टिब्बा चले जाइए आप यहीं पर पंतवाड़ी मैं आज से 2009 में लाल टिब्बा गया था वहां के युवा सुभाष रंगोला ने मुझे बुलाया था 9000 फीट पर इतना सुंदर और देखने का ठीक है। मैंने कहा इसको टूरिज्म में डेवलप करो आज वहां होमस्टेट इतना बढ़िया चल रहा है। तो लोग आज उसे दिशा में काम कर रहे हैं।

मूल निवास भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि देखिए केवल जिनके पास कोई काम नहीं रह गया है, जो कभी बाहर जाना चाहते नहीं, जो अपने घरों में रहना चाहते नहीं, वह लोग इस मामले को उठा रहे हैं।

भू कानून के बारे में कहा कि जो प्रधानमंत्री आदि कैलाश के महत्व को समझ सकता है क्या उनको पता नहीं है कि हमारे यहां की भूमि के बारे में क्या होना चाहिए हमारा मुख्यमंत्री जो रात दिन इतना घूम रहा है क्या उनको इतना पता नहीं है अपनी भूमि के बारे में क्या करना है। श्री कोश्यारी ने कहा कि 1960 के बाद बंदोबस्त ही नहीं हुआ सेटलमेंट नहीं हुआ। हमने भी कहा है और कमेटी ने भी जो धामी जी से कहा है पहले लैंड सेटेलमेंट करो और इसमें मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सरकार इसमें नियम लाएगी जब बंदोबस्त हो जाएगा फिर आप समझेंगे सब चीजों का हल एक साथ ही निकल जाएगा।

भाई सेटलमेंट तो पहले होगा कब से हुई नहीं। यहां पर क ख ग जाने कम से कम 20 प्रकार की जमीन है ठीक है। एक प्रकार से हम उसमें चकबन्दी कैसे करें। इस पर सरकार विचार कर रही है और कार्यवाही चल रही है। उत्तरखण्ड की अवधारणा को साकार करने पर किसी सरकार ने या आपकी सरकार से कोई गलती रह गई या कोई काम रह गया जो होना चाहिए था के सवाल पर बोलते हुए श्री कोश्यारी ने कहा कि ऐसा है कि मेरा काम गलती निकालना नहीं है। गलती तो कोई भी निकाल लेता है, मेरा काम पॉजिटिव काम को देखना है। मेरा काम यह देखना है कैसे सब मिलकर के उत्तराखंड को हमारे शहीदों के सपनों के उत्तराखंड को साकार करें। उससे भी बढ़कर आज जो हमारे प्रधानमंत्री कहते है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा वह कल्पना हमने भी तब नहीं की थी जब आंदोलन करते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी उस कल्पना को साकार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसमें मुझे लगता है कि अगला दशक उत्तराखंड का ही होगा।

जय हिन्द....

उत्तराखंड में भू प्रबंधन का काम शुरू के दिनों से ही शुरू हो जाना चाहिए था:टीपीएस. रावत

''उत्तराखंड में ईमानदार छवि के राजनीतिज्ञ एवं सेना में रहे वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल टी.पी.एस. रावत से राज्य की दशा और दिशा पर हमारे सम्पादक नागेन्द्र उनियाल ने बात

उन्होंने उत्तराखंड की दिशा और दिशा पर बोलते हुए कहा कि हमने उत्तराखंड राज्य का निर्माण उत्तराखंड के लोगों के हित के लिए, उनके विकास के लिए रोजगार के लिए किया था किंतु दुख की बात है कि यह सब नेपथ्य में चला गया। उन्होंने कहा कि राज्य बनने के बाद पहली निर्वाचित सरकार में मुख्यमंत्री एन.डी. तिवारी ने उत्तराखंड में भू-प्रबंधन की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया इसका कारण था कि जो मैदानी मूल के मंत्री और विधायक थे वह चाहते थे कि पर्वतीय क्षेत्र में सबका आना-जाना बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भू-प्रबंधन का काम शुरू के दिनों से ही शुरू हो जाना चाहिए था लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ और ऐसा लगता है कि उत्तराखंड का जो मूल निवासी है वह एक दो पुस्तों के बाद यहां से पलायन कर जाएगा। क्योंकि जैसे नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया और वहां के लोग आज मणिपुर में ही अल्पसंख्यक बन गये हैं। इस तरह उत्तराखंड में भी बाहरी लोगों का कब्जा हो जाएगा क्योंकि वर्तमान में उत्तराखंड में उद्योग से लेकर नौकरी, अन्य व्यवसाय एवं योजनाओं पर भारी लोगों का कब्जा हो चुका है । आज उत्तराखंड में हम लोग पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का ध्यान नहीं रख पाए। उनको स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा शिक्षा नहीं दे पाए और नहीं हम उनके लिए पहाड़ में रोजगार के साधन उपलब्ध करा पाए। जिस कारण उत्तराखंड का युवा पलायन कर रहा है और आज स्थिति यह हो गई है गांव के गांव खाली हो रहे हैं और बाहर के लोग पूरे पहाड़ को खरीद रहे हैं और यहां तक की उन्होंने कई गांव के गांव भी खरीद लिए हैं, जहां आप मूल निवासियों का कोई अधिकार नहीं रह गया है। लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस हो या बीजेपी सबका एक ही ध्येय है सत्ता में आना और जब सत्ता में आने के लिए लाखों करोड़ों पर खर्च करने पड़ते हैं तो निश्चित रूप से यहां पर भ्रष्टाचार बहुत उंचे लेवल पर पहुंच गया है। जब हम भ्रष्टाचार करेंगे और केवल सत्ता पाने का ध्येय होगा तो तो हम जनता के हितों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उत्तराखंड में चुनाव बहुत महंगे हो गए हैं इसलिए कोई भी नेता जनता की बात ना कर पैसे की बात करता है उत्तराखंड में मूल निवास के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मूल निवास की कट ऑफ ही गलत है। मूल निवास की जब अनिवार्यता नहीं रह गई है तो अस्थाई निवास का प्रमाण पत्र लेने वाले आज 2005 तक भी आधिकारिक हो गए हैं जिससे लगता है कि बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में स्थाई निवास लेकर सभी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ उठा लेगा।उत्तराखंड में उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी के हावी होने पर टीपीएस रावत ने कहा कि दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में शुरू में जो मंत्री और विधायक बने और जो आज है उनमे अधिकांश कम पढ़े-लिखे और कम पोर्टेशियल के लोग रहे हैं जिससे उन्होंने चुनाव जीतना ही एक ध्येय बना लिया और उसी के लिए काम किया। जब चुनाव की राजनीति और उसे जीतने के लिए आवश्यक पैसे की हवस हो तो ब्यूरोक्रेसी का हावी होना लाजमी है। लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत ने कहा कि आज भी हमें उत्तराखंड के हित में काम करना चाहिए इसके लिए ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने उत्तराखंड के अंदर पर्यटन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की साथ ही अभी हाल में प्रदेश सरकार द्वारा यू.सी.सी. बिल जाने पर खुशी जाहिर की और कहा कि विकास के लिए यह बहुत जरूरी है। राजनीति से संन्यास लेने के बारे में उन्होंने कहा कि आज राजनीति बहुत निम्न दर्जे की हो गई है चुनाव लड़ने के लिए धन कमाना और अपने अपनों को फायदा पहुंचाना ही राजनीति का मकसद रह गया है जिसके लिए मैं अपने आप को उचित नहीं समझता हूं।

सरकार राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिये प्रतिवद्धः महाराज

''देश विदेश में अध्यात्मिक दार्शनिक के रूप में प्रख्यात राजनेता पूर्व केन्द्रीय मंत्री वर्तमान उत्तराखण्ड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जो एक अध्यात्मिक और उत्तराखंड के बहुत सीनियर लीडर हैं और उनमें उत्तराखंड आंदोलन को लेकर जन्म से पहले भी और उसके बाद उसके लिये जुनून था और उसका समर्थन भी करते रहे हैं। सतपाल महाराज जी से राज्य की दशा और दिशा पर हमारे सम्पादक नागेन्द्र उनियाल ने बात की।''

श्री महाराज ने कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य था और हमारे सीमांत के जो जिले थे, वह यह माना जाता था कि अगर किसी भी अधिकारी को पनिशमेंट देनी है और काला पानी भेजना है तो उसे उत्तराखण्ड के पहाड़ में भेज देते थे। जो उसके लिये लखनऊ से बहुत दूर हो जाता था। हम चाहते थे कि पहाड़ी राज्य के विकास के लिए यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, यहां के जिलों के विकास के लिए, यहां के ब्लॉकों के विकास के लिए एक छोटा सा राज्य हमें मिले। लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और सबके संघर्ष, सभी के प्रयासों के बाद हमें उत्तराखंड राज्य मिला और मिलने के बाद आपने देखा होगा कि किस प्रकार हमारी सरकार ने राज्य की अवधारणा का साकार करने के लिये काम किया है। हमारे जो सीमांत गांव है, जिनको हम आखिरी गांव कहते थे आज नरेंद्र मोदी जी ने उनको प्रथम गांव कहा है। वास्तव में वह भारत के प्रथम गांव है, तो उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया गया है उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। निश्चित रूप में आपने देखा होगा कि यहां पर्यटन के क्षेत्र में अपेक्षित विकास हो रहा है। चारधाम के साथ-साथ हमने यहां पर अनेक सर्किट्स बनाए हैं जिसमें सार्क सर्किट, महासू सर्किट, गुरूद्वारा सर्किट, गोल्ज्यू सर्किट जोड़े हैं। सरकार का आकर्षण भी बहुत से मुद्दों पर आता है और जो भी मुद्दे यहां खड़े हुए हैं उनका समाधान सरकारों ने किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको ध्यान में लेकर निराकरण किया है। जिससे लगता है कि वर्तमान में संवेदनशील सरकार है। श्री महाराज ने कहा कि आपको धयान होगा कि जब मैं रेल मंत्री था तो ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का सर्वे कराया था जो आज साकार हो रहा है और अब हम यह चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे उत्तराखंड में बने जिससे कि विदेशों से आने वाले यात्री यहां की चारधाम यात्रा हो या फिर ऋषिकेश और हरिद्वार की गंगा आरती हो में समागम कर सके। पर्वतीय राज्य की अवधारणा पर बोलते हुए महाराज ने कहा कि पहाड़ी राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिये उसकी राजधानी को पर्वत में बनाने का काम भी पूरा हुआ है। राज्य के जल, जंगल और जमीन के उपयोग पर बोलते हुए महाराज ने कहा कि जंगल तो वन विभाग के अधीन हो गये हैं, इसलिये वन कानून में बदलाव होना चाहिये। ग्राम व वन पंचायतों को उनके हक मिलने चाहिये साथ ही गांव को सड़क, बिजली और पानी से जोड़ने का अधिकार मिलना चाहिये। उन्होंने कहा कि विकास के लिये विकास खण्डों का पुर्नगठन होना चाहिये। इसके लिये मेरे द्वारा सर्वे भी कराया जा रहा है। नये जिलों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिये धन की आवश्यकता है। भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर बोलते हुए महाराज ने कहा कि इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। इसका जरूर हल निकलेगा। उन्होने कहा कि पहाड़ में पहाड़ जैसी समस्याएं हैं। काम अधूरा है, हमें चलते रहना है और जैसे कि विवेकानंद जी ने कहा था चलते चलो..... पहाड़ के अंदर की समस्याएं का निदान ढूंढना है।

राज्य निर्माण की अवधारणा पर सबने अपने अपने नजरिये से किया काम:त्रिवेन्द्र रावत

''दैनिक जयंत द्वारा प्रस्तुत उत्तराखंड की दशा और दिशा पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से हमारे सम्पादक नागेन्द्र उनियाल ने बात की।''

उत्तराखंड की दशा और दिशा के मामले में राज्य निर्माण की जो अवधारणा बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देखिए उसमें सबका अपना नजरिया हो सकता है, उसपर हर सरकार अपनी अपनी तरह से काम कर रही है। सरकार का जो अपना काम है राज्य का विकास चौमुखी विकास हो, रोड है पानी है बिजली है औद्योगिक विकास हो चाहे कल्चरलडेवलपमेंट है शैक्षिक उत्थाान है स्वास्थ्य की सुविधा है यह तमाम चीज उपलब्ध कराई जाए। मैं सोचता हूं कि 2000 के बाद और अब 2024 में हमने प्रवेश किया है तो काफी डेवलपमेंट हुआ है। आज लगभग गांव-गांव तक सड़के पहुंची हैं कोई भी गांव पंचायत ऐसी नहीं जहां तक सड़के ना पहुंची हो और जो छोटे मजरे हैं अधिसंख्यक मजरो तक भी 90% आज सड़के पहुंची है। अपनी हर घर जल पहुंच रहा है। 100% बिजली पहुंच गई है हर घर पक्के शौचालय पहुंच गए हैं, जो गरीब है जिनके कच्चे घर हैं जो बेघर है उनके पक्के घर बड़ी संख्या में बने हैं। मूलत: विकास की जो परिभाषा है वह यही है। आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें हमारी बड़ी उपलब्ध है और पर्यटन का क्षेत्र देखे तो पर्यटन में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है जो बहुत ही बेहतर है। एग्रीकल्चर है इसमें बहुत अच्छी प्रगति हुई है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की राज्य में जितनी उपलब्धता है, भूभाग के हिसाब से ठीक डेवलपमेंट हुआ है।

पलायन

23 साल में फिर भी पलायन जारी रहने पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमको थोड़ा सोच बदलने की जरूरत है। सोच बदलने की यह जरूरत है कि हम हमेशा नौकरी की तलाश में रहते हैं। हमको नौकरी की तलाश के बजाय स्वरोजगार पर फोकस करना चाहिए। हमारे यहां स्कोप है। अब आप देखिए हमारे यहां जितने कारीगर हैं मकान बनाने वाले सब कारीगर व लेबर बाहर से आ रहे हैं, लकड़ी का काम करने वाले सब बाहर से आ रहे हैं, सड़क बनाने वाले सब बाहर से आ रहे हैं, खेती में जो काम कर रहे हैं तराई में वह भी बाहर से आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम लोगों का नौकरी पर ज्यादा जोर रहता है। हम लोगों को स्वरोजगार पर फोकस करने की जरूरत है। उत्तराखंड में प्राकृतिक रूप से हमारे पास कई तरह के संसाधन उपलब्ध है उन पर आधारितकोई काम कर सकते हैं। उत्तराखंड में हमारे पास पर्याप्त सूर्य की रोशनी है, हम सोलर के फील्ड में काम कर सकते हैं। भारत सरकार इसको प्रोत्साहित भी कर रही है हम इसमें अच्छा काम कर सकते हैं भारत सरकार उसमें अच्छी सुविधा दे रही है। हम बागवानी कर सकते हैं उसमें सरकार पर्याप्त सहयोग 80% सब्सिडी दे रही है, वह हम लोग कर सकते हैं। एयरोबैटिक प्लांट का यहां बहुत अच्छा काम हो सकता है। जड़ी बूटियां का बहुत अच्छा काम हो सकता है। भारत सरकार बांस की खेती पर 70% सब्सिडी दे रही है। हमारे खेत तमाम खाली पड़े हैं अगर हम सामूहिक रूप से बांस की खेती करें तो कोई रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यह इतना चीड़ है, लगभग 25% लगभग भू-भाग पर चीड़ है उस पर आधारित उद्योग लग सकते हैं। चीड़ से रिसर्च हुई है काम हुआ है हम वह सब चीज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा माइंड बदलने की जरूरत है कि नौकरी नहीं स्वरोजगार और थोड़ा प्रोफेशनली बनने की जरूरत है। अगर यह गुण अगर हमारे युवाओं के अंदर आ जाए तो मैं समझता हूं कि जो पलायन की बातें हम लोग कर रहे हैं पलायन की समस्या के रूप में जो हम प्रभावित हैं, उसको काफी हद तक हम ठीक कर सकते हैं।

8 पर्वतीय राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाने की अवधारणा को नकारते हुए राज्य का भूगोल बदलने पर बोलते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। अब यह चर्चा का विषय नहीं है, सरकार ने स्वीकार किया अब इन चीजों का हम कुछ कर नहीं सकते हैं उन चीजों का कोई फायदा नहीं है। उत्तराखंड राज्य में पहाड़ी क्षेत्र के विकास के मामले में उपेक्षा के पर श्री रावत ने कहा कि आरोप लगाना और किसी को गाली देना बड़ा आसान है। वहां खेत बंजर पड़े हैं उन पर क्यों नहीं काम हो सकता है। पहाड़ में जड़ी-बूटी व बागवानी की खेती बड़ी आसानी से हो सकती है। इस पर जब उनका ध्यान पहाड़ में अत्यधिक मात्रा में गूणी बंदरों की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि यह जानवर मनुष्य से पहले पहाड़ में रहते थे और आज इसलिए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है और कुछ ही लोग वहां रह गए हैं जिससे इन जंगली जानवरों का पहाड़ में बोलबाला हो गया है। यह बात इसलिए कहीं जा सकती है कि हिमाचल प्रदेश में अपने जौनसार बाबर, जौनपुर और नैनीताल में भी बंदर होंगे लेकिन वहां आज खेती और बागवानी भी हो रही है, जिससे लोग संगठित होकर इन्हें खदेडे देते हैं। पहाड़ में पलायन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए केवल सरकार को जिम्मेदार मान लिया है, खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है और काम तो लोगों को करना होता है। उनसे जब पूछा गया कि आज भी पहाड़ में आदमी की आय नहीं बढ़ रही है तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में इतने उद्योग लगे हुए हैं वहां भी लोग काम कर रहे हैं इसके अलावा हम लोगों को खुद से भी कुछ करने की सोचनी चाहिए। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए कानून नहीं बनाया गया है और नहीं पहाड़ में चकबंदी लागू की गई है, जिस पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चकबंदी कानून लागू है और भूमि के लिए भी कानून बने हैं जनता को चाहिए कि वह अपनी जमीन को ना बेचे इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों को सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिए जिससे हमारी आय बढ़े इसके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए।

७३वॉं संविधान संसोधन के तहत यहां पंचायतों को अधिकार दिए जाने चाहिये:एस.एस.पांगती

''अविभाजित उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ सेवा निवृत्त आईएएस अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पांगती से राज्य की दशा और दिशा पर हमारे सम्पादक नागेन्द्र उनियाल ने बात की।''

पृथक राज्य उत्तराखण्ड की अवधारणा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र के बारे में उ. प्र. राज्य में ये महसूस किया जाता था कि पर्वतीय क्षेत्र में कुछ करने के लिए नहीं है। जब मैं एपीसी था तो अंग्रेजों के समय से ही एक परंपरा चली आ रही थी कि प्रत्येक मण्डल में किसानों की उन्नति के लिए खरीफ रवी उत्पादन अभियान चलाया जाता था, लेकिन जब गढ़वाल और कुमाऊं एक मण्डल था तब यहां कभी भी यह अभियान नहीं चलाया गया। तब मैंने पूछा कि वहां क्यों नहीं चलाया तो तब हमारे अधिकारियों ने कहा कि पहाड़ में कहां खेती होती है और उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो मैंने कहा कि मानता हूं कि आपके मैदानी इलाके के कृषि उत्पादन के आंकड़े में पहाड़ की फसलों के उत्पादन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किन्तु वहां के किसान के बारे में क्यों नहीं सोचते हो उसके पास तो केवल खेती ही एक सहारा है, फिर भी उन अधिकारियों ने कहा कि नहीं-नहीं कुछ नहीं होगा, फिर भी मैंने एपीसी रहते हुए पहाड़ में खरीफ रवि अभियान चलाया।श्री पांगती ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद संविधान के 73वें संसोधन को यहां लागू नहीं किया गया है। उन्होंने खुलासा किया कि इस बारे में तब मैंने यहां के अधिकारियों को पूछा कि 73 संविधान संसोधन के तहत यहां कुछ पंचायतों को अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे हैं तो उनका जवाब था कि पंचायतों में भ्रष्टाचार है तो मैंने उनसे कहा कि एक पंचायत में अगर लाख डेढ़ लाख का भ्रष्टाचार हो भी जाएगा तो भी वह बड़े अधिकारियों के करोड़ों के घोटाले से कम ही होगा। उ.प्र. में पहले यह धारणा थी कि फ्रेश आईएएस व पीसीएस को पहाड़ में पोस्टिंग नहीं मिलती थी, जब मैंने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि पहाड़ में तो काम नहीं होता है तो नया अधिकारी क्या सीखेगा। तो मैंने कहा कि जब नया अधिकारी पहाड़ में जायेगा तो वहां काम ढूंढेगा जिससे वहां विकास के नये सोपान खुलेंगे। इसलिए हमारे पर्वतीय क्षेत्र पिछड़ रहे थे और इसी से पृथक पर्वतीय राज्य की मांग उठी।

आज पर्वतीय राज्य बनने के बाद भी उत्तराखण्ड की प्लानिंग उ.प्र. के ही ढर्रे पर बन रही है। उदाहरण के लिए आज भी उत्तराखण्ड में कृषि को नीचे कर बागवानी को पहले कर दिया गया हैं। जहां भी चर्चा हो रही है। बस बागवानी की हो रही है, जो हमारी पोटेशियल है उस कृषि को नकार दिया गया है। उत्तराखण्ड के विकास की प्राथमिकता के बारे में बोलते हुए श्री पांगती ने कहा कि उत्तराखण्ड में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन ये उद्योग मैदानी क्षेत्रों में ही लग सकते हैं। बेसक इनसे बहुत आगदानी होती है, लेकिन पहाड़ में तो उद्योग नहीं लग सकते हैं। इसलिए पहाड़ के विकास के लिए पर्यटन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पहाड़ में धार्मिक, अध्यात्मिक, लग्जरी और ट्रकिंग पर्यटन की अपार संभावनायें हैं।

उत्तराखण्ड में नेताओं और अफसरों की खिचड़ी बन गई है। उत्तराखण्ड में अफसरशाही का नेताशाही पर हावी होने के सवाल के जवाब में एसएस पांगती ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। यहां के नेता अध्यन नहीं करते हैं। जिसको छुपाने के लिए वे ऐसा झूठ बोलते हैं। श्री पांगती ने कहा कि प्रदेश को चलाने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्याय पालिका होती है। विधायिका का काम है

73 संविधान संसोधन के तहत.....

शेष भाग, विधानसभा में नीतियां बनाना और उसके अनुसार बजट पास करना है। उसके बाद उसे कार्यवन्वित रूप में साकार करने का काम कार्यपालिका (अफसरों) का होता है, किन्तु उत्तराखण्ड में कार्यपालिका का काम भी विधायिका खुद ही कर रही है। अधिकारियों को कहा जाता है कि फला काम फलां को दो और नहीं दोगो तो ट्रांसफर और न जाने क्या-क्या। अब ऐसी हालात में जब विधायिका कम बजट पर चर्चा करने का होता है तो उसे अधिकांश विधायक पढ़ते नहीं है और मंत्री भी अधिकारियों की रिर्पोटिंग पर ही बजट पेश कर देते हैं , यानि कि बजट अधिकारी तैयार कर रहे हैं और काम विधायक करवा रहे हैं। यानि कि इस प्रदेश में विधायिका और कार्यपालिका की खिचड़ी बन गई है।

श्री पांगती ने कहा कि मुझे तो उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन का साथ देने पर बहुत बड़ा पनिंशमेंट भी मिला। यहां के दो पहाड़ी अफसरों ने ही मेरी शिकायत तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से की मैं आंदोलनकारियों का साथ दे रहा हूं। तब मुझे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने गढ़वाल कमिश्नर के पद से हटाकर गजेटियर में कर दिया, जहां महीने में एक या दो फाइलें ही देखने को मिलती थी। यहां मुझे डेढ़ वर्ष रखा गया, लेकिन तब इन्द्रमणी बड़ूनी जी के अलावा किसी ने भी मेरे पक्ष में नहीं बोला।

सशक्त कृषि कानून

श्री पांगती से उत्तराखण्ड में भू प्रबंधन के बारे में जानने पर उन्होंने बताया कि जब मैं धाद का अध्यक्ष था हमने हिमांचल के भू प्रबंधन की तरह एक ड्राफ्ट बनाया था। इसी से लेकर हम तत्कालीन मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी से मिले तो उन्होंने कहा मैं एक टीम इसके लिए हिमांचल भेजेगे तो हमने कहा कि हम वहां का कानून यही बता देते हैं। हिमांचल के भू कानून के बारे में बताते हुए श्री पांगती ने कहा कि वहां पर हम सोचते थे कि धारा 371 लागू होगी, किन्तु वहां के अधिकारियों को बताया कि धारा 371 लागू करने के लिए संसद और देश के आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है। जिसे दूसरे राज्य स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हिमांचल ने कृषि की आड़ में ऐसा कानून बनाया कि वहां की कृषि की भूमि को केवल कृषक ही खरीद सकता है, लेकिन इससे भी यह कानून देशभर के कृषक को हिमांचल में जमीन खरीदने के लिए अधिकृत कर देता, इसलिए उन्होंने कृषक की परिभाषा में लिखा है कि वह हिमांचल में कृषि भूमि का मालिक हो। लेकिन उत्तराखंड ने तो इस मामलें में अपनी दशा ही बिगाड़ दी है, यदि हिमांचल की भांति यहां भी कानून बनता है तो यहां 500 व 250 मीटर कृषि भूमि खरीदकर पहले हजारों गैर उत्तराखंडी यहां के कृषक बन गये हैं। इसलिए जितना भी नुकसान होना था वह हो गया है।

लेकिन अब मैंने इन सशकत भू-कानून की मांग करने वालों से कहा है कि

उत्तराखण्ड की दशा खराब है और दिशा बिगड़ गई है: उमेश शर्मा

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की दशा बिगड़ चुकी है और दिशा खराब दिखाई दे रही है। उनसे पूछने पर की उत्तराखंड की दशा कैसे खराब है! उस पर उन्होंने कहा कि कि जिस राज्य में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान नहीं मिल पाया हो, उनको पेंशन नहीं मिल पाई हो, उनका हक नहीं मिल पाया हो और जिस प्रदेश में अभी तक अपना भू-कानून न हो, मूल निवास ना हो वह राज्य कैसे विकास करेगा और क्या उसकी दशा होगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में स्वरोजगार देने के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उनके लिए यदि पहाड़ का बेरोजगार अपना घर बार भी बेच दे तो भी उसे लोन नहीं मिल सकता है। ऐसी स्थिति में जब उत्तराखंड के अंतर्गत लगभग 20000 गांव खाली हो गए हैं तब यहां पर हम लोग रिवर्स पलायन की बात करते हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों को रोजगार देने के बजाय इसको देवभूमि बताने वाले लोगों ने हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश के लोगों को शराब के लाइसेंस दे दिए। 17 और 18 के बीच में उत्तराखंड के अंदर 12 शराब के प्लांट लगे हैं। उत्तराखंड के नेताओं ने देवप्रयाग ज्वालपाधाम जैसे धार्मिक स्थान पर शराब की फैक्ट्री खोल दी तो वहीं हरिद्वार में बूचड़खाना खोल दिया गया। आखिर यह लोग क्या चाहते हैं यह समझ नहीं आ रहा है। उत्तराखंड की दशा के बारे में बोलते हुए खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने कहा कि इस प्रदेश की जब दशा ही बिगड़ गई है तो उसकी दिशा के बारे में क्या बात की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में घोटाले की बाढ़ है। खनन में, भूमि में, नौकरियों में माफिया का राज हो गया है।विधायक उमेश शर्मा ने कहा कि जिस देवभूमि में कण-कण में देवता बसे हो, जो बदरी केदार की भूमि है वहां के लोगों के साथ धोखा करना, उस राज्य को धोखा देना, एक दिन यहां के नेताओं को बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस दोनों मिलकर इस प्रदेश को लूट रहे हैं। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उत्तराखंड में एक नेता होगा और वह इन सबको जेल में डालेगा यह दिन जरूर आएगा। मूल निवास और भू-कानून पर बोलते हुए

"उत्तराखंड के चर्चित पत्रकार एवं चर्चित विधायक कुंवर चैंपियन को हराने वाले उमेश शर्मा से विधनसभा के परिसर में राज्य की दशा और दिशा पर हमारे सम्पादक नागेन्द्र उनियाल ने बात की।"

उन्होंने कहा कि यहां की जनता जो मांगती है वह से मिलना चाहिए। उसने इस राज्य के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है छाती पर गोली खाई है महिलाओं की आबरू से खिलवाड हुआ है, उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो इस राज्य का औचित्य क्या है! उन्होंने कहा कि यहां पर जनमत संग्रह होना चाहिए, जो वह मांगे उनको मिलना चाहिए। भ्रष्टाचार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास भ्रष्टाचारियों की एक लंबी सूची है, उनको जेल के सींकचों के पीछे डालने के लिए। बदरी केदार ने मौका दिया तो वह निश्चित रूप से यह करके दिखा देंगे।

उत्तराखंड राज्य निर्माण की अवधारणा विफल हुई लोग आन्दोलन भी भूल गये: दिवाकर

उत्तराखंड के आंदोलन के लिए बने उत्तराखंड क्रांति दल के जन्मदाता एवं उसके फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट से आवास परिसर में राज्य की दशा और दिशा पर हमारे सम्पादक नागेन्द्र उनियाल ने साक्षातकार किया।

उत्तराखंड राज्य की अवधारणा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह मांग नॉर्थ ईस्ट के पर्वतीय राज्यों की तरह उत्तराखंड राज्य बनाने की मांग राजनीतिक रूप से 1974 में राज्य काउंसिल बनने के बाद शुरू हुई थी। कहा गया था कि नॉर्थ ईस्ट व हिमाचल की तरह अपना भी एक पर्वतीय राज्य होना चाहिए। जिसमें हम स्वयं उसके संसाधनों का उपयोग कर अपना विकास कर सके। उन्होंने कहा कि यह मांग तब और बलवती हुई कि जब 1970 और 80 के दशक के बीच उत्तराखंड से बहुतायात में पलायन हुआ और फिर लगा कि अलग राज्य की मांग ही इसका एक मार्ग एकमात्र विकल्प है।

उन्होंने कहा कि 70 और 80 के दशक में उत्तराखंड के अंदर लगभग 65 लाख लोग उत्तराखंड छोड़कर चले गए जिस कारण उत्तराखंड राज्य की मांग प्रबल होती गई। इसके लिए 1977 में जब उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया तो उसमें त्रेपन सिंह नेगी जो वर्तमान सांसद थे, उन्हें अध्यक्ष और मुझे युवा का अध्यक्ष बनाया गया। 1978 में दिल्ली के अंदर पर्वतीय राज्य की मांग के लिए एक रैली आयोजित की गई जो राजनीति की भेंट चढ़ गई। इसके बाद 1979 में मसूरी में पर्वतीय परिषद का सम्मेलन हुआ जिसमें पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया और उसके बाद आंदोलनों ने जन्म लिया और राज्य का निर्माण हुआ।

लेकिन आज उत्तराखंड की दशा पहले से भी बद्तर हो गई है। आंकड़ों के अनुसार राज्य बनने के बाद पलायन में 27% की वृद्धि हुई है और इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के बाद जिन लोगों ने राज्य के आंदोलन में सड़कों पर धक्के खाकर जुल्म सहा उनको जनता ने भुला दिया और धक्के और जुल्म देने वालों वालों को सत्ता सौंप दी।

उत्तराखंड की जनता ने राज्य बनने के बाद उन लोगों को सत्ता सौंपी जिन्होंने राज्य की मांग का विरोध किया था। इस बारे में बताते हुए दिवाकर भट्ट ने कहा कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे वह जमीन के लोग थे, धन के अभाव में जी रहे थे और जिनको राज्य बनने के बाद सत्ता सौंप गई वे लोग लक्ष्मी पुत्र थे उन्होंने धन के बल पर सत्ता को हासिल कर लिया जिससे उत्तराखंड राज्य की अवधारणा और ही बिगड़ गई।

उत्तराखंड राज्य की वर्तमान दशा को बदलने के लिए उन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ों में तीन जरूरी चीजों की जरूरत बताई। जिसमें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए। इससे पलायन रुकेगा और वहां का विकास होगा उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि हालांकि अब यह स्थिति सुधरने वाली नहीं है! फिर भी कोशिश की जा सकती है।

भू-कानून पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एनडी तिवारी जी ने 500 मी. की सीमा तक बाहरी लोगों को भूमि खरीदने करने की स्वीकृति दी थी, लेकिन जब मैं राजस्व मंत्री था तो मैं उसे ढाई सौ मीटर किया। साथ ही उसकी परिभाषा भी बदल दी। लेकिन उस पर बारीकी से अमल नहीं हो पा रहा है।

उद्योगों के नाम पर कृषि भूमि को खरीदने को लेकर उन्होंने कहा कि यह नहीं होना चाहिए। कृषि भूमि के नाम पर उद्योग लगाने के लिए भूमिक्रय करने की छूट से आज पहाड़ बिक रहे हैं।

इसी के साथ उन्होंने कहा कि मूल निवास 1950 की मांग से मैं सहमत नहीं हूं। हमें राज्य बनने के 15-20 साल पहले की सीमा तय करनी चाहिए। मूल निवास पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को मूल निवास की अनिवार्यता को तय करना चाहिए और तब यह बात समझ में आती है कि मूल निवास की आवश्यकता है और वह कब से लागू होना चाहिए।

उत्तराखंड राज्य के भौगोलिक स्वरूप पर बोलते हुए श्री भट्ट ने कहा कि हम लोगों ने हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र को उत्तराखंड में शामिल करने की बात कही थी, लेकिन नेताओं ने पूरा हरिद्वार जिला ही उत्तराखंड में मिला दिया और आज उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार और उधम सिंह नगर बैलेंस बनाए हुए हैं। आज पहाड़ के गांव वीरान हो गए हैं कुछ कस्बों के आसपास के गांव को छोड़ दें तो गांव के गांव खाली दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए क्या किया जा सकता है इस बात पर उन्होंने कहा कि लगता है कि अब लोगों में आंदोलन करने की सोच भी खत्म हो गई है लेकिन सब लोगों के प्रयास से आंदोलन होगा और उत्तराखंड को बचाने की कोशिश की जाएगी।

मूल निवास और भू-कानून से आगे बढ़ना होगा, शेडड्यूल फाइव पर सोचना होगा

"उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी, जेएनयू के पी.एच.डी., कांग्रेस के थिंकटेंक डॉक्टर प्रेम बहुखंडी से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय परिसर में राज्य की दशा और दिशा पर हमारे सम्पादक नागेन्द्र उनियाल ने

उन्होंने राज्य निर्माण की अवधारणा पर बोलते हुए कहा कि यह बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई। मैं तो खुद राज्य आंदोलनकारी था। 22-23 साल की उम्र में जेल में रहा, आंदोलन में रहा उसके बाद मैं पी.एच.डी. के लिये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय गया। वहां रह कर भी मैने एक संगठन बनाया जो उत्तराखंड आंदोलन को बाहर से इन्टलेकचुअल सपोर्ट करता था। राज्य निर्माण की अवधारणा को लोग समझ ही नहीं पाए। अफसोस की बात है कि राज्य बनाया किसके लिये था। मेरी नजर ये जो राज्य बनाया गया था वह देश में चल रहे एक विकास का मॉडल के खिलाफ एक विद्रोह था। क्योंकि वह मॉडल हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास नहीं दे पा रहा था, मूल सुविधाएं नहीं दे पा रहा था, उसके खिलाफ एक आन्दोलन था। और जब हम उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे तो इसका मतलब यह था कि हम उसको कॉपी नहीं करेंगे। हम एक नया विकास मॉडल क्रिएट करेंगे। इस बात को अनफॉर्चूनेटली हमारे पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी दूसरे मुख्यमंत्री कोश्यारी जी समझ नही पाए। नारायण दत्त तिवारी जी चुकि यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके थे और वो उसी मॉडल के क्रिएटर थे जिस मॉडल के खिलाफ हमने संघर्ष किया था। साथ ही वह छोटे राज्यों के खिलाफ भी थे तो वह भी नहीं समझ पाए। उन्होंने जो विकास का मॉडल लिया उसमें तराई में बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज खोल देंगे, तराई में हम बड़ी-बड़ी चीज लगाएंगे। अब बिलेजबेस्ड विकास की समस्या यह है कि हमारी चमोली उत्तरकाशी पौड़ी बागेश्वर में जमीन ही नहीं है तो बड़ी इंडस्ट्री कहां से लगाओगे। उन आठ जिलों में तो अवधारणा वहीं से फेल हो गई हम समझ नहीं पाए। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी इस बीच हावी हो चुकी थी सिस्टम में। तिवारी जी के टाइम में उसके बाद जो नेता आए वह बहुत कमजोर आए किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ब्यूरोक्रेसी को चैलेंज कर सके। छोटी सोच के लोग आए। हरीश रावत जी के आते आते एक तो देर हो गई साथ ही कमजोरी में आए। उनके पास विधायक नहीं थे, रिवॉल्ट हो गया। उन्होंने कोशिश की लेकिन वह 17 में नहीं आए तो वे अवधारणा के अनुरूप काम नहीं कर पाए। अल्टीमेटली वह अवधारणा फेल हो गई है जिसके कारण आज विद्रोह की स्थिति बन गई है। चाहे वह मूल निवास के लिए हो या फिर भू-कानून की लड़ाई के रूप में हो, युवाओं में एक असंतोष देखने को मिल रहा है।जल जंगल जमीन का उपयोग और उसके प्रबंध बोलते हुए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वही तो मैं कह रहा हूं अवधारणा में गड़बड़ी हुई है। हमारी अवधारणा थी विकास का अलग मॉडल क्रिएट करने की।

जो पुरानी वाला विकास था उस मॉडल को हम नर्वस मॉडल मॉडल कहते हैं इसमें जल जंगल जमीन को एक्सपोलाइट करके बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने का मॉडल है। वह पानी को बड़े बांध बनाकर पानी को शहरों में ले जाकर बिजली क्रिएट करने का मॉडल है। हमें राज्य बनने के बाद नए गांधियन सोशियल मॉडल बनाने की जरूरत थी। हमको चाहिए था गांधियन मॉडल सर्वोदय मॉडल जो हमारे खेत में ही विकास करता, जो हमारे गांव में बिजली क्रिएट करता, जो हमारे गांव में ही रोजगार हमें देता, जो एक गांव से दूसरे गांव के बीच हेल्प की फेशिडिस क्रिएट करता, जो हमारी ट्रेडिशनल हैल्थ सिस्टम को मजबूत करता।

उस मॉडल पर किसी ने चर्चा ही नहीं की। जब चर्चा नहीं की तो वो तो अवधारणा ही फेल हो गई है। आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उस अवधारणा की कल्पना कर रहा हूं जिस अवधारणा के लिए पृथक राज्य बना था। मेरी पूरी पीएचडी का काम उसी अवधारणा के आसपास है। प्रबंधन कि बात नही हो रही है। जल जंगल जमीन प्रबंधन को लेकर उसके सुपरविजन बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रबंधन कि बात नहीं है, उसको लेकर उस पर आधारित विकास मॉडल क्रिएट करने की बात है। जिसमें पानी भी खराब न हो और उसका उपयोग भी किया जाय। मैं हमेशा बोलता हूं कुछ दिन पहले भी कह रहा था कि पानी में उसकी जो ग्रेविटी हैं, उसमें जो चलन है सक्रिय ठंडक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। पहाड़ में उत्तरकाशी में किसी भी वक्त पानी का टेंपरेचर दो डिग्री तक ही रहता है। हम इसका उपयोग कोल्ड स्टोर के रूप में नहीं कर पाये और हमारे आलू 45 डिग्री के टैम्परेचर पर मैदान में कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। हमने बडे डैम के लिए टिहरी डुबा दी। हमने और बहुत सारे डैम बना दिए जिसने नदियों को खत्म कर दिया।

जिसे प्रकृति खत्म हो रही है। लेकिन हम जो छोटे-छोटे हमारे घराट है उसको पुर्नजीवित नहीं कर सकते हैं। उन घराटों को पुनर जीवित कर दो या तीन गांवों को बिजली मिल सकती है। भूमि प्रबंधन के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट है की भाँति धारा 371 पर बोलते हुए डा. प्रेम बहुखण्डी ने कहा कि धारा 371लागू पहले दिन से ही लागू हो जानी चाहिए थी। मैं उससे एक कदम आगे बढ़कर बात कर रहा हूं कि हम शेड्यूल फाइव के लायक है जो शेड्यूल फाइव है संविधान में जिसमें इस पूरे इलाके को ट्राइवल घोषित करना चाहिए था। सामाजिक सोशियोलॉजी का मैं विद्यार्थी हूं समाजशास्त्र के हिसाब से हम आदिवासी है, हमारे अपने एक्युमेडिसन है हमारे अपने देवी देवता है,हर गांव का अपना देवी देवता है, हर गांव अपना रहन-सहन है, अलग-अलग जगह में बोली भाषा है, हर बोली एक घाटी से दूसरी घाटी में ,बदल जाती है, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है, हमारा अपना सिस्टम है, हम कहीं ना कहीं ट्राइवल है। चूंकि हमारे यहां अपर कास्ट ज्यादा ह जो ट्रेवल स्टेटस लेने से घबरा गए लेकिन मैं तो कह रहा हूं शेड्यूल फाइव होना चाहिए। आप कह रहे हैं 371 लागू होना चाहिए हमको तो हिमाचल का एक्ट 118 है वो तो तुरंत मिल जाना चाहिए इनफैक्ट मुझे पता चला है कि बीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने यहां के मुख्यमंत्री से कहा कि इसे लागू कीजिये। और उसके लिए तिवारी जी ने कमेटी भी बिठाई लेकिन अनफॉर्चूनेटली हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उनके बाहर के लोगों ने जमीनें खरीदनीं थी, उन्होने कहा नहीं आप 500 मीटर की छूट दे दीजिए और वह छूट हमारे लिए आज नुकसानदायक हो रही है।

उसके बाद त्रिवेंद्र रावत जी ने उसको बडा ही दिया है। भूमि प्रबंधन में हमारे बहुत सारे मित्र बात कर रहे हैं कि चकबंदी होनी चाहिए मैं चकबंदी के खिलाफ हूं। मैं चकबंदी के इसलिए खिलाफ हूं कि जब तक भू प्रबंधन नही हुआ और जब तक भूमि का बड़ा कानून नहीं आए कि बाहर के आदमी को अपनी जमीन नहीं बेच सकते तब तक चकबंदी नहीं होनी चाहिये। अगर चकबंदी हो गई तो जो जमीन बची है वह भी बिक जाएगी। आप देख लें कि जहां-जहां चक बने हैं आप मसूरी के पीछे की पूरी फलपट्टी देखिए चक बने हैं वे सारे चक बाहर के लोगों को बिके हैं नैनीताल की आसपास के जो चक हैं वे भी बाहर के लोगों ने खरीद लिये हैं।

एक राज्य में दो भू-कानून कैसे ?

पहाड़ के बंजर होते खेतों उत्तराखण्ड राज्य को बने 23 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। फिर भी इस प्रदेश में अभी भी भूमि से सम्बन्धित दो कानून चल रहे में हैं। जिससे प्रदेश के विकास की तस्वीर काली रात और उजले दिन की भाति दो हिस्सों में हो रहा है। पहाड़ का विकास कूजा एक्ट के कारण स्याह रात की तरह चल रहा है तो मैदानी जिलों देहरादून (जौनसार भावर को छोड़कर) हरिद्वार व ऊधमसिंहनगर में जमींदारी विनाश अधिनियम के चलते उजले दिन की भाँति बढ़ रहा है।

इस प्रकार यदि एक प्रदेश में दो भू कानून चलते रहे तो उत्तराखण्ड का पूरा पहाड़ जंगलों में तब्दील हो जाएगा, आइए देखें कि क्या है ये कानून कूजा एक्ट। यानि कुमाऊं एवं उत्तराखण्ड जमींदारी एवं भूमि सुधार एक्ट 1960 लागू किया गया। यह एक्ट तब जनपद गढ़वाल (अब गढ़वाल, रूद्रप्रयाग व चमोली) अल्मोड़ा (अब पिथौरागढ़, चम्पावत व बागेश्वर भी) और नैनीताल जिला की नैनीताल तहसील में ही लागू किया गया था। तब उ.प्र. के शेष भागों में जमींदारी उन्मूलन कानून 1960 लागू किया गया।

आज भी उत्तराखण्ड के 13 पर्वतीय जिलों में कूजा एक्ट लागू है। इस एक्ट में अब खुलासा हुआ है कि जो खेत बंजर हो गए हैं वे कैसरीन घोषित होते हुए वन अधिनियम के तहत फारेस्ट घोषित हो जाएगें, जिससे अलाभकारी सिद्ध होती पहाड़ की खेती जंगलों में समाती जा रही है। इसके लिए हम हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकते।

क्या कर सकते है?

यदि हम अपने पड़ोसी पर्वतीय राज्य हिमाचल का उदहरण लें तो विदित होगा कि भारतीय संसद ने सितम्बर 1951 में सीमित अधिकारों से सम्पन्न निर्वाचित सरकार हिमाचल में बनाने का प्रावधान किया और उसे 'ग' भाग (पार्ट सी स्टेट) के राज्यों में शामिल किया गया। 01 मार्च 1951 को हिमाचल की 36 सीटों वाली विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें भारतीय कांग्रेस पार्टी को विजय मिलने पर डॉ. यशवंत सिंह परमार मुख्यमंत्री चुने गये। उस समय हिमाचल प्रदेश में मात्र चार जिले सिरमौर, मंडी, महासू और चंबा थे। मात्र एक साल के अंतराल में सन् 1953 में भू राजस्वअधिनियम बनाया गया तभी इसी वर्ष जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम (अबोलीशन ऑफ बिग लैन्डेड एस्टेट्स एवं लैंड रिफार्म्स एक्ट) बनाया गया। दिनांक 29.12.1953 को भारत सरकार ने न्यायमूर्ति श्री फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जिसमें सर्व श्री के.एम. पणिकर तथा एच. एन. कुजरू सदस्य थे। इस आयोग ने दिनांक 30.09.1955 को हिमाचल प्रदेश को पंजाब राज्य में मिलाने की सिफारिश की। जिसके विरूद्ध हिमाचलवा. सियों ने डॉक्टर परमार के नेतृत्व में आंदोलन किया। फलत: केन्द्र सरकार ने हिमाचल को 01 नवम्बर 1956 को केन्द्र शासित राज्य घोषित कर दिया और इसी दिन डॉ. परमार ने अपने पद से त्याग पत्र देते हुए कहा था कि हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को बनाये रखने के लिये कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं है। हिमाचल प्रदेश 24 जनवरी 1971 तक अर्थात लगभग 15 वर्षों तक केन्द्र शासित रहा। दिनांक 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर उसे देश का 18वाँ राज्य घोषित किया गया और डॉ. परमार ही पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री निर्वाचित किये गये जो 1974 तक हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे। सन् 1972 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश मुजारियत व भूमि सुधार अधिनियम (हिमाचल प्रदेश टेनेन्सी एण्ड लेण्ड रिफार्म्स एक्ट) पारित किया और इस अधिनियम की धारा 118 के द्वारा गैर कृषकों को कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर सरकार की स्वीकृति के बिना कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगा दी। इस धारा के अंतर्गत कृषक उसे ही माना गया जो हिमाचल प्रदेश के किसी गांव में खेती करता आ रहा हो। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश के निवासियों को ही वहां भूमि खरीदने का अधिकार है और कृषि के मालिक हिमाचलवासी ही है।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड में अनेक आई. ए. एस. एवं पी.सी.एस. संवर्ग के योग्य अधिकारी हैं जो राज्य के हित में भूमि संबंधी अधिनियम बना सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब हमारी विधायिका इस प्रकार की इच्छा शक्ति से कार्य करें और अपने सक्षम अधिकारियों को राज्य की भौगोलिक एवं कृषि भूमि को केन्द्र में रखते हुए कानून बनाने के निर्देशित करें। हिमाचल प्रदेश ने राज्य बनने के 6 साल के अंदर एक दर्जन से अधिक भूमि संबधी अधिनियम पारित कर लागू किए जबकि हमारे राज्य में उ.प्र. के कानूनों को ही अंगीकृत कर समय-समय पर संशोधन कर विधायिका अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ रही है। हिमाचल ने अब तक 67 से अधिक अधिनियम तैयार कर लिए है। जो सभी भूमि से संबंधित है और उनका लैंड कोड इसका परिचायक है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में मात्र आठ प्रतिशत भूमि ही कृषि भूमि के रूप में अभिलेखों में दर्ज है। मैदानी भू-भागों में यह प्रतिशत लगभग 23 प्रतिशत है। राज्य की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि राज्य बनने के पश्चात हुई है। यदि कृषि भूमि को कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग के लिए प्रयोग में लाने की अनुमति दी जाती है तो आने वाले एक या दो दशकों के बाद ही राज्यवासियों को भोजन के लाले पड़ जायेंगे। अत: कृषि भूमि की बिक्री पर तुरन्त प्रभावी रोक लगाने की आवश्यकता है। और राज्य बाहर के लोगों को अनुमति भी राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं हैं क्योंकि 250 वर्ग मीटर में वह खेती तो करेगा नहीं, मकान ही बनायेगा जिससे एक ओर कृषि भूमि घटेगी जिसका उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ेगा और दूसरी तरफ राज्य की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ेगी जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं की मंहगाई व अपराध बढ़ेंगे। अत: राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर कृषि भूमि की बिक्री पर सख्त कानूनी प्रतिबंध लगाना होगा।

सबसे बड़े आश्चर्य एवं दु:ख की बात तो यह है कि उत्तराखण्ड राज्य को अस्तित्व में आये तेइस साल से अधिक हो गये हैं, परन्तु वह आज तक अपना भूमि संबंधी कोई कानून नहीं बना पाया और मूल राज्य उ.प्र. के कानूनों को हो अंगीकृत (अनुकूलन) किया गया। यदि उ.प्र राज्य के भूमि संबंधी कानून हो इस राज्य को भौगोलिक संरचना के अनुरूप थे तो अलग राज्य बनाने का औचित्य समझ से परे लगता है।

डॉ. परमार का विजन तो अपनाना ही होगा

लेखक- डॉ.डी.पी. डबराल

स्वतंत्र भारत के प्रशासनिक ढांचे में तब जो स्वरूप तय किया गया था, उसमें राज्यों का पुर्नगठन एक महत्वपूर्ण बिन्दु था, जिसके अंतर्गत देश में मैदानी भागों की ही तरह पहाड़ी क्षेत्रों में वहां की भौगोलिक और संस्कृति के आधार पर राज्यों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार पहाड़ी राज्यों के गठन पर कोई शिरकत नहीं कर सकी। जबकि 1952 से लगातार इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन पर अनेक राजनीतिक दलों द्वारा मांग की जाती रही। देश जब स्वतंत्र हुआ यहां अनेकों रियासतें अस्तित्व में थी। तत्कालीन गृहमंत्री जिन्हें आवाम लौह पुरूष के रूप में स्वीकार करता है, सरदार बल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से पहाड़ी रियासतों के साथ सारे देश की रियासतों को स्वतंत्र भारत में शामिल कर दिया गया। हिमाचल की ये सभी रियासतें जो पहले पंजाब हिल स्टेस के रूप में थी को ही सम्मिलित कर हिमाचल प्रदेश की शक्ल में भारत के मानचित्र में अंकित किया गया जो अस्थाई रूप से केंन्द्र के अधीन रखा गया। जैसा कि कहा जा चुका है कि ये सभी रियासतें वृहद पंजाब के अंदर आती थी, को प्लानिंग पंजाब में ही मिलाने पर सहमत था।

डॉ. यशवंत सिंह परमार इसके विपरीत हिमाचल प्रदेश को सही मायने में हिमांचलियों का प्रदेश बनाने के लिए अडिग चट्टान की तरह अड़े रहे। उस समय अन्य पहाड़ी राज्यों की भांति शिक्षा और आर्थिक रूप से हिमांचल भी अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र था। इसलिए डॉ. परमार नहीं चाहते थे कि अन्य प्रदेशों के लोग उनके हिमांचल के सीधे सादे लोगों का किसी तरह से शोषण कर सके। अपने अनवरत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर डॉ. यशवंत सिंह परमार हिमांचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और अपने अदम्य साहस, निष्ठा और योग्य प्रशासन और सूझबूझ के बल पर अन्य प्रान्तों की कुत्सित चालों से बचाते हुए वे हिमाचल को उस मुकाम तक पहुंचाने में सफल रहे जो पहाड़ी सभ्यता और संस्कृति के साथ आवश्यक था। डॉ. परमार के मंत्रिमंडल उनके सहित मात्र तीन सदस्य शामिल थे। पं. गौरी प्रसाद एवं पं. पद्मदेव इस बात से भी क्षुब्ध थे कि उनके प्रदेश में अफसरशाही अन्य दूसरे राज्यों की थी। आखिर डॉ. परमार की जीवटता से कुल्लु, कांगड़ा, ऊन और हमीरपुर को सम्मिलित करते हुए नवम्बर 1966 में हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में आया। आर्थिक, शैक्षणिक प्रगति के साथ उस राज्य का अस्तित्व सर्व विदित है।

इधर उत्तराखण्ड की मांग जो 1952 से आवाज उठ रही थी वह 2000 तक अनसुनी रही। भले ही कई मंचों से पृथक उत्तराखण्ड की मांग अधिवेशनों, आन्दोलनों, प्रदर्शनों के जरिए उठाई जाती रही, लेकिन तब की सत्तासीन सियासतदारों जिनमें अकेली कांग्रेस की सत्ता के चार दशक से अधिक का समय शामिल है, ने उत्तराखण्डवासियों की इस मांग पर विचार तो दूर सुनना भी पसन्द नहीं किया।

लेकिन 90 के दशक में जब उत्तराखण्ड राज्य की मांग जन आंदोलन के रूप में सड़कों पर खुलकर आयी तब केन्द्र की सत्तासीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उत्तराखण्डवासियों की कई शहादतों के बाद नवम्बर 2000 को उत्तरांचल के नाम से पृथक राज्य का गठन कर दिया। दो मंडल, 13 जनपदों, 78 तहसीलों, 95 विकासखंडों, 671 न्याय पंचायते, 1600 सभाओं, 34 नगरों, 16,606 राजस्व ग्रामों, जिनमें 15,652 आबाद, 954 गैरआबाद तथा 194 वनग्रामों व 84 शहरीयां जिनकी जनसंख्या 2001 की जनगणना अनुसार 8526262 जिनमें 43,63,101 पुरूष तथा 41,63,161 महिलाएं शामिल है का उत्तरांचल प्रदेश 53,484 वर्ग कि.मी. में विस्तृत है जिसका 65 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित एवं शेष 35 प्रतिशत आबादी का है। इस नवगठित राज्य के निर्माण के साथ इसका संचालन केन्द्र सरकार (तत्कालीन) नें नित्यानंद स्वामी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार को सौंप दिया। विशेष राज्य के दर्जे के साथ अंतरिमं सरकार के कार्यकाल में दो मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी राज्य के मुखिया रहे। इस दौरान यह सरकार अपने सीमित अधिकारों के साथ राज्य के प्रारंभिक जमाव में ही रही। सन् 2002 के विधान सभा चुनावों में उत्तरांचल प्रदेश की सत्ता को यहां की जनता ने उसी कांग्रेस को सौंप दी, जिस सरकार से उत्तराखंडी पिछले कई दशकों से पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग करते रहे थे।, लेकिन उसने उत्तराखण्डियों की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया था। यह एक विडम्बना कही जा सकती है।

राज्य के गठन के समय में उपलब्ध अकूत मूल्यवान वन सम्पदा खनिज, औषधियां एवं सुगंध पादपों वनस्पतियों की प्रचुरता, भारी जल सम्पदा और नैसर्गिक परिपूर्ण भौतिक परिवेश उत्तरांचल को समृद्व एवं विकसित अग्रणी राज्य के रूप में देश के मानचित्र में स्थापित करने की क्षमता रखता था और है। बशर्ते इसके नियोजन के क्रियान्वयन को ईमानदारी के साथ किया जाय और इसी उपलब्धियों के कारण राज्य की सरकार ने प्रदेश को हर्बल प्रदेश आदि नामों से एक अग्रणी विकसित राज्य के रूप में प्रस्तुत करने का यहां की जनता के साथ वादा किया था और इस वादे की पुनरावृत्ति एक नहीं कई बार की गई, लेकिन आज तक समय बीतने पर भी राज्य की जो स्थिति धरातल पर दिखाई दे रही है उससे यह साफ जाहिर है कि सरकार अपने इन वादों की सफलता में पूरी तौर पर नाकाम रही है और ऐसा क्यों ? यह एक विचारणीय प्रश्न है और यदि इस बिन्दु पर हम गहराई से विचार करें तो सत्ता में बैठे लोगों की कार्यशैली की दिशा राज्य के विकास से हटकर सत्ता की कब्जेदारी की ओर ही परवर्तित होती दिखाई दे रही है जो राज्य के भविष्य के लिए शुभ नहीं कही जा सकती।

इसलिए भी विचार करना जरूरी है कि उत्तरांचल के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश जब पृथक हुआ था, तब उसके पास भी वही समस्या थी जो उत्तरांचल के गठन के समय उसके पास थी और वह समस्या थी पलायन की।

युवाशक्ति का पलायन राज्य के लिए हितकारी नहीं होता यह एक सत्य है। डॉ. परमार ने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिया। उनके सामने एक और विकट समस्या यह थी कि जब हिमाचल का गठन हुआ, तब वहां शिक्षा का स्तर शून्य की स्थिति में था, लेकिन उत्तरांचल में शिक्षा को लेकर यह समस्या नहीं थी। 2001 के आंकड़े बताते हैं कि उत्तरांचल में साक्षरता की स्थिति कुल 72.28 प्रतिशत थी, जिसमें 84.01 पुरूष तथा 60.28 महिलाएं शामिल है। अत: राज्य के विकास के लिए सबसे पहले पलायन की रोकथाम के लिए युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर उद्योगों की स्थापना जरूरी थी।

डॉ. परमार ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और इसका एक प्लान बनाया, जिसे अपनाकर हिमाचल में फल उत्पादन एक उद्योग के रूप में फला-फूला और वहां का पलायन सही तौर पर रूका और इसके लिए मितव्ययिता आवश्यक थी इसलिये वहां उन्होंने मात्र तीन सदस्यीय मंत्रिमंडल ही शुरू में बनाया लेकिन उत्तरांचल में ऐसा नहीं हो पाया।

यहां का शुरूआती दौर ही मंत्रियों और लालबत्तियों की भीड़ में राज्य के उस स्वर्णिम भविष्य की कल्पना को ही विस्मृत कर दिया गया। जिस कल्पना के साथ उतराखण्ड की जनता ने पृथक राज्य की मांग की थी। आज 70 विधायकों की विधानसभा में मंत्रियों राज्य मंत्रियों सहित लगभग 150 के आसपास लालबत्तियां जगमगा रही है, जिनकी चकाचौंध में विकास नाम का जीव अंधा हो गया। विकास तो दूर अभी तक राज्य की उन मूलभूत समस्याओं जिनका निदान तुरन्त होना चाहिए था वो आज तक लंबित पड़ी है, राजधानी का मसला, परिसीमन का मामला सभी अभी तक लटके है, जो एक नवोदित राज्य के भविष्य के लिए चिन्ता का विषय कह सकते हैं। प्रदेश में जितने भी सियासीदल है भले ही वे उत्तरांचल को विकास के परस्पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हों लेकिन आज का सत्य तो यह है कि यदि उत्तरांचल राज्य को वादे के अनुसार अग्रणी और समृद्ध राज्य की शक्ल में लाना है तो उसके लिए सभी दलों को निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर डॉ. परमार की जैसी सोच को ईमानदारी से अपनाकर राज्य के निर्माण में जुट जाना चाहिए और यदि समय रहते ऐसा नहीं होता तो उत्तरांचल जो सुखद परिकल्पना थी वह साकार होना कठिन है।

डॉ0 डी0 पी0 डबराल लेखन और साहित्य जगत के लिये कोई नया नाम नहीं है। पत्रकारिता और साहित्य के लिए जीवन समर्पित कर उत्तराखंड के समग्र विकास की कल्पना में यह लेख जयन्त में प्रकाशित हुआ था। इस लेख में उनका स्पष्ट मानना था कि समग्र विकास के लिये हिमांचल के निर्माता डॉ. यशवंत सिंह परमार के विजन को अपनाये बगैर उत्तराखण्ड राज्य का समग्र विकास संभव नहीं है। आज लेखक हमारे बीच नहीं है। लेकिन उनकी सोच आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप में उनको अमर कर गई है।

-सम्पादक

---- ३३वां स्थापना दिवस

1893 के शासनादेश को रद्द करके होगा कृषि क्षेत्र में विस्तार

पुरूषोत्तम शर्मा

राज्य के 88 प्रतिशत पर्वतीय भू-भाग में मात्र पौने वितरण का अधिकार पंचायतों को होना चाहिए था। इससे राज्य में कृषि क्षेत्र के विस्तार का रास्ता खुल जाता। इससे कृषि के लिए जमीन के पट्टे गरीबों एवं भूमिहीनों को मिलते। इससे हमारे यहां की दलित आबादी जो कि भूमिहीन की स्थिति में है, खेती से आगे अपनी आजीविका चलाने में मदद मिलती। पहाड़ में औसतन एक परिवार के पास 13 नाली जमीन है जो कि एक परिवार का गुजारा करने के लिए बहुत ही नाकाफी है। 1976 के वृक्ष संरक्षण कानून से पहाड़ के किसानों को अपनी ही जमीन में वृक्ष उगाने और इसका व्यावसायिक उपयोग करने से वंचित कर दिया जबकि मैदानी क्षेत्र का किसान यदि कृषि से उसको फायदा नहीं हो रहा है तो वह उस जमीन पर वृक्ष उगाकर उसका उपयोग कर सकता है।

इससे उसको बड़ा लाभ मिलता है लेकिन पहाड़ धान का तब तक दुरूपयोग होता रहेगा, अभी तक सात प्रतिशत कृषि भूमि बची है। पूरे प्रदेश में लगभग 11 प्रतिशत कृषि भूमि बची है और यह अपने आप में यह दिखाती है कि इतने बड़े प्रदेश और उसको आबादी को, आजीविका को चलाने के लिए यह कृषि भूमि नाकाफी है, क्योंकि राज्य की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है।

राज्य बनने के बाद सबसे पहला काम यह होना चाहिए था कि राज्य के लिए सरकार एक नया भूमि सुधार कानून बनाती लेकिन पृथक राज्य बनने के नौ वर्ष पूरे हो जाने के बावजूद भूमि सुधार कानून बनाने की दिशा में सोचा तक नहीं है। राज्य में अभी तक जो भूमि सुधार कानून है, वह कूजा एक्ट के रूप में जाना जाता है। कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार कानून लागू है। दोनों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग भूमि सुधार कानून लागू है। कूजा एक्ट की पहाड़ी क्षेत्र की कृषि को तबाह करने में बड़ी भूमिका रही है। इस कूजा एक्ट को हटाए बिना एवं पूरे राज्य में एक ही भूमि सुधार कानून बनाए बिना यहां का कृषि विकास एवं कृषि पर निर्भर लोगों की आजीविका को मजबूत करने का कृषि के विकास के बजट का बड़ा हिस्सा राजनेता, नौकरशाहों एवं एन.जी.ओ. की जेब में चला जाता है एवं राज्य के कृषकों को इसका कोई भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। खासकर पर्वतीय किसानों को तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। राज्य में कृषि नीति का जो मसौदा तैयार हो रहा है, उसे नौकरशाह एवं एन. जी.ओ. ही तैयार कर रहे हैं। राज्य के किसान संगठनों को कृषि नीति के निर्माण में भागीदार बनाने की मांग उठी थी लेकिन राज्य सरकार ने इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया।

किसान संगठनों की गैर मौजूदगी में बनने वाली कृषि नीति का फायदा यहां के किसानों को मिल पाएगा, ऐसा लगता नहीं। पहाड़ के लोगों की आजीविका कृषि और पशुपालन है, जो कि वनों पर निर्भर है। वनों पर जनता के परंपरागत अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण परंपरागत वनवासी हैं। इसलिए इनको परंपरागत वनवासी की श्रेणी में राज्य सरकार रखे। वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 उसके तहत उन्हें वनों पर परंपरागत अधिकार वापस मिलें। इसके बिना पहाड़ में खेती और पशुपालन को आजीविका का मुख्य साधन नहीं बनाया जा सकता है।

का किसान वृक्ष तो उगा सकता है लेकिन उसका व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकता। इसीलिए 1976 के वृक्ष संरक्षण कानून को बदला जाना चाहिए था।

ताकि पहाड़ के किसान को अपनी हो जमीन में वृक्ष उगाने एवं उसके व्यावसायिक उपयोग करने की अनुमति मिलती, लेकिन ऐसा राज्य बनने के नौ वर्ष बाद भी नहीं हुआ है। जड़ी-बूटी उत्पादन से हर्बल प्रदेश बनाने के बड़े-बड़े दावे सरकार करती है, लेकिन जड़ी-बूटी अभी तक वन उत्पाद की श्रेणी में है।

शेष पृष्ठ 8 पर

1893 के शासनादेश को रद्द करके होगा.....

पृष्ठ 7 **का शेष भाग,** वन उत्पाद की श्रेणी में होने के कारण यदि इसको उगाना है तो बिना वन विभाग को अनुमति एवं निगरानी के न तो आप इसे उगा सकते हैं और बिना उसकी अनुमति के न तो उसे बेच सकते हैं। तो कुल मिलाकर कृषि में जड़ी-बूटी उत्पादन में वन विभाग की थानेदारी कायम है। जब तक जड़ी-बूटी उत्पादन को वन उत्पादन की श्रेणी से हटाकर कृषि उत्पादन को श्रेणी में नहीं डाला जाता तब तक हर्बल प्रदेश बनाने का सपना साकार नहीं हो सकता है एवं पहाड़ का किसान कोई लाभ नहीं उठा सकता। जड़ी-बूटी उत्पादन पर खर्च किए जा काम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राज्य सरकार को कृषि क्षेत्र के विस्तार के विषय में भी काम करना चाहिए था जो कि किसानों की भी मुख्य मांग है। राज्य में कृषि क्षेत्र का विकास कूजा एक्ट एवं 1893 के अंग्रेजों के शासनादेश बेनाप बंजर भूमि को रक्षित भूमि के तहत हो रहा है। रक्षित वन भूमि की श्रेणी में आने के बाद इस पर वन कानून लागू हो गए। इसलिए इसमें कृषि क्षेत्र का विस्तार रूक गया, जबकि देश भर में बेनाप बंजर भूमि ग्राम पंचायतों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होती है और ग्राम पंचायतों को इसके प्रबंध एवं गरीबों को इसके वितरण का अधिकार होता है। इसमें आवासीय कृषि एवं मछली के तालाब निर्माण का पट्टा होता है। यह देश के सभी हिस्सों के साथ हरिद्वार जिले में भी है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र को इस अधिकार से वंचित किया गया है। राज्य 33वां स्थापना दिवस सरकार को चाहिए था कि 1893 के शासनादेश को रद्द करके बेनाप, बंजर जमीनों को पंचायतों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करे। इन जमीनों के रहे देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 20 प्रतिशत है। राज्य के बजट का 20 प्रतिशत हिस्सा कृषि पर लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैदानों की उपजों का सरकार समर्थन पादित विशिष्ट चीजों जैसे राजमा, मडुवा, उड़द, गहथ, माल्टा इत्यादि का भी सरकार समर्थन मूल्य घोषित करें एवं सरकारी क्रय केंद्रों पर उनकी खरीद-बिक्री हो। उत्तराखंड में सब्जी उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन मंडियों के अभाव में हमारा किसान मैदान मंडियों पर निर्भर है। जहां हमारे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए तहसील स्तर पर सरकार मंडियों की स्थापना करे जिससे किसानों को उसके उत्पादन का उचित लाभ मिल सके। हर विकासखंड स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना होनी चाहिए थी तथा इस केंद्र के साथ कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे विभागों को जोड़ा जाना चाहिए था परंतु ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। सिंचाई सुविधाओं की जहां तक बात है, तो इतनी बड़ी सदानीरा नदियां हमारे यहां से निकलती हैं लेकिन उसके किनारे की जमीनें सूखे की चपेट में हैं। इस समस्या से निपटने के लिए नदी घाटी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में हाईड्रम परियोजना का जाल बिछना चाहिए। इससे हम कम खर्च पर नदी घाटी क्षेत्र की कृषि को सूखे से बचा सकते हैं। बाकी पर्वतीय क्षेत्र के लिए पपिंग योजनाएं बनाई जाएं लेकिन ये सब चीजें तभी फलीभूत होंगी जबकि राज्य के अंदर चकबंदी की व्यवस्था हो। बिखरी खेती एवं छोटी जोतो व्यावसायिक कृषि के लिए किसानों को प्रोत्साहित नहीं कर सकती हैं। परंपरागत कृषि से व्यावसायिक कृषि की ओर हम नहीं बढ़ेंगे तब तक राज्य की कृषि का भला होने वाला नहीं है। राज्य सरकार का जो स्वैच्छिक चकबंदी का फार्मूला है, वह किसानों को बेवकूफ बनाने वाला है। स्वैच्छिक चकबंदी संभव नहीं है क्योंकि हर गांव में ऐसे दबंग होते हैं जो कि गरीबों एवं सरकारी जमीन दबाए होते हैं और वे कभी चकबंदी के पक्षधर नहीं होते हैं। कृषि एवं जमीन संबंधी कानून राज्य की विधायिका बनाती है। इसलिए राज्य की कृषि का विकास पूरी तरह राज्य सरकार के हाथ में है। इसलिए राज्य सरकार उत्तराखंड में नया भूमि सुधार कानून लाए एवं चकबंदी सुनिश्चित करे। राज्य में कृषि क्षेत्र में मिलने वाली सब्सीडी का 90 से 95 प्रतिशत फायदा मैदानी किसानों को होता है। पहाड़ का किसान इन सब चीजों का उपयोग नहीं कर पाता है। इसीलिए पहाड़ के किसानों को घरेलू बिजली के कनेक्शन में सब्सीडी मिले और कम से कम । रूपए प्रति यूनिट की बिजली उनको मिले।

उत्तराखंड की दशा व दिशा

उत्तराखंड एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य है जो हिमालय की गोद में स्थित है। यह राज्य भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, पर्वतीय वन्यजीव, तीर्थस्थलों और परंपरागत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड की दशा और दिशा में कई चुनौतियाँ और संभावनाएं हैं। यहां की प्रमुख चुनौतियों में जनसंख्या का प्रबल वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, विकास के तेजी से बढ़ते दबाव, और जल संकट शामिल हैं। उत्तराखंड ने पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को महत्व दिया है, लेकिन उसे अपने विकास के साथ संतुलित रखने की आवश्यकता है। सरकार को स्थानीय लोगों की जीवन गुणवत्ता को बढ़ाने, रोजगार के अवसर प्रदान करने, और सामाजिक और आर्थिक संरचना को मजबूत करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, उत्तराखंड को अपने संस्कृति और भौगोलिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है ताकि यह राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से उपयोग कर सके और आर्थिक विकास में अग्रणी बन सके।

Name &Smita negi
Address &ghamandpur Durgapur kotdwar
Number &8439248359

स्वकल्याण के बजाय सर्वकल्याण की नीयत से सुधर सकती है उत्तराखण्ड की दशा

(चित्रमणि देवलियाल)

उत्तराखण्ड ऐतिहासिक सांस्कृतिक, राजनैतिक एवम् धार्मिक महत्व की देवभूमि है। इसका क्षेत्रफल लगभग 53483 वर्ग कि0मी0 व जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10,086,292 है। यह प्रदेश गढ़वाल और कुमाऊं दो मण्डलों एवम् 13 जनपदों में बंटा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से यह प्रदेश प्राचीनकाल में ब्रहमावर्त के नामा से जाना जाता है। बावन गढ़ों की पृष्ठभूमि होने के कारण इस भूभाग को गढ़वाल के नाम से जाना जाने लगा। पंवार वंश के राजा अजयपाल ने यहां के ठाकुरी राजाओं को परास्त कर अपना राज्य स्थापित किया। आदिकाल में यहां पर यक्ष, किन्नर, किरात, कोल, खस, गुर्जर, आर्य आदि अनके जातियां रही। यह भी कहा जाता है कि आदिकाल में यहां कुबेर का शासन था जिसकी राजधानी अलकनन्दा के किनारे अल्का थी, जिसे डॉक्टर सुनील के अनुसार द्रविण, किरात और यहीं के मूल निवासी थे। स्कन्द पुराण में इस भूभाग को केदारखण्ड कहा गया है। राहुल सांकृत्यान के अनुसार शक जाति यहां की मूल निवासी थी। इस प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर प्राचीन समय से ही अनके देवी-देवताओं का प्रभाव रहा है, महासू देवता व जाख देवता जौनसार के प्रभावशाली देवता रहे है। टिहरी जिले के प्रतापनगर ब्लाक के सेम-मुखेम में नाग देवता का मन्दिर है इसके अतिरिक्त गढ़वाल व कुमांयु क्षेत्र में अनेकों देवी-देवताओं के मन्दिर हैं। अलग-अलग क्षेत्र में उनके देवी-देवताओं को अलग-अलग नामों से पूजा जाता है। जिनका उल्लेख करना यहां पर सम्भव नहीं है।जहां तक उत्तराखण्ड राज्य की दिशा की बात है इसकी दिशा का निर्धारण 1938 में कांग्रेस के श्रीनगर गढ़वाल में तय की गयी थी जब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि यहां के लोगों को अपने स्वयं के निणर्य लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वर्ष 1946 में हल्द्वानी में बद्रीदत्त पाण्डे जी ने इस भूभाग को गढ़वाल और कुमायुं मण्डल में पृथक करने की बात कही। 1948 में टिहरी का उत्तर प्रदेश में विलिनीकरण कर दिया गया।27 जुलाई 1979 को मसूरी में पृथक राज्य के गठन हेतु उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के नाम से पृथक राजनैतिक दल बना। इस राज्य आंदोलन का उग्र रूप तब सामने आया जब 1994 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने यहां के शिक्षण संस्थाओं में भी 27 प्रतिशत पिछड़ी जाति को आरक्षण की बात कही। इससे पूर्व वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक उत्तराखण्ड राज्य बनाने का विधिवत प्रस्ताव पास कर केन्द्र सरकार को भेजा। अन्ततः 9 नवम्बर 2000 को उत्तराखण्ड वासियों का यह सपना पूरा हुआ जिसमें वह कहते थे कौदा, झंगोरा खायेंगे उत्तराखण्ड बनायेंगे।

उत्तराखण्ड राज्य यों तो पहले से ही राजनैतिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से समृद्ध रहा है। लेकिन यहां के निवासी अपने को मैदानी क्षेत्रों के लोगों से पिछड़ा समझते थे, क्योंकि यहां पर रोजगार के अवसर प्रारम्भ से ही बहुत कम रहे हैं। खेती का अधिकतर भूभाग असिंचित रहा है, जिससे खेती से पर्याप्त आमदानी नहीं थी। खेती में नवीन तकनीकी के स्थान पर परम्परागत खेती होती थी। इसलिए यहां की अर्थव्यस्था मनीआर्डर पर निर्भर थी। शिक्षा के लिये पर्याप्त विद्यालय नहीं थे। वर्षा पर निर्भर खेती, व्यवसायिक शिक्षा का अभाव, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, आवागमन के लिए सड़कों का न होना जैसे कारणों से लोगों को पृथक राज्य की मांग करनी पड़ी।

उत्तराखण्ड राज्य तो बना लेकिन इस राज्य की दशा पहले से अधिक खराब हो गयी। राज्य स्थापना के बाद राज्य की बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में सौंप दी गयी जिनका पहाड़ी मानस, भूगोल से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। साथ ही यहां के स्थानीय राजनेता भी महत्वाकांक्षी अधिक हो गये और उत्तर प्रदेश राज्य में जिन राजनेताओं का कोई स्थान नहीं था वे भी येन केन अपने को स्थापित करने के लिये निजी स्वार्थ में लिप्त हो गये। फलतः जिन उद्देश्यों के लिये उत्तराखण्ड राज्य बना था वे नेपथ्य में चले गये। यहां पर धीरे-धीरे भ्रष्टाचार पुष्ठ होने लगा और पर्वतीय पृष्ठभूमि के राजनेता, अधिकारी व कर्मचारी भी अपनी जन्मभूमि को छोड़कर देहरादून, कोटद्वार, हल्द्वानी, खटीमा, काशीपुर में जमीन तलासने में व्यस्त हो गये और राज्य की शासन व्यवस्था दिशाहीन हो गयी और आज उत्तराखण्डवासी अपने ही वास में भूकानून, मूल निवास और रोजगार जैसे मुद्दों का हल ढूढ़ने के लिये एक और जन आंदोलन के लिए बाध्य हो रहा है। जब उत्तराखण्डवासियों ने उत्तराखण्ड आंदोलन के लिये संघर्ष किया तो उनकी मांग केवल पृथक पर्वतीय राज्य की मांग थी जिसमें केवल पर्वतीय क्षेत्र शामिल था। लेकिन मैदान प्रेमी यहां के जनप्रतिनिधियों ने केन्द्रीय नेतृत्व अर्थात केन्द्र सरकार द्वारा इस राज्य में हरिद्वार का मैदानी भाग और कुमायुं के मैदानी भाग को शामिल कर पृथक उत्तराखण्ड राज्य बना दिया। एक बार फिर मैदान व पहाड़ के बीच उत्तराखण्ड में विभाजन रेखा खींच दी और पहाड़ का एक सामान्यवासी अपने को ठगा महसूस करने लगा।उत्तराखण्ड राज्य पर्वतीय पृष्ठभूमि का राज्य है यहां का भूभाग पर्वतीय है इसलिये स्वाभाविक था कि इसकी राजधानी चिर परिचित गैरसैंण होती और सभी उत्तराखण्डवासी उस समय गैरसैंण पर एकमत भी थे क्योंकि यह गढ़वाल-कुमांयु का केन्द्र स्थल है, लेकिन सुविधा सम्पन्न लोगों के हितों को ध्यान में रखकर इसकी राजधानी देहरादून में बना दी गयी और राजधानी का स्थाई समाधान होने तक नयी राजधानी के लिए कुछ लाख/करोड़ रूपये रख दिये गये। जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। यदि हमारे राज्य को स्थापना के समय हिमाचल प्रदेश के जैसा दृढ़ मुख्यमंत्री मिलता तो आज हमें इन सब बातों के लिये मोहताज नहीं होना पड़ता। न भूकानून, न मूल निवास की आवश्यकता होती क्योंकि तब मैदान में जगह ढूढ़ने वाले गैरसैंण में जगह तलासते जो हर एक के लिए सम्भव न होता (शारीरिक व मानसिक दृष्टिकोण से) स्थानीय लोगों को व्यवसाय मिलता।

उत्तराखण्डवासियों की विड़म्बना यह रही कि शुरू से ही यहां के मूल निवासी, जो मैदानों में अच्छे पदों पर आसीन रहे उन्होंने यहां की सुध नहीं ली अन्यथा कुछ परिवर्तन होता, ऐसे नौकरशाह, जनप्रतिनिधि कभी कभार एक चक्कर अपनी जन्मभूमि का अवलोकन कर चलते बने। क्योंकि यहां के ग्रामवासी पैदाइसी दुश्वारियों को झेलते हुए जीते हैं। उत्तराखण्ड का सही दशा और दिशा की ओर ले जाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाना चाहिए। राज्य की राजधानी को गैरसैंण में ही स्थापित किया जाय वहां पर मूलभूत प्राथमिक जरूरतें तो है ही। विधान भवन, पानी, सड़के, स्कूल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल आदि। धीरे-धीरे अन्य सुविधायें जुटायी जा सकती है। आवश्यकता दृढ़ संकल्प शक्ति की है। वन्य हिसंक जीवों से खेती व स्थानीय वासियों को मुक्ति दिलायी जाय। जब तक गांवों में हिसंक वन्य जीवों का आतंक रहेगा गांवों को समृद्ध नहीं किया जा सकता। **शेष पृष्ठ** 9 पर

स्वकल्याण के वजाय सर्वकल्याण की.....

8 का शेष भाग,

वन्य जीव विहार की सीमा को सीमित किया जाय। वन विभाग को उपकरणों से सुसज्जित कर, वनों में वन्य जीवों के पर्याप्त आहार, हिसंक वन्य जीवों को मारने के तुरन्त आदेश हो। रोजाना अखबारों, न्यूज चैनलों में आदमखोरों के आंतक के समाचार इस पीड़ा को बढ़ाते है।

वन हमारे राज्य की आय का प्रमुख स्रोत है। हमारे सम्पूर्ण भूभाग के 63 प्रतिशत से अधिक भाग में वन है। वनों को नियोजित ढंग से उपयोग कर राजस्व को बढ़ाने की योजना बनें। वनों में चौड़ी पत्ती वाले पौधाों का रोपण किया जाना चाहिए। चीड़ के वनों के स्थान पर शनै-शनै नये पौधों का रोपण हो। स्थानीयवासियों को भी हक हकूक मिलता रहे। बांध वाले स्थानों पर भूक्षरण रोकने के लिये वृहद वृक्षारोपण भी जरूरी है। वनों से औषधीयों, जलौनी लकड़ी, भोजन पदार्थों कृषि उपकरणों के लिये तो हम पहले से ही वनों पर निर्भर रहे हैं और रहेंगे।

शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव जरूरी हैं नई शिक्षा नीति में कुछ बिन्दुओं पर ध्यान दिया गया है। गांवों के लोगों को तो सरकारी विद्यालय ही शिक्षा के मंदिर है इन मंदिरों की दशा और दिशा बदली जाय। सभी विद्यालयों में समान पाठयक्रम निर्धारित किया जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लॉक में प्राथमिक से माध्यमिक तक एक आदर्श इण्टर कॉलेज हो जहां पर छात्रों को ब्लॉक स्तर पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश हो, जिससे ब्लॉक स्तर के विद्यार्थीयों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले अध्यापकों के पहले प्रमोशन, फिर स्थानान्तरण हो तत्पश्चात नियुक्तियां हो। माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों के प्रमोशन के समय पात्र अध्यापकों की विभागीय परीक्षा हो। विद्यालयों को ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाय जहां भौतिक सुविधायें हो। दूरस्थ ग्रामीण बच्चों के लिये आवागमन हेतु वाहनों की व्यवस्था की जाय। शिक्षकों के लिये पृथक चयन आयोग बनें। स्वास्थ्य के लिए व्यवस्थाओं को सुधार की आवश्यकता है प्रतिदिन गांवों के लोगों को उपचार न मिलने पर उनकी मृत्यु के समाचार, प्रसूताओं की समय-समय पर स्वास्थ्य जांच की जा सके ऐसी व्यवस्था हो। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पर्याप्त चिकित्स्क व स्टाफ एवम् सचल वाहन, पर्याप्त औषधि की व्यवस्था हो।

पर्यटन उत्तराखण्ड का मुख्य व्यवसाय समय के साथ बनता जा रहा है। यहां पर पर्यटक धार्मिक यात्राओं एवम् पर्वतों की आवोहवा का आनन्द लेने आते रहे है और आते रहेंगे। पर्यटकों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि दर्ज की जाती रही है। पर्यटन और पर्यावरण के बीच सामंजस्य जरूरी हो जाता है। यात्रियों को पर्यावरण के प्रति सचेत किया जाय। हमारे यहां अनके धार्मिक, ऐतिहासिक स्थान हैं जहां पर सुविधाओं का विस्तार हो। लैंसडौन, मसूरी, नैनीताल, नयी टिहरी, कौसानी, अल्मोड़ा, पिथोरागढ़, रानीखेत, बागेश्वर, घूमने योग्य स्थान हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री धार्मिक स्थान हैं। ये सभी स्थान स्थानीय लोगों की आजीविका का माध्यम भी हैं। वर्तमान में टिहरी बांध झील पर्यटकों के नौकायन की मुख्य जगह बन गयी है। यहां पर बोटिंग के लिये कभी-कभी लम्बे समय तक इंतजार करनी पड़ती है।

हमारी मातृशक्ति प्रचीन समय से ही परिवार की महत्वपूर्ण धुरी रही है। प्रारम्भ से ही यहां के पुरूष रोजगार के लिये बाहर जाते थे। परिवार की सारी जिम्मेदारी महिलायें पूरा करती हैं। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं को स्वालम्बी बनाया जाता है। गांवों में स्थानीय उत्पादों के विपणन के लिये छोटे-छोटे स्वयं सहायता समूह सरकारी अनुदान से स्थापित कर सकते हैं। उत्तराखण्ड को आदर्श राज्य बनाने के लिये ईमानदारी से पहल की जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में युवकों को सरकारी छूट देकर कम ब्याज पर ऋण दिया जाय। जो उन्हें आसानी से मिले। समय-समय पर उनके कार्यों पर श्रवण भी हो। गैर सरकारी संस्थाओं को कभी-कभी सरकारी धन भी दिया जाता है। उत्तराखण्ड भूकम्प की दृष्टि से संवेदनशील प्रदेश है।

यहां पर केन्द्र सरकार की मदद से अनके जल विद्युत परियोजनायें बन गयी है और बनती जा रही है ऐसी योजनाओं से अनेकों बार धन-जन की क्षति हो चुकी है। बड़ी जल विद्युत परियोजना के स्थान पर छोटी-छोटी पन बिजली योजनायें बनें। आने वाले समय में ग्लेशियर पिघलने से इन बड़ी परियोजनाओं से वांछित पूरा लाभ नहीं मिल पायेगा। जबकि हम एक बड़ी धनराशि ऋण या सहायता लेकर इनको बना रहे हैं हमारी नदियां सदानीरा है एक अनुमान के अनुसार हमारी नदियों से 22575 घनमीटर पानी बहता है, जिसमें अलकनन्दा नदी का 22 प्रतिशत हिस्सा है। आवश्यकता इस पानी के नियोजित उपयोग की हो। इस पानी का सिंचाई के लिए भी उपयोग हो। वर्षा जल के लिये चैकडैम, खाल, तालाब बनाकर संचित करने की योजना बनें और पहाड़ी ढलानों पर वृक्ष रोपित कर उनको वनाग्नि से बचाकर बड़े होने तक निरन्तर देखरेख हो। हम अपने राज्य को सही दिशा दे तभी राज्य की दशा सुधर सकती है। योग्य अभ्यर्थी को सरकारी सेवा मिले। भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगे। परिश्रमी लोगों को पुरस्कार मिले। पुरस्कार का अर्थ है उन्हें बिना किसी परेशानी के मूलभूत सुविधाायें मिलें। पशुपालन, मौनपालन, भेड़पालन, बकरीपालन रोजगार को बढ़ावा दिया जाय। कृषि उपजों के विपणन की समय पर सरकार व्यवस्था करें। कृषि कार्य हेतु उन्नत बीज, खाद, रसायन समय पर किसान को मिले।

अन्त में यदि समय रहते हमें उत्तराखण्ड की सही दिशा और दिशा में ले जाना है तो हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। स्वकल्याण की भावना को त्यागकर सर्वकल्याण की भावना को साकार कर पर्वतीय मानस के हित में कार्य करना होगा। भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद पर प्रभावी नियन्त्रण हो। सरकारी योजनाओं को जन साधारण तक पहुंच हो। तभी हमारा उत्तराखण्ड एक समृद्धशाली प्रदेश बन सकेगा।

वार्ड-२३
शिब्बूनगर कोटद्वार

हर तरफ च विकास कु हल्ला, पहाड़ पर च पलायन कि मार

- स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार के अभाव में पहाड़ से बदस्तूर जारी है पलायन
- बिना जांचे-परखे लागू की गई सरकारी योजनाएं भी विकास में नाकाम हुई साबित

(रोहित लखेड़ा)

'बंद सौ किवाड़ हैं उजड़ रहे पहाड़ हैं
सवाल बरकरार है कि कौन जिम्मेदार है,
लूटा है पहाड, सत्ता के चाकरों ने
अब लूटेंगे क्या? बस ये सवाल है'

पहाड़ की यह स्थिति आज के उस दौर में बनी है, जब एक तरफ आधुनिक भारत के विकास का शोर गूंज रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार के अभाव में पहाड़ पलायन का दंश झेल रहा है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 16 वर्षों में आठ लाख 37 हजार लोग पहाड़ से पलायन कर चुके हैं। यह आकंडा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड में 1700 ऐसे गांव है, जो भूतहा हो चुके हैं। पांच सौ से अधिक गांव की आबादी मात्र पचास फीसद ही रह गयी है। उत्तराखंड में बिना जांचे-परखे लागू की गई सरकारी योजनाएं भी पलायन को रोकने में नाकाम साबित हो रही हैं। सैकड़ों पहाड़ियों की शहादत के बाद अस्तित्व में आये राज्य उत्तराखंड का भविष्य क्या होगा यह बड़ा सवाल है। जबकि, अब प्रदेश में भू-कानून व मूलनिवास जैसे मुद्दे भी सुलगने लगे हैं। 1815 में जब कुमाऊ की सत्ता गोरखाओं के हाथ से अंग्रेजों के हाथ में गई। तभी से पहाड़ियों के मन में अलग राज्य की भावना जागने लगी। जून 1897 में जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया अल्मोड़ा के राजकीय हाईस्कूल में पहुंची तो पहाड़ के बुद्धिजीवियों ने उन्हें बधाई पत्र के साथ ही कुमाऊं को अलग प्रांत बनाने का पत्र सौंपा। तर्क दिया गया कि बोली, संस्कृति व सभ्यता के आधार पर पहाड़ को अलग प्रांत बनाया जाना चाहिए। महारानी विक्टोरिया ने ज्ञापन तो स्वीकार किया। लेकिन, इसपर कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पूरा पहाड़ स्वाधीनता के साथ अलग राज्य की लड़ाई भी लड़ता रहा। वर्ष 1938 में श्रीनगर में हुए कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन में भी अलग राज्य का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन, कुछ हाथ नहीं लगा। 1947 में अलग पहाड़ी राज्य के मुद्दे को संसद में उठाया गया। लेकिन, यहां पहाड़ से आने वाले पंडित गोविंद भाई बल्लभ ही इसका विरोध करने लगे। पंत का कहना था कि पहाड़ का विकास मैदान के साथ ही रहकर हो सकता है। वर्ष 1979 में मसूरी में पर्वतीय जन विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी डीडी पंत को दी गई। 1980 में दल ने संजय गांधी के समक्ष अलग पहाड़ी राज्य बनाने की मांग रखी। संजय गांधी ने आश्वासन दिया कि चुनाव जीत के बाद वह इसपर विचार करेंगे। लेकिन, उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। उत्तराखंड क्रांति दल धरातल पर लगातार आंदोलन की चिंगारी को हवा देते रहा। 1987 में लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया कि भाजपा छोटे राज्यों की लड़ाई के लिए चल रहे आंदोलन को अपना समर्थन देगी। इसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल को भाजपा का समर्थन मिलने लगा। राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन मिलने के बाद आंदोलन तेज हुआ। 1994 में उक्रांद ने टिहरी के जखोली में आमरण अनशन शुरू किया। बावजूद इसके सरकार झुकने को तैयार नहीं थी। सितंबर 1994 को हुए खटीमा व मसूरी कांड ने पहाड़ियों के इस आंदोलन को और अधिक धार दी। नतीजा, लोकसभा से विधानसभा तक उत्तराखंड राज्य गठन की आवाज पहुंची। दो अक्टूबर 1994 को वह मनहूस दिन था। जब राज्य गठन के लिए संघर्ष कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे में गोलियां बरसाई और कई आंदोलनकारी महिलाओं की अस्मिता तक लूटी गई। फिर भी आंदोलन की चिंगारी कम न हुई। पहाड़ से लगातार अलग राज्य गठन की आवाज लगातार गूंजती रही। 15 अगस्त 1996 में लाल किले से तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की बात कही। एक अगस्त 2000 की शाम पांच बजे इस प्रस्ताव को पास किया गया। लोकसभा से अलग राज्य की मुहर लगते ही पहाड़ खुशी से झूम उठा। नौ नवंबर 2000 को उत्तराखंड का जन्म हुआ। कई दशकों की लंबी लड़ाई व कुर्बानियों के बाद मिले उत्तराखंड की दशा आज लगातार बिगड़ती जा रही है। पहाड़ियों के गांव छोड़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है।

23 सालों में 514 बने गुलदार का शिकार

मूलभूत सुविधाओं की मार झेल रहे उत्तराखंडियों पर जंगली जानवर भी भारी पड़ रहे हैं। चंद सप्ताह पूर्व ही विकास खंड खिर्सू के ग्राम पंचायत ग्वाड़ में गुलदार ने एक 11 साल के बच्चे को अपना निवाला बना दिया था। गुलदार लगातार बच्चों व बुजुर्गों को अपना शिकार बनाता जा रहा है। गांव में रह रहे पहाड़ियों के जिगर के टुकड़े भी सुरक्षित नहीं है। मानव-वन्य जीव संघर्ष को रोकने में सरकारें भी पूरी तरह नाकाम नजर आ रही है। हाकीकत तो यह है कि सरकार व वन विभाग के पास गांव में घूम रहे गुलदारों की गणना का कोई डाटा तक नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2000 से अब तक गुलदार 514 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। जबकि 1868 लोग जंगली जानवरों के हमले में घायल हुए हैं।

भू-कानून की उठ रही मांग

उत्तराखंड में भू-कानून व मूलनिवास की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। पहाड़ी सरकार से बाहरी राज्यों के लोगों को बेची गई भूमि व उन्हें लीज पर दी गई सरकारी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करने की भी मांग उठा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि प्रदेश में उद्योग के नाम पर बड़ी संख्या में भूमि बाहरी लोगों को बेची गई है। ऐसे में अब उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता व बोली को बचाने के लिए भू-कानून व मूलनिवास का लागू होना अति आवश्यक है। इसके लिए हल्द्वानी, टिहरी व कोटद्वार में भी एक बड़ी रैली देखने को मिली।

विकास के लिए मेरा एक सुझाव

- आज उत्तराखंड में पर्यटक स्थलों की संख्या बढ़ाने के साथ ही इन्हें बेहतर तरीके से विकसित करने की आवश्यकता है। चार धाम रूट को छोड़ दें तो नैनीताल, मसूरी, लैंसडौन जैसे पर्यटक स्थलों को अंग्रेजों ने विकसित किया था। लेकिन, सरकार ने अन्य पर्यटक स्थलों को विकसित करने की सुध नहीं ली। यही नहीं पहले से बने पर्यटक स्थलों का भी ठीक से विकास नहीं किया गया।

- स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। पहाड़ में हमारे पास जो संसाधन हैं उन्हें रोजगार के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। बागवानी से जुड़े उत्पाद जैसे सब्जी, जड़ी-बूटी व फल आदि एक बेहतर स्वरोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। इसमें चकबंदी भी एक बेहतर विकल्प बन सकता है।

- आवश्यकता है पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सक व विद्यालयों में स्वरोजगार परक कोर्सों को पढ़ाने की

- हमारी धार्मिक संस्कृतिक व सभ्यता से जुड़े पर्यटक स्थलों के विकास की योजना बनाई जानी चाहिए।

- जब प्लास्टिक पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचा रहा है तो उसका विकल्प दिया जा सकता है। इसके लिए पहाड़ों में होने वाले बांस व अन्य कई वस्तुओं का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। बांस की कंडी की भी काफी डिमांड बढ़ रही है। इसके लिए जगह-जगह प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने चाहिये जिससे महिला समूह को बेहतर अवसर मिल सकता है। पहाड़ों में चीड़ की पत्तियां काफी मात्रा में उपलब्ध हैं जिनका रोजगार में प्रयोग किया जा सकता है।

मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र उनियाल मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट का जिन्होंने उत्तराखंड दशा और दिशा विषय पर लेख प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। इससे कहीं न कहीं प्रदेश के युवाओं को एक बेहतर अवसर प्राप्त होगा।

पता: सिताबपुर डबराल कॉलोनी कोटद्वार
मोन.9997897663

उत्तराखंड की पहचान पहाड, मौसम, नदियां, पर्वत, जंगल और वादियों को संरक्षित करना होगा

सचिन तिवारी, हरिद्वार

हजारों लोगों के संघर्षों त्याग और बलिदान के बाद 23 साल पहले उत्तर प्रदेश को विभाजित कर उत्तराखंड भारत संघ का 27वां राज्य घोषित किया गया था, उस समय उत्तराखंड के साथ-साथ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से अलग हुए झारखंड जैसे नए राज्यों का भी उदय हुआ था। उत्तराखंड बनाने के पीछे इस प्रदेश की जनता ने एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने लगातार जन आंदोलन किया धरना प्रदर्शन किया जेल भी गए और गोलियां भी खाई, जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी आज कहीं ना कहीं उत्तराखंड उन उद्देश्यों को भूलकर दूसरी दिशा में अग्रसर होता दिख रहा है, जो प्रगति और विकास के वादे किए गए थे कहीं ना कहीं 23 साल बाद भी आज वह वादे अधूरे नजर आ रहे हैं, उत्तराखंड की इस यात्रा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है वह यह है कि राज्य बनने के बाद अभी तक इस प्रदेश ने कितना विकास किया और कौन-कौन सी उपलब्धियां हासिल की, उत्तराखंड राज्य अलग होने के बाद बारी-बारी से कांग्रेस और भाजपा दोनों ने राज किया और दोनों के ही अपने-अपने विकास के दावे हैं। उत्तराखंड में काफी काम हुआ लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर कमियां दिखाई दे रही हैं लोगों में रोष भी देखने को मिल रहा है क्योंकि जो बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य हैं, वह आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां तक नहीं पहुंच पाई हैं, ऐसे में उत्तराखंड की जनता के अंदर रोष का दिखना स्वाभाविक है, कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी सड़क नहीं पहुंच पाई है वहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी देखने को मिल रही है हाल में ही कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिन में कहीं बच्चे शिक्षा के लिए नदी नालों को रस्सी के सहारे पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं स्वास्थ्य के लिए मरीज को चारपाई में लेट कर चार लोग ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में उत्तराखंड में विकास की दुहाई देना कितना सही है यह आप स्वयं से निर्णय कर सकते हैं।

उत्तराखंड के लिए जिन राज्य आंदोलनकारी लोगों ने अपना सर्वस्व न्योछावर करके आंदोलन किया था जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी कहीं ना कहीं आज उनको भारी निराशा का सामना करना पड़ रहा है, अक्सर हम सब उत्तराखंड के पलायन की समस्या को सुनते रहते हैं राजनीतिक पार्टियां और नेता अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार उत्तराखंड के पलायन का प्रयोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए अक्सर करते हुए दिखते रहते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी समस्या का समाधान 23 वर्षों में अभी तक क्यों नहीं हो पाया है, तो इसका सीधा सा एक ही जवाब है कि उत्तराखंड के गांव से जहां से पलायन हो रहा है वहां तक बुनियादी सुविधाओं का न पहुंचना। आज उत्तराखंड में कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं उत्तराखंड की कृषि व्यवस्था जो गांव पर आधारित थी आज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और उसका कहीं ना कहीं पलायन बड़ा जिम्मेदार माना जा सकता है, आज उत्तराखंड के ज्यादातर लोग नीचे शहरों में अपना आशियाना बनाकर बैठे हैं। उनका यही कहना है कि गांव में जब हमें ना तो अच्छी शिक्षा मिलेगी ना रोजगार मिलेगा और ना स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी तो कैसे रहा जा सकता है, राजनी. तिक पार्टियां अपने-अपने दावे आंकड़े पेश करती रहती हैं, आर्थिक विकास दर हो या प्रति व्यक्ति आय हो पार्टियां अक्सर खुद का श्रेय लेने में लगी रहती हैं , जबकि सच्चाई इन खोखले आंकड़ों से मिलों दूर है औद्योगिक इकाइयों की बात की जाए तो उत्तराखंड के कुछ इलाकों में सिडकुल की स्थापना करके कई सारी कंपनियों और फैक्ट्रीयो को राज्य में आमंत्रित किया गया है, लेकिन यह सब प्लेन इलाकों में होने के कारण उत्तराखंड के पहाड़ी गांव इससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। आज उत्तराखंड में जल जंगल जमीन तीनों का दोहन लगातार जारी है, पर्यावरण की बात की जाए तो पर्यावरण पूरी तरह से नष्ट होता दिख रहा है। कहीं अतिवृष्टि होती है तो कहीं पर बादल फटने की घटनाएं देखने को मिलती हैं कहीं कहीं पर भूकंप जैसी आपदाएं भी देखने को मिल रही हैं।

2013 में हुई केदारनाथ त्रासदी इसका एक उदाहरण थी अभी हाल में ही जोशीमठ में जिस तरह की घटना देखने को मिली उससे पर्यावरण की असमानता को साफ समझा जा सकता है, हिमालय की पर्यावरण प्रणाली पूरी तरह से नदियों, पहाड़ों, जंगलों, वनस्पति जीव जंतु, गांव और खलिहानों पर आधारित है जिनका पूरी तरह से दोहन किया जा रहा है। आज जगह-जगह नदियों में बांध बनाना पहाड़ों में सुरंग का निर्माण करना और जंगल का लगातार काटना यह बड़ी समस्या है जिससे सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश प्रभावित होता है। रोजगार की बात की जाए तो उत्तराखंड का युवा आज अलग-अलग शहरों अलग-अलग देशों में जाकर रोजगार के अवसर तलाश रहा है, जबकि पहाड़ में उसको रोजगार की कमी का सामना करना पड़ रहा है ,चार धाम यात्रा उत्तराखंड के पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज उत्तराखंड जो कि देवभूमि के नाम से जानी जाती है वह अपनी अस्मिता को खोती नजर आ रही है।

उत्तराखंड में जिस तरह से शराब और नशे की बाढ़ देखने को मिल रही है वह एक बड़ी समस्या है, बड़े-बड़े दावों को करने वाली सरकारी नशे की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में पर्याप्त कदम नहीं उठा पाई है। जिसकी वजह से आज जगह-जगह नशे की बिक्री होती दिखाई दे रही है। राज्य में अगर प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों की बात की जाए तो वह न के बराबर है ,एक सर्वे के अनुसार दिल्ली एनसीआर रीजन में आईटी सेक्टर में काम कर रहे तकरीबन एक तिहाई कर्मचारी उत्तराखंड से हैं रोजगार के अवसर पर्याप्त न होने के कारण इनको अपना राज्य छोड़ना पड़ा है।

आज उत्तराखंड में जरूरत है नई नीतियां बनाने की जिसमें विकास के नाम पर विनाश लीला को समाप्त करके पर्यावरण पर आधारित विकास को प्राथमिकता देना चाहिए। क्योंकि दिशाहीन विकास स्थाई वास्तविकताओं और सीमाओं की उपेक्षा ही करता है, उत्तराखंड राज्य के पहाड़, जल, जंगल, जमीन अनमोल है और इस प्रदेश की पहचान है।

इसलिए हमें सारे विकास की योजनाओं को इनको ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को बचाकर ही सही मायने में स्थाई विकास की परिकल्पना की जा सकती है।

राज्य में जिस तरह से नदियों से बिजली उत्पादन किया जा रहा है यह एक लंबे समय से उत्तराखंड के लोगों में बहस का विषय बना हुआ है जानकारों की माने तो प्रदेश की नदियों पर हाइड्रोपॉवर परियोजनाओं की अपार संभावनाओं को दर्शाया गया है, लेकिन जैसे बार-बार आने वाली आपदाओं ने इस पर भी संदेह खड़ा कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से जोशीमठ की घटना हुई उससे पर्यावरणविदो के माथे पर चिंता की लकीर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में किसी भी विकास कार्य को करने के पहले पर्यावरण पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है, नीति निर्माता एवं विशेषज्ञों को यह जरूर तय कर लेना चाहिए की जरूरत ऊर्जा की है या पर्यावरण की। ऊर्जा और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन किस तरह बिठाना है यह शोध का विषय है। उत्तराखंड के लोगों को पलायन से बचाने के लिए सरकार को ऐसी योजनाओं पर जोर देना चाहिए जो उनको उनके गांव में ही रोजगार दे सकें। उत्तराखंड क्योंकि पर्यटन क्षेत्र है पर्यटन प्रदेश है इसलिए उत्तराखंड के अंदर नए पर्यटन क्षेत्र का विकास भी करना आवश्यक है, उत्तराखंड के गांव की सुंदरता और पहाड़ी संस्कृति को बढ़ावा देना भी उत्तराखंड के लिए वरदान साबित हो सकता है, उत्तराखंड के जो भी नीति निर्माता हैं उनको इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उत्तराखंड का युवा उत्तराखण्ड का भविष्य है इसलिए उत्तराखंड के युवा को नशे से बचना भी सरकारों की एक अहम जिम्मेदारी है। नशे की पूरी तरह से रोकथाम कर उत्तराखंड के युवा को एक सही दिशा प्रदान करना बहुत जरूरी है। आज उत्तराखंड जहां विकास की ओर दौड़ता जा रहा है वही वही विनाश की लीला भी देखता जा रहा है आज उत्तराखंड में किसी भी विकास के लिए जल जंगल जमीन इनको संरक्षित करना बहुत जरूरी है।

उत्तराखंड की पहचान उत्तराखंड के पहाड़ मौसम नदियां पर्वत जंगल और वादियां हैं जिनको संरक्षित करना उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।

उत्तराखण्ड राज्य निर्माण से अद्यतन दशा और दिशा काफी हद तक सराहनीय

लेखक-रोशन लाल बलूनी

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा,
हिमालयो नाम नगाधिराजः।
पूर्वापरी तोयानिधि
वगस्त्र स्थितः
पृथिव्याः इव मानदण्डः॥

वस्तुतः उत्तर दिशा में अवस्थित यह प्रदेश बेदों, पुराणों, उपनिषदों में केदारखण्ड (गढ़वाल) और कुर्मांचल (कुमाऊँ) नाम से वर्णित है।

खण्डाः पंच हिमालयस्य कथिताः,
नेपाल कूर्मांचलौ।
केदारोऽथा जालन्धरोऽथ रुचिर
काश्मीर संज्ञोऽन्तिमः॥

परन्तु तत्कालीन उत्तर प्रदेश से पृथक होने के लिए देवभूमि के वीरभड़ों ने समय-समय अपने शौर्य का परिचय दिया, साथ ही राजनीतिक आन्दोलनों से लोगों में चेतना जागृत की। इतिवृत्त में न जाते हुए बात करते है। राज्यगठन के लिए कई वर्षों तक आन्दोलन के फलस्वरुप 9 नवम्बर 2000 को भारत गणराज्य के सत्ताईसवें राज्य के रुप में उत्तराखण्ड (पूर्व नाम उत्तरांचल) राज्य अस्तित्व में आया। सन् 2000 से 2006 तक यह राज्य उत्तरांचल के नाम से जाना गया। जनवरी 2007 में उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता की भावनाओं को समझते हुए राज्य का आधिकारिक नाम परिवर्तित करके उत्तराखण्ड कर दिया गया । हिन्दी और संस्कृत में उत्तराखण्ड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या भाग होता है। राज्य में सनातन धर्म, हिन्दू रीति नीति को मानने वाले बहुसंख्यक हैं। इसे देवभूमि, वीरभूमि, ऋषिभूमि आदि नामों से भी जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी नदियों गंगा और यमुना के उद्गम स्थल क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री तथा इनके तटों पर बसे वैदिक संस्कृति-सभ्यता के कई महत्वपूर्ण तीर्थस्थान और ऐतिहा. सिक स्थल व हरिद्वार-ऋषिकेश जैसे धार्मिक नगर बसे है। उत्तराखण्ड का क्षेत्रफल 53,483 किलो मीटर, जनसंख्या घनत्व, 189 / किमी, 2 मंडल व 13 जनपद है, जिसकी जनसंख्या मौजूदा समय में 2001 की जनगणनानंसार 10,086,292 व उत्तराखण्ड की राजभाषा हिन्दी और द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। परन्तु क्या उत्तराखण्ड की इन २५ वर्षों में दशा और दिशा सुधरी ? यदि सुधरी है तो कितनी ? और कहाँ तक? ये कुछ यक्षप्रश्न हैं जिन पर हमें सिंहावलोकन करना आवश्यक हो जाता है। उतराखण्ड पर्वतीय राज्य हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति औषधियां, पर्वत पहाड़, नद नदी, निर्झर झरने वन-उपवन, चरागाह बुगयालों से सुसज्जित उत्तुंग शिखर, राष्ट्रीय उद्यानों सहित वन से आच्छादित भूभाग है। राज्य का अधिकांश उत्तरी भाग बृहदत्तर हिमालय श्रृंखला का भाग है, जो ऊंची हिमालयी चोटियों और हिमनदों से आवृत्त है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हम वनसंपदा, नदी संपदा, और हिमशिखरों की सुरक्षा और संरक्षण संवर्धन कर पाने में सामर्थ्यहीन है क्यों ? हिमालय के विशेष पारिस्थितिक तंत्र बडी संख्या में पशुओं (जैसे हिम तेंदुआ, तेंदुआ बाघ, भडल आदि) पौधों और दुर्लभ जड़ी बूटियों का हार है, परन्तु पलायनी प्रवृत्ति के कारण आज इन भयंकर जानवरों का घर हिमालय से होता हुआ रैन बसेरे गाँवों तक पहुँच गया है, और कहीं न कहीं यह समस्या ग्रामीणों के लिए बन गई है।

शेष पृष्ठ 11 पर

उत्तराखण्ड राज्य निर्माण से अद्यतन दशा.....

पृष्ठ 10 **का शेष भाग,**

देवभूमि उत्तराखण्ड स्वर्गवित् सुन्दर सुभग है जहाँ हिमशिखरों में गंगोत्री, दूनगिरी, बंदरपूंछ, चौखम्बा, कामेट, सतोपन्थ, नन्दा कोट, माण, मृगथनी, यूंगरागट, पंचाचूली आदि है, तो हिमनद गंगोत्री, यमुनोत्री, पिण्डारी, खतलिंग, मिलम, ज्यौलिकांग आदि हैं। झीले- नैनीताल, भीमताल, श्यामला ताल, हरीश ताल, लोखम ताल, पार्वती ताल आदि हैं तो, दर्रे नीति माना, कुरंगी- तुरंगी, लिपुलेख, थांगला, ट्रेलपास, रालमपास, मरहीला, चिरीचुन आदि आते हैं।

पर्यटन उद्योग की दृष्टि से हमारे पास एक से बढ़कर एक स्थान है। कई जगहों को सरकारों ने विकसित किया है, परन्तु जिस द्रुत गति से विकास होना चाहिए था उसकी गति धीमी हो रही, जिसके लिए ठोस नीति बननी चाहिये थी, जो समय रहते नहीं बनी। और पहाड़ के पहाड़, गाँव के गांव वीरान, भूतिया गाँव की श्रेणी में आ गये, यदि लोग ही पहाड़ों में नहीं रहेंगे तो पहाड़ों की सुध कौन लेगा? उत्तराखण्ड की दशा और दिशा क्या होगी ? उसका दूरगामी परिणाम आज सामने ऐसा नहीं है कि उत्तराखण्ड बनने के बाद सकारात्मक चीजें नहीं बदली, राज्यगठन से पूर्व पर्वतीय भाग से अर्थात उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश की राजनीति और सरकारी नौकरियों में हमारा प्रतिनिधित्व दशांश ही रहा। उत्तराखण्ड बनने के बाद हमारा अपना विधान, निशान, और कमान स्वयं था। विधानसभा में जो भी कानून और नीतियों को अमली जामा पहनाया गया उन्हें उत्तराखण्ड की जनता को और उत्तराखण्ड के भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान व क्षेत्रों में रखकर युवाओं केन्द्रस्थ किया गया। संगठित और असंगठित दोनों को नौकरियों मिली, रहन सहन, खान-पान, सामा. जिक स्थिति में सुधार अवश्य हुआ। बड़ी-बड़ी कंपनियों ने उत्तराखण्ड को अपना औद्योगिक केन्द्र चुना। खेल, संस्कृति, भूगोल, भाषाएँ, राजनीति सभी क्षेत्रों में काम हुआ, इसे कतई नकारा नहीं जा सकता है, परन्तु, फिर भी यक्षप्रश्न उठते हैं कि इतना सब कुछ संप्राप्ति के बाद भी गौ खाली क्यों ? शिवालिक उपत्यकाओं के तुरन्त बाद के स्थान भाबर से तराई जो कभी पहाड़ों के लिए अन्न उत्पन्न करने के लिए वरदान सिंह होते थे, वे आज पहाडों के लिए अभिशाप से क्यों लगने लगे जैसे- कोटद्वार, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश में सर्वाधिक पहाड़ से पलायन क्यों हुआ? क्या लोगों को नौकरियों प्राप्त होते ही, स्टेटस सुधरते ही लोगों गाँव छोड़ दिये? या फिर सरकारों का ध्यान केवल बेहरादून तक सीमित रख इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

दरअसल सन् 2000 से पहाड़ों को केन्द्रस्थ करके कोई नीति होगी जे बनाई गयी होगी वरना कोई ठोस नीति मुझे लगती नहीं है कि जो बनी है क्या कारण है कि उत्तराखण्ड प्रदेश २५ वर्षों में ग्यारह (मुख्यमंत्री देने के बावजूद स्वयं उत्तराखण्ड सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के करीब 1700 गाँ भूतिया गाँव घोषित हो चुके हैं। ऐसे में उत्तराखण्ड की दिशा और दशा क्या होगी भविष्य में यह सब भविष्य के गर्त में दिया है। सरकारों ने बहुत सी अच्छी योजनाएँ, जो लोक कल्याणकारी हैं, उन्हें उत्तराखण्ड वासियों को दी जो इस प्रकार हैं- जननी सुरक्षा योजना, वन्देमातरम् योजना किशोरी शक्ति योजना, जो 2001 में शुरु की गयी जिसका उद्देश्य 18 वर्ष की बालिकाओं के सर्वांगीण विकासार्थ थी, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना, (19 नवम्बर 2010) स्वशक्ति योजना (2002) सबला योजना, 2020 मोनाल योजना (11-18 वर्षीय किशोरियों के कौशल निर्माणार्थ आपातकालीन सेवा योजना जो अद्यतन चल रही है (15 मई 2008) रहबर, योजना, आगेहरी परियोजना, 104 निःशुल्क प्रामर्शी योजना, (मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, (मार्च 2019) होम स्टे योजना (20 अप्रैल 2018) इस योजना का नाम पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना (25 दिसंबर 2016) इस योजना का प्रारम्भ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 25 दिसम्बर को सभी उत्तराखण्ड वासियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की है, उत्तराखण्ड निःशुल्क सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बना। इसी तरह चारधाम राजमार्ग विकास योजना (27 दिसंबर 2016) पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु-पितु तीर्थाटन योजना (21 जुलाई 2017) इसमें पूर्व बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना (2005-25 सितंबर) लागू हुई थी। उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना (समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 15 अगस्त 2014 नंदा गौरा योजना (2 जून 2017) जननी सुरक्षा योजना (2005) वात्सल्य- योजना (2 अगस्त 2021) (मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (15 अगस्त 2019) उत्तराखण्ड वैष्णवी सुरक्षा योजना (24 जनवरी 2018) यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 से संबंधित है। जायका परियोजना (2014) सौभाग्य योजना (1 मार्च 2018) मुख्यमन्त्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना, मेगा टेक्सटाइल नीति 2021, मुख्यमंत्री स्वरोजगार- योजना, पशुधन बीमा योजना, राज्य में पर्यटन विकास की अपार संभावनाओं के चलते सरकार ने ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होमस्टे अनुदान योजना शुरु की। वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, भारत सरकार की प्रसाद- योजना, राज्य में किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से दीनदयाल-उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना संचालित है। वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना, कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमन्त्री दाल पोषित योजना, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना, ओलवेदर रोड़ योजना, स्मार्ट सिटी योजना, पीएम स्ट्रीट वैन्डर्स-आत्मनिर्भर निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) खेल महाकुंभ घसियारी कल्याण योजना, उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना 2020 मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना, उत्तराखण्ड उदयमान दात्र योजना, उत्तराखण्ड पानी कनेक्शन योजना, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन् छात्रवृति योजना, फ्री लैपटॉप योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, सोलर पैनल योजना, विकलांग पेंशन योजना, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (अल्पसंख्यक) आदि गरीब कल्याण एवं आम आदमी के लिए व युवाओं- छात्रों के लिए कई योजनाएँ सरकार ने लागू की हैं। निश्चित ही इन योजनाओं का भरपूर लाभ जन सामान्य को मिल भी रहा है, लेकिन फिर भी उत्तराखण्ड अब युवा है, 24 वर्षीय हो चुका है, अतः युवाओं के लिए रोजगार के अन्य संसाधनों के लिए भी प्रदेश सरकार प्रयासरत है इस दिशा में सरकार का प्रयास सराहनीय है।

वस्तुतः उत्तराखण्ड की दशा पहले के मुकाबले काफी हद तक सुधरी है, युवाओं को संगठित क्षेत्र में बिना किसी भ्रष्टाचार के योग्यताधारित नियुक्तियां मिले, क्योंकि किसी भी राष्ट्र या राज्य की धुरी युवा होते हैं उन्ही से ही राज्य और राष्ट्र की दशा-दिशा तय होती है। उत्तराखण्ड में भी अपार संभावनाएँ हैं, राज्य कई मायनों में अन्य बड़े राज्यों के मुकाबले बहुत आगे हैं, एक समस्या जरुर सदैव मन कचोटती है, वह है पलायन, जो रुकने के बजाय दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सरकार को चाहिए कि इन्फ्रास्ट्रक्चर केवल मैदानी इलाकों के लिए ही नहीं हो, अपितु पर्वतीय भूभाग को देखकर नीतियाँ बननी चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, भिजली- पानी और रोजगार के लिए ठोस नीति पर्वतीय क्षेत्रों को दृष्टिगत रखते हुए बननी चाहिए। हालांकि ऊपर मैंने कई योजनाओं की सूची में कुछेक योजनाएँ पहाड़ी क्षेत्रों को उद्देश्य में रखकर बनाई गई हैं, फिर भी गाँव के गाँव खाली और, वीरान पड़े हैं। क्या योजनाएँ धरातल तक पहुँच रही हैं, इस दिशा में भू ध्यान देने की आवश्यकता है। उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के क्षेत्र में सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किये। गैरसैण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर एक अच्छी पहल कहीं जा सकती है। साहसिक खेलों की तरफ भी सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। केदारधाम का पुनर्निमाण, सड़क कनेक्टविटी, रेलवे मार्ग से सम्बंधित बहुत कार्य किये, जो निश्चित ही ऐतिहासिक हैं। जैविक खेती से लेकर, वोकल फोर लोकल के माध्यम से सरकार हमारी स्थानीय विशेषताओं को उभारना चाहती है, इस दिशा में कार्य सतत चल भी रहा है। बहुत से कई ऐसे फैक्टर हैं जो उत्तराखण्ड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी रखेंगे।

वास्तव में किसी भी राष्ट्र और राज्य संपूर्णता की ओर तब माना जाता है, जब वहाँ के युवाओं गरीबों, छात्रों, महिलाओं, वृद्धो, किसानों आदि सभी को सर्वसमावेशी होकर, इस उद्देश्य के साथ सरकार कार्य करती है।

एक और बात इससे भी बड़ी यह है कि केवल मानव कल्याण में केवल राज्यकल्याण हो जाता है? नहीं जब तक राज्य की वन संपदा, जल संपदा, (नदी संपदा) पर्वत-पहाड़ों का संरक्षण संवर्द्धन, प्रकृति का संरक्षण -संवर्द्धन, खनिज सम्पदा, तीर्थाटन, पर्यटन, वन्य जीव बिहार, अभ्यारण्यों आदि का सम्यक् रख-रखाव न हो तब तक वह राज्य. उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। सन् 2000 से अद्यतन सरकारों ने इस ओर भी ध्यान दिया है, उत्तराखण्ड देवभूमि भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, हिमस्खलन आदि दैवीय आपदाओं से हमेशा दो-चार होता रहता है, इसके लिए वैज्ञानिक सोच के साथ ठोस रणनीति बने जिससे केदारनाथ, ऋषिगंगा, व जोशीमठ जैसी दैवीय आपदाओं से कुछ रोकथाम हो सके। जहाँ हम रेल कनेक्टविटी कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, उडान कार्यक्रम (एयर कनेक्टविटी) ऑलवेदर रोड़ कनेक्टविटी से लोगों की मुसीबतों को कम करने और सुविधा सम्पन्न कर सके इस ओर सरकार भरपूर ध्यान दे रही है। कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नही आती, इससे कुछ हद तक मैं सहमति रखता हूँ क्योंकि पहाड़ का पानी मैदानी इलाकों को सिंचित, करता है, परन्तु उत्तराखण्ड में विद्युत आपूर्ति में सहायक भी है। पहाड़ की जवानी, देश सेवा में सबसे ज्यादा तत्पर रहती है। कुछ युवा रोजगार के लिए मैदानी इलाकों व बड़े शहरों की ओर उन्मुख जरूर है उनके लिए सरकार को कुछ और अधिक सोचना चाहिए, हालांकि वोकल फोर लोकल, अत्मनिर्भर भारत, स्किल इण्डिया, स्टार्टअप इडिया आदि योजनाओं से पहाड़ की जवानी को रोकने का कार्य सरकार ने किया है। ग्रामीण लोगों के लिए जहाँ होम स्टे जैसी, योजना है तो वहीं किसानों के लिए (एक लाख हेक्टेयर भूमि बंजर हो गई किसान पेंशन योजना लागू की है। उन्होंने पशुपालन और पारम्परिक खेती की तरफ विदेशों और बड़े शहरों के युवा इस क्षेत्र में आगे आये, और परिणाम स्वरुप पाँच से दस हजार हेक्टयर भूमि फिर से योग्य भूमि हो गई, जो कि उत्तराखंड के लिए अच्छा संकेत है। इसके लिए युवाओं ने रिस्क लेकर कृषि, बागवानी और पारंपरिक खेती को आगे बढ़ाया। इससे निश्चित रूप से पलायन वृत्ति रूकेगी और यह 24 वर्षीय का नौजवान केवल सेना में ही नहीं अपितु जय जवान जय किसान जय विज्ञान से उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ायेगा।

हां पलायन की समस्या राज्य निर्माण के बाद की समस्या नहीं है अपितु यह समस्या राज्य निर्माण से पूर्व से अद्यतन बनी हुई है। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य ये तीन प्रमुख कारण पलायन के होते हैं। जो लोगों को मजबूर करते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए हमने काफी काम किया है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, शिक्षकों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इनकी संख्या मैदानी इलाकों में ज्यादा है। माध्यमिक शिक्षा के लिए सरकार जहां केन्द्र की सहायता के के0वी0, पी0एम श्री और क्लस्टर विद्यालयों की तैयारी है वहीं लगभग 2000 गांव खाली हो चुके हैं यहां भी पलायनवृत्ति हावी है। अस्तु पहाड़ जितने सुंदर दिखने में है उतनी ही कठिन डगर भी है। उत्तराखण्ड के शैल-शिखर और शिवालिक श्रेणियों से बहती सुंदर सुहानी सर्द हवा पहाड़वासियों युवाओं, महिलाओं, नौजवानों की आस है। स्वयं मेरे शब्दों में इस आशा अपेक्षा के साथ कि-

अवनि में हिमवंत की सुंदर सुहानी सी हवा,
देवताओं की सभी रूचिकर रूहानी सी हवा।
शैल शिखरों से अभी उन्मुक्त होती है वही,प्राणियों की आस है अकसर पहाड़ों की हवा।।

(रचियता-रोशन बलूनी)

उपरोक्त पंक्तियां हमें आशावादी बनाती है, सरकारों ने इन 23-24 वर्षो में उत्तराखंड को 70-80 प्रतिशत आगे बढ़ाया, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, जैसें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि, बागवानी, तीर्थाटन, पर्यटन और पलायन पर सरकार ने बहुत सराहनीय से कार्य किया है। अतः हम आशावादी होकर कह सकते हैं कि उत्तराखण्ड राज्य निर्माण से अद्यतन दशा और दिशा काफी हद तक सराहनीय रहा है। हम यह मानकर चलते हैं कि उत्तराखण्ड का भविष्य काफी सुखद है और हम निश्चित ही देश के अग्रणी राज्यों की सूची में होगे।

प्रवक्ता-हिन्दी
अटल उत्कृष्ट रा.इ.कॉ. नौगांवखाल
मो. 805768948, 8854510126

पहाड़ों में रहने वालों को नमन करें और उनका सम्मान करें

दीपाली खाती

उत्तराखण्ड इस भारत देश का हृदय है। जिस हृदय में केवल देवों के नामों का जाप चलता रहता है। ये भूमि देवों की है जहां हर कार्य में देवताओं की सहमति की आवश्यकता होती है, यह बिल्कुल इस प्रकार है जैसे कोई किरायदार कमरे में कुछ भी परिवर्तन करने से पहले घर के मालिक को अवश्य पूछता है। उसी प्रकार हम उत्तराखंडवासी भी यही मानते हैं की हमारे हर कार्य में देवों की सहमति और उनका आशीर्वाद हमारे हर कार्य को सफल करेगा, आखिरकार हम उनकी ही भूमि में वास करते है इसलिए हर उत्तराखंडी के लिए उनका फैसला ही सर्वोपरी है।

भले ही आजकल की पीढ़ी इन चीजों को नहीं मानती है, परन्तु सत्य कभी नहीं छुपता है। आजकल की पीढ़ी तो बस भगवान होने के सबूत ही मांगती रहती है आजकल सब यही पूछता है की भगवान कहां हौं क्या वो सच में हैं भीट ? मैं उन लोगों को बस यही कहना चाहूंगी की वो लोग जो विश्वास नहीं करते हैं, वे जरा अपनी नजरों को उठाएं जो उनके फोन में लगी हुई हैं, और एक बार इन उत्तराखण्ड के पहाड़ों को देखें जो सर उठाएं खड़े हैं और बस यही कहते आए हैं की सदा अपने स्वाभिमान को ऊंचा रखें और पहाड़ों की ऊंचाई पर बने मंदिर जो इन पहाड़ों को शक्ति देते आएं हैं। वे मंदिर जो पहाड़ों की ऊंचाई पर बने हैं वे तो पूज्य हैं ही पर इस वजह से पहाड़ों को भी पूजा जाता है।

यहां की नदियां जिनका अलग-अलग उदगम स्थल है, लेकिन सभी नदियां आपस में संगम के बीच में मिलती हैं जो कि उत्तराखण्ड के मेल मिलाप की सभ्यता को भी दिखाती हैं। और सभी पवित्र नदियों का वास भी इसी देवभूमि में ही है। और इन नदियों को भी हमारे देश में पूज्य माना गया है। क्या यह काफी नहीं है की हम विश्वास कर पाएं की आजकल उत्तराखण्ड को देवों ने संभाल कर रखा हुआ है।

शेष पृष्ठ 12 पर

पहाड़ों में रहने वालों को नमन.....

11 **का शेष भाग,**

यहां की प्रकृति और प्राकृतिक खुशहाली साफ-साफ बयान करती है की क्यों उत्तराखण्ड को देवभूमि का दर्जा दिया गया है। एक राज्य की अलग होने की चाहत से लड़ाई लड़ता रहा, ताकि यहां के लोगों को उनका हक मिल सके। इसके लिए कई ऐसे महान सूपत हुए हैं जिन्होंने देवभूमि को उसका हक दिलाने के लिए अपनी जान भी देवों के नाम कर दी। उन महान सपूतों के बलिदान का ही परिणाम है की आज उत्तराखण्ड एक अलग राज्य बन पाया है। वो अग्नि जो उन वीर सपूतों के भीतर प्रज्वलित हुई होगी वो साधारण हो ही नहीं सकती है, एक असाधारण क्षमता का कार्य करना हर किसी के बस का नहीं।आजकल की पीढ़ी में वो अग्नि नहीं देखी जाती है जो अपने हक के लिए लड़ाई कर पाएं। जो किसी गलत चीज को तुरंत रोकने की क्षमता रखते हो। वे गलत होने दे है ताकि वे अपना मोबाइल खोल कर उसको एक ब्रेकिंग न्यूज बना सकें और कुछ लाइक्स के लिए उसको सोशल मीडिया का एक किस्सा बना सकें, ताकि लोग उस खबर को चाय की चुस्कियों के साथ घूंटकर पी जाएं और आखिर में कहें की चाय अच्छी थी।

समय-समय पर यहां के पहाड़ों ने यहां की प्रकृति ने हर प्रकार से यहां के लोगों की मदद की है। पर अब जब यहां के पहाड़ मदद को पुकार रहे हैं तो सबने कानों में हाथ लगा लिए हैं। अब बस लोग चौराहे पर चाय पीते हैं और कहते हैं की जिस पहाड़ी ने आजकल चाय नहीं पी वो असली पहाड़ी नहीं हैं।

तो असली पहाड़ी कौन हैं

वो जो पहाड़ों की पीड़ा देखकर भी चुप बैठा है, और सिर्फ सुबह शाम चाय पीता है, क्या सिर्फ एक चाय ये तय कर लेती है की असली नकली क्या है, अगर ये ही सच है तो वो कौन थे जिन्होंने अपने हक के लिए भूखहड़ताल की है, जिन्होंने एक बूंद पानी भी नहीं पिया सिर्फ इन पहाड़ों को बचाने के लिए, उत्तराखण्ड को उसका सम्मान दिलाने के लिए, जो उत्तराखण्ड के हक की लड़ाई में इतने अंधे हो गए थे की उनके लिए भूख प्यास सब मर गई थी और आज बस सोच यहीं तक है कि, चाय न पीने वाला पहाड़ी नहीं होता है। हम ऐसे राज्य का हिस्सा हैं जिस में लोगों ने जंगलों को भी अपना परिवार माना था और इनका बचाने के लिए खुद कटने के लिए तैयार थे। वो पेड़ों पर इस तरह से चिपक गए थे जैसे वो उनका ही परिवार हों और जैसे उन जंगलों को ये विश्वास दिला रहें हो कि जब तक हम हैं तब तक तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है। क्या होता अगर वो लोग उस समय चाय पी रहे होते और कहते की जंगल कट रहे है तो कटने दो। लेकिन यार जरा चाय में मीठा ठीक से डाला करो।

पहाड़ी केवल चाय पीने के लिए नहीं होते हैं, पहाड़ी होने से पहला मतलब यही है कि हम अपने पहाड़ों से प्यार करें। क्योंकि यहीं हमारी पहचान हैं, जब तक ये पहाड़ हैं तब तक हमारी पहचान एक पहाड़ी होती रहेगी। इन पहाड़ों को न बचाकर और इनका ध्यान न रखकर बस हम अपनी पहचान खत्म कर रहे है हमारे पास आज गर्व करने के लिए कुछ नहीं है।

या यूं कहें कि हम अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं होता है। आजकल सबसे बड़ी समस्या है पलायन। मेरा मानना है की कोई गलत नहीं है सब अपने विचारों से सही हैं सब चाहतें हैं की उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध हों। परंतु सोचने वाली बात यह है की लोगों ने जब जैसा चाहा वैसे करते गए, किसी ने सोचा की पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया जाए और ऐसा किया भी गया, इनके नीचे से सुरंग बनाई जाय, तो ये भी बनाई गई। लोगों को बसाया जाय वो बस भी गए, ऐसे में पुरानें लोगों को पहाड़ों से और पहाड़ों को लोगों से हमदर्दी हो गई थी। सबने सबको परिवार माना, लेकिन एक दिन सब अचानक से पहाड़ों को छोड़कर जाने लगें ये भी उनकी ही मर्जी रही।

आखिर में बात ये आती है की इन सबके बीच इन बेचारे पहाड़ों का क्या दोष रहा होगा जो आज उनकों सजा के तौर पर एक विरानी और सबकुछ पीछे छूटा हुआ दिखता है। लगाव होना केवल इंसानों के बीच की बात नहीं होती है, ये प्रकृति भी महसूस करती हैं क्योंकि हम सब आपस में बंध हुए हैं।

आज केवल पहाड़ों में वो लोग बसे हुए हैं जो लगाव को महसूस कर पाए और एक बड़े दिल के साथ वहीं उन कच्चे मकानों में रहते हैं। वहां रह रहे लोग जिनका परिवार उस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर शहर की ओर चले गए हैं और एक रिश्ता निभाने के लिए और शहर की गर्मी से बचने

के लिए गर्मियों की छुट्टियों में उस बिखरे हुए गांव में वापस आते हैं और कहते हैं की अरे अभी तक ये सड़क बन नहीं पाई पिछली बार भी नहीं बनी थी। उनके लिए बस यही जवाब है की बनाने वालों ने तो तोड़ दिया है नाता उस जगह से जहां उनका बचपन बीता था, और जो बूढ़े-बूढ़े रह रहें है वहां सदियों से उन्होंने सीख लिया है वैसे ही जीना।

हर कोई अपने बच्चों के लिए करता है जब उनके बच्चे वहां रह ही नहीं रहे हैं तो वो किसके लिए करेंगे और वो अपने लिए कुछ चाहते भी नहीं हैं वो बस खुश हैं की वो अपनी जड़ों से जुड़े हैं और मरते दम तक जुड़े रहेंगे। ये उनका पागलपन नहीं है की वो गांवों में अभावों के बीच जीवन जी रहें हैं ये उनका भाव है जो उनको पहाड़ों से दूर नहीं होने देता जिनकी वजह से आज भी पहाड़ों में थोड़ी रौनक है। मैं किसी सरकार का विरोध नहीं करती हूं की उन्होंने गांवों की तरफ ध्यान नहीं दिया मैं मानती हूं की जिन्होंने इन पहाड़ों को कभी अपना समझा होगा वो इनके लिए जरूरी नियम और कड़े कानून बनाएंगे ताकि कोई बाहरी व्यक्ति इनका गलत प्रयोग न कर पाए। ये पहाड़ ये संपदा ये देवों की भूमि सिर्फ यहां उसे उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो सच में कहीं न कहीं पहाड़ों से जुड़े हुए हैं जिन्होंने वो पहाड़ों के बीच रहने का संघर्ष देखा हो। न की वो लोग जो बाहर किसी बड़े आलीशान घरों में रह रहें हों और अपने मतलब के लिए यहां की चीजों का उपयोग कर रहे हों।

ऐसे लोग जो अपने फायदे के लिए यहां की जमीन खरीदते हैं और गलत तरीके से यहां की संपदा को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए की फर्क होता है घर की छांव में रहना और इन पेड़ों की छांव में जिंदगी काटने में।

आज उत्तराखण्ड की दशा और दिशा हम सबको दिख रही है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसके लिए हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने इन पहाड़ों को कभी अपना नहीं समझा। पैसा सबसे बड़ा होता है लेकिन अगर वो सब कुछ पहले जैसे कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी ये समय ये प्रकृति सबसे बड़ी है इसके सामने नतमस्तक रहकर हम सब कुछ बचा सकते हैं। जिस दिन हर उत्तराखण्ड वासी ये समझ जाएं की ये हमारे पहाड़, हमारी नदियां, हमारी संस्कृति ही हमारी असली संपदा हैं और यहीं है जिसको हमको बचाना चाहिए उस दिन से फिर से वो खुशहाली लौट आयेगी।

"उत्तराखण्ड की दशा और दिशा "

उत्तराखंड इस भारत देश का हृदय है। जिस हृदय में केवल देवों के नामों का जाप चलता रहता है । ये भूमि देवों की है जहां हर कार्य में देवताओं की सहमति की आवश्यकता होती है , यह बिल्कुल इस प्रकार है जैसे कोई किरायदार कमरे में कुछ भी परिवर्तन करने से पहले घर के मालिक को अवश्य पूछता है । उसी प्रकार हम उत्तराखंडवासी भी यही मानते हैं की हमारे हर कार्य में देवों की सहमति और उनका आशीर्वाद हमारे हर कार्य को सफल करेगा , आखिरकार हम उनकी ही भूमि में वास करते हैं इसलिए हर उत्तराखंडी के लिए उनका फैसला ही सर्वोपरि है ।

भले ही आजकल की पीढ़ी इन चीजों को नहीं मानती है, परंतु सत्य कभी नहीं छुपता है। आजकल की पीढ़ी तो बस भगवान होने के सबूत ही मांगती रहती है आजकल सब यही पूछते हैं की भगवान कहां हैं ? क्या वो सच में हैं भी ? मैं उन लोगों को बस यही कहना चाहूंगी की वो लोग जो विश्वास नहीं करतें हैं, वे ज़रा अपनी नज़रों को उठाएं जो उनके फोन में लगी हुई हैं , और एक बार इन उत्तराखण्ड के पहाड़ों को देखें जो सर उठाएं खड़े हैं और बस यही कहते आए हैं की सदा अपने स्वाभिमान को ऊंचा रखें । और पहाड़ों की ऊंचाई पर बने मंदिर जो इन पहाड़ों को शक्ति देते आएं हैं । वे मंदिर जो पहाड़ों की ऊंचाई पर बने हैं वे तो पूज्य हैं ही पर इस वजह से पहाड़ों को भी पूजा जाता है ।

यहां की नदियां जिनका अलग अलग उदगम स्थल है , लेकिन सभी नदियां आपस में संगम के बीच में मिलती हैं जो की उत्तराखण्ड के मेल मिलाप की सभ्यता को भी दिखाती हैं। और सभी पवित्र नदियों का वास भी इसी देवभूमि में ही है । और इन नदियों को भी हमारे देश में पूज्य माना गया है। क्या यह काफी नहीं है की हम विश्वास कर पाएं की आजतक उत्तराखण्ड को देवों ने संभाल कर रखा हुआ है । यहां की प्रकृति और प्राकृतिक खुशहाली साफ साफ बयान करती है की क्यों उत्तराखण्ड को देवभूमि का दर्जा दिया गया है।

एक राज्य जो अलग होने की चाहत से लड़ाई लड़ता रहा , ताकि यहां के लोगों को उनका हक़ मिल सके । इसके लिए कई ऐसे महान सपूत हुए हैं जिन्होंने देवभूमि को उसका हक दिलाने के लिए अपनी जान भी देवों के नाम कर दी । उन महान सपूतों के बलिदान का ही परिणाम है की आज उत्तराखण्ड एक अलग राज्य बन पाया है । वो अग्नि जो उन वीर सपूतों के भीतर प्रज्वलित हुई होगी वो साधारण हो ही नहीं सकती है , एक असाधारण क्षमता का कार्य करना हर किसी के बस नहीं।

दुनिया की सारी दौलत भी यहां के एक पहाड़ की बराबरी नहीं कर सकती है। लेकिन आश्चर्य ये है कि हर किसी की ऐसी सोच नहीं है धन सबको प्रिय है भले ही सब अपना अस्तित्व खो दे। यहां के धाम हर दिन यहां के वातावरण को पवित्र करते हैं यहीं आकर हर व्यक्ति एक अच्छी सांस ले पाता है। एक शांति अनुभव कर पाता है और इन चीजों से अतुल्य कुछ नहीं है। रावण को परास्त करने के बाद जब लक्ष्मणजी ने प्रभु राम जी को कहा की क्यों न वो कुछ दिन लंका में ही रूक जाए, तो इस पर प्रभु रामजी ने कहा था की जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गापदि गरीयसी अर्थात की हमारी जननी हमारा जन्मस्थान हमारे माता-पिता का स्थान स्वर्ग से भी ज्यादा बड़ा होता हैं, दुनिया के सारे सुख को मिलाकर भी हम वो सुख की अनुभूति नहीं कर पाएंगे जो हमको अपने घर पर अपनी जगह अपने परिवार के बीच होने से मिलता है।

इसलिए हर एक का फर्ज बनता है की इस देवभूमि को अपना माने हर एक व्यक्ति को अपना परिवार और इस भूमि के लिए सही फैसले लिए जाएं और गलत चीजों को सही करने का हमेशा प्रयास करतें रहें। और अपने हक की लड़ाई लड़े चाहे ये दुनिया आपको याद रखे या ना रखे लेकिन आप अगर उत्तराखण्ड के विकास के लिए कुछ कदम बढ़ाए तो एक बात अवश्य याद रखें की ये देवों की भूमि है ये आपको सदा याद रखेगी। चाहे आप अपना अगला जन्म लेकर भी क्यों न आए परंतु ये भूमि आपके स्वागत की सदैव प्रतीक्षा करेगी और अपना आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर रखेगी। मैं सरकार से यही निवेदन करती हूं की यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को हमेशा जीवित रखा जाए और पहाड़ियों की नहीं बल्कि इन पहाड़ों के हक में फैसले लिए जाएं क्योंकि इन्हीं की वजह से हम हैं हमारी वजह से ये नहीं है। और हर एक नागरिक जो पहाड़ों से कट चुके हैं अगर वो इस लेख को पढ़ पा रहे हैं तो मैं बस यही कहना चाहूंगी की हमारे पास आज सब कुछ है हमको आज कोई भूखहड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उन व्यंजनों को खाने की आवश्यकता है जो कभी बनाए जाते थे। हमको बस अपनी संस्कृति पर गर्व करने की आवश्यकता है। हमको जरूरत है अपने हक के लिए आवाज उठाने की, हमको जरूरत है जागरूक होने की। हमको जरूरत है अपने गांवो में जाकर उन्हीं पलों को जीने की जो कभी आपने जिए होंगे। देखिए यहीं बस जाना आज किसी के लिए संभव नहीं लेकिन छोटी-छोटी चीज कर सकते है जैसे हम अपनी पहचान बताएं तो गर्व से कहें की हां हम उस भूमि में रहते हैं जहां देवों का वास है, जहां से पूरे भारत को सींचने वाली पवित्र नदी गंगा निकलती हैं, जहां लोग अपनी प्रार्थना में कुछ न कुछ मांगने आते हैं, जहां लोग शांति की तलाश में आते हैं। और आखिर में मैं उन लोगों को शत-शत नमन करती हूं जो आज भी अपनी संस्कृति को भूले नहीं है और उन्हीं पहाड़ों में जीवन जी रहें हैं इस उम्मीद से की एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा ऐसे लोगों की उम्मीद को टूटने न दे वो लोग हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, जाए उनसे मिलें और उनको उनके इस महान कार्य पर उनकी सराहना अवश्य करें। और वहां जाकर उनके हाथों की चाय जरूर पिएं क्योंकि एक असली पहाड़ी ही एक असली पहाड़ी चाय का स्वाद और इसको बनाने का तरीका जानता हैं। चाय पीना गलत नहीं है लेकिन सिर्फ चाय को ही अपनी पहचान मत बनने दे जब हमारे पास इतना कुछ है अपनी पहचान बताने के लिए। मैं अपने इस लेख में किसी को दोष नहीं दे रही हूं। परंतु सत्य का मार्ग बहुत आवश्यक है अगर हम सत्य को नहीं अपना सकते हैं तो हमारे लिए सब कुछ पराया ही रह जायेगा।"इसलिए निंद्रा ले ली बहुत अब जागने की बारी है, जो अपनी संस्कृति पर गर्व कर सके और कह सके की हां ये सारी प्रकृति हमारी है और इसको बचाएं रखना हमारी जिम्मेदारी है वही असल में सच्चा पहाड़ी है। "

मानपुर कलालघाटी कोटद्वार
मोबाईल नंबर - 9027678964

पहाड़ों में अब भी है दुस्वारियां

दिया सौरियाल

उत्तराखण्ड उत्तरांचल से बना है हमारे राज्य उत्तराखंड का गठन 9 नवम्बर सन् 2000 में हुआ था, उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड को दो मण्डलों में विभाजित किया गया है। गढ़वाल मण्डल, कुमाऊँ मण्डल। उत्तराखण्ड में कुल 13 जिले हैं यहाँ का प्रमुख भोजन काफूली है। उत्तराखण्ड स्वयं में ही एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तराखण्ड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यहाँ देवी-देवताओं का निवास स्थान था। उत्तराखण्ड एक बहुत सुन्दर स्थान है पूरे भारत वर्ष में, उत्तराखण्ड की दशा व दिशा भी काफी हद तक अच्छी है। परन्तु मेरा मानना यह है कि प्राकृतिक सुन्दरता ही काफी नहीं है। जो लोग यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहें वे भी सारी-सुख सुविधाओं से लाभान्वित होने चाहिए। जैसे-बिजली, सड़क, परिवहन, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि। ऐसा नहीं है कि ये सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध नहीं है। परन्तु पूर्ण व सही तरीके से नहीं है, मेरा मानना यह है कि सरकार को पहाड़ी इलाकों की ओर भी अपना ध्यान एकाग्र करना होगा जिससे पहाड़ों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनी रहे, सर्वप्रथम हमें पलायन को रोकना होगा, क्योंकि बढ़ते पलायन से हमारी कृषि व अन्य चीजों में बहुत फर्क पड़ सकता है। पर्यटन को लागू करके बढ़ावा देना चाहिए इससे हमारा इतिहास और मजबूत होगा रोजगार प्राप्ति होगी व यहाँ की दशा व दिशा में भी सुधार होगा, हमें एकजुट होकर इसका मंचन करना होगा, क्योंकि यह हमारा राज्य है, हमारी देव भूमि हैं। हमें इसकी दिशा सुधार की ओर ध्यान देना काफी जरूरी है। वर्षा ऋतु के दौरान आपदाएँ आती है। लोगों के घर उजड़ जाते है, सड़क खराब होने के कारण वाहन दुर्घटना हो जाती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। लोगों के घर दूर होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं जल्दी से उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके कारण भी कई समस्याओं व मृत्यु का सामना करना पड़ जाता है, इन्हीं सब समस्याओं से बचने के लिए लोग पलायन करते हैं, और घर-गाँव खाली व सूने हो चुके है, इसलिए सरकार को उत्तराखण्ड को मजबूत बनाने के लिए उसकी दिशा व दशा पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा। यह एक निबंध लेखन है इसलिए मैंनें सिर्फ अपने शब्द लिखें है किसी भी इंटरनेट की कॉपी नहीं की है। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और मुझे गर्व है स्वयं पर कि मैं उत्तराखण्डी हूँ, उत्तराखंड की बेटी हूँ।

उत्तराखण्ड दशा और दिशा

हिमालय की गोद में बसा अदभुत छटा बिखराए चारों धाम ऋषि-मुनि यहीं पर देव भूमि कहलाए। देव भूमि कहा जाने वाला उत्तराखण्ड भारत देश में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। यह देश का सताईसवाँ राज्य है। नवम्बर सन् 2000 में यह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और एक राज्य बना। उत्तराखण्ड राज्य में अनेक तीर्थ स्थल और प्रसिद्ध मन्दिर है। उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी देहरादून है। उत्तराखण्ड में मौसम और वनस्पति में ऊँचाई के साथ-साथ बहुत अधिक परिवर्तन देखा गया है, राज्य की सर्वोच्च ऊँचाई पर हिमनद स्थित है और राज्य के निचले स्थानों पर उपोष्ण कटिबंधीय वन है। यहां की अधिकारिक भाषाएं हिन्दी तथा संस्कृत है। गढ़वाली, जौनसारी तथा कुमाऊनी भाषाएं स्थानीय भाषाओं के रूप में यहां बोली जाती है। उत्तराखण्ड के जन्म के समय राज्य को विरासत में भारी भरकम घाटा और कर्ज मिलने के साथ 11वें वित्त आयोग से भी पूरा न्याय नहीं मिला था। नवगठित उत्तरांचल की अंतरिम सरकार से पहले वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मई 2001 को जब राज्य का पहला बजट पेश किया था तो उसमें कुल व्यय 4505.75 करोड़ और राजस्व प्राप्तियां 3244.71 करोड़ राज्य गठन के समय उत्तरांचल को प्रस्तावित थी। राज्य गठन के समय उत्तरांचल को लगभग 1.750 करोड़ का घाटा विरासत में मिला था। अन्तिम सरकार ने करोड़ के भोवर ड्राफ्ट के साथ अपना काम शुरू किया था, जबकि मार्च 15 को मौजूदा वित मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने 2023-24 का सालाना बजट पेश किया तो उसमें कुल व्यय 77407.08 करोड़ प्रस्तावित थी 76592.54 उत्तराखण्ड के बजट की इतनी बडी छलाग नए राज्य की प्रगति का एक पैमाना ही है।

हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता और केदारनाथ की जैंसी आपदाएं न आती तो यह राज्य इससे भी कही अधिक तरक्की कर चुका होता, लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद अभी उत्तराखण्डवासियो के कुछ सपने अधूरे है तो कुछ बिखर भी गए।

विकास के मार्ग पर लगाई लम्बी छलागें

1जनवरी 2007 को उत्तरांचल का टैग उतारकर उत्तराखण्ड नाम धारण करने वाले इस राज्य की विकास यात्रा में राजनीतिक अस्थिरता पद लोलुपता और केदारनाथ जैसी आपदाओं के कारण व्यवधान अवश्य रहे फिर भी विशेष श्रेणी का दर्जा औद्योगिक पैकेज और नये राज्य की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय 233 तक पहुँच गई है, जबकि 1999-2000 रूपये और जीडी 14086 करोड़ के आसपास थी। बिजली, सड़क, पानी और अस्पताल में हुआ पहली निर्वाचित सरकार ने सत्ता सन् 2002 में सभांली तो उस समय बैंको का जमा अनुपात मात्र था । मतलब यह कि बैंक जनता से 100 रूपये जमा करा रहे थे,तो मात्र रु यहाँ कर्ज दे रहे थे. और बाकी धन का 101 कही और व्यवसाय उपयोग कर रहे थे। आज की तारिख में यह ऋण जमा अनुपात तक पहुंच गया है। ऐलापैथिक अस्पतालों की संख्या तब से अब तक आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या 553 से 716 हो गई है और जन्मदर 415 से घटकर 544 हो गई है। बाल मृत्युदर 19.6 से घटकर 16.6 आ गई है। वर्ष 6.5 में नेशनल हाइवे से लेकर जिला और ग्रामीण मार्गो की लंबाई 1119 किमी. थी जो कि आंकडों के के अनुसार 40457.29 किमी. 2022 तक पहुंच गई है। वर्ष 2001-02 उस समय राज्य में 191 उद्योग स्थापित थे। जिसमें 69 बंद होने से कुल 122 ही उद्योग शेष रह गये। अब सांख्यकी डायरी के अनुसार 2022-23 राज्य में बृहद उद्योगों की संख्या 329 तक पहुंच गई है। इन बड़े उद्योगों के अलावा राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की संख्या 73.961 हो गई है। खेती का दायरा घटा पलायन बेकाबू ही रहा। राज्य में कृषि जोतों का आकार निरंतर घटता जा रहा है। सन् 1995-96 राज्य में 4 से 10 हेक्टेअर के बीच का प्रतिशत 3.1 था जो कि 2022-23 तक 1.64 रह गया। इन 23 सालों में उत्तराखण्ड का 163488 हैक्टेअर कृषि क्षेत्र घट गया है। इतने बड़े पैमाने पर खेतों का सिमट जाना कृषि के प्रति लोगों की अरूचि और बड़े पैमाने पर पलायन का ही संकेते हैं। सरकार द्वारा मुफ्त राशन और मनरेगा में सौ दिन के रोजगार की गारंटी माना जा रहा है। खेतों की उर्वरकता घटते जाने और जंगली जानवरों द्वारा किये जाने वाले भारी नुकसान के कारण भी लोगों में खेती का मोह बहुत घट गया है।उत्तराखण्ड के लोगों ने कभी प्राकृतिक आपदाओं तो कभी राजनैतिक अस्थिरता के चलते अभी तक के सफर में बहुत कुछ खोया है। यदि राज्य के लोगों की ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग किया जाय तो निश्चित ही उत्तराखण्ड एक आधुनिक और सशक्त राज्य के रूप में उभर सकता है। राज्य सरकार ने हाल ही में हस्तशिल्प और हथकरधा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहल की है। साथ ही बढ़ते पर्यटन व्यवसाय तथा उच्च तकनीकी वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आकर्षक कर योजना प्रस्तुत की है। राज्य में कुछ विवादास्पद बांध परियोजनाएं भी है, जिनकी पूरे देश में कई बार आलोचनायें भी की जा रही है। जिसमें विशेष कर भागीरथी, भीलांगना नदियों पर बनने वाली टिहरी बांधा परियोजना इस परियोजना की कल्पना 1943 में की गई थी और 2006 में बनकर तैयार हुआ था। चिपको आंदोलन के जन्म स्थान से भी उत्तराखंड को जाना पहचाना जाता है। अति सुंदरता है इसकी पर्यटन का है मुख्य केन्द्र हिमनदी और घाटी फूलों की शिव संग बसते हैं।

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा पहाड़ में बागवानी विकास

डा0 राजेंद्र कुकसाल।

औद्यानिक विकास से उत्तराखंड का आर्थिक विकास संभव है। जब हम औद्यानिक विकास की बात करते हैं उसके अंतर्गत फल उत्पादन, सब्जी एवं सब्जी बीज उत्पादन, फूलों की खेती, मसाला फसलों की खेती, मशरूम उत्पादन, औषधीय व सगन्धीय फसलों की खेती, मधुमक्खी पालन, जैविक खेती आदि विषय आते हैं इन विषयो को अपना कर घर पर ही स्वरोजगार कर आर्थिक विकास कर सकते हैं।

उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल हिमालय की तराई से लेकर बर्फ से ढकी पहाड़ियों तक फैला हुआ है, जिसके कारण प्रदेश की जलवायु में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, जो सभी प्रकार के कृषि एवं बागवानी फसलों के लिए अनुकूल है। बागवानी विकास से राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की जा सकती है। राज्य में उद्यान विकास हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखंड लगातार सतत् प्रयास कर रहा है। गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्त नगर नैनीताल एवं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी गढ़वाल, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र हवलबाग अल्मोड़ा, गोविंद वल्लभ पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कटारमल कोसी अल्मोड़ा, राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो छळच्छत क्षेत्रीय केंद्र निगलाट भवाली नैनीताल, कृषि बागवानी एवं पर्यावरण में अनुसंधान एवं प्रसार की आधुनिक विकास की दिशा में कार्यरत हैं। जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली,सेन्टर फार एरोमैटिक प्लांटस (बच) सेलाकुई देहरादून, जड़ी बूटी एवं संगन्धपौध विकास हेतु प्रयासरत हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,नई दिल्ली एवं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के सहयोग से प्रदेश के 13 जनपदों में कृषकों को वैज्ञानिक /तकनीकी जानकारी देने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई है।

राज्य में उद्यान विकास हेतु जिला योजना, राज्य सैक्टर की योजनाएं, केन्द्र पोषित एवं वाह्य सहायतित कई योजनाएं चलाई जा रही है।

'प्रमुख गतिमान योजनाएं'-

पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन की योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य औद्यानिक फसलों का कल्सटर में उत्पादन कर स्थानीय कृषकों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है। योजना के अन्तर्गत कृषकों से उन्नत किस्में के फल पौध, मसाला विकास एवं सब्जी बीजों का उत्पादन करवाकर आत्म निर्भर बनाना है। 2003-04 से यह योजना संचालित की जा रही है जिस पर अब तक सात सौ (रूपये 700) करोड़ से भी अधिक का व्यय किया जा चुका है। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के प्रति बूंद अधिक फसल घटक, केंद्रीय प्रायोजित योजना सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएमआई) को 2011-12 के वर्ष में उत्तराखंड राज्य में सिंचाई की उन्नत पद्धति के तहत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। बाग. वानी और कृषि विकास के लिए प्रोत्साहन। 2014-15 से इस योजना को सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत कृषि जल प्रबंधन के नाम से विलय कर दिया गया है। योजना के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

शेष पृष्ठ 14 पर

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा.....

13 **का शेष भाग,** परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) : जैविक खेती को बढ़ावा देने का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के मिश्रण के माध्यम से दीर्घकालिक मिट्टी की उर्वरता निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए जैविक खेती के टिकाऊ मॉडल का विकास करना है। फसल बीमा योजना: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बागवानी फसलों के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत 13 बागवानी फसलें (सेब, आड़ू, माल्टा, मौसंबी, संतरा, आम, लीची, आलू, अदरक, टमाटर, मटर, फ्रेंच बीन्स और मिर्च) निर्धारित हैं।

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएम एफएमई) का प्रधान मंत्री औपचारिककरण:

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत, स्वयं सहायता समूह और एफपीओ को सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के लिए 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

ऑपरेशन ग्रीन स्कीम्स (टॉप टू टोटल) : यह किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़कर टमाटर, प्याज और आलू (टॉप सब्जियों) के संगठित विपणन पर केंद्रित है।

बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना

जापान इंटरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी (जायका) ने 540 करोड़ रुपये की लागत से उत्तराखंड एकीकृत औद्यानिकी विकास परियोजना स्वीकृति है। जायका से राज्य के चार जिलों टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल व पिथौरागढ़ में परियोजना संचालित की जाएगी। इसके अंतर्गत सेब, अखरोट व कीवी फलों के सेंटर आफ एक्सीलेंस भी स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना –

राज्य के युवाओं को रोजगार देने एवं कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत उद्यान विभाग प्रत्येक जनपद में 90% अनुदान पर पालीहाउस लगवा रहा है। योजना में 1219 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 100 वर्ग मीटर पौलीहाउस के निर्माण पर 121900 (एक लाख इक्कीस हजार नौ सौ) रुपए की लागत आती है जिसमें कृषक को 12190 रुपए का भुगतान करना होता है।

एपिल मिशन योजना।

पर्वतीय जनपदों में सेब के अति सघन उद्यानों की स्थापना हेतु यह योजना संचालित की गई है। योजनान्तर्गत प्रति बागान 0.40 है० (याने 20 नाली) हेतु कुल निर्धारित लागत अधिकतम रुपए 12 लाख का 80% याने 9.60 लाख प्रति लाभार्थी की दर से सब्सिडी के रूप में राज्य सहायता प्रदान की जायेगी।

मुख्यमंत्री एकीकृत बगवानी विकास योजना:- मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में उद्यानिकी के अन्तर्गत रिवर्स पलायन के प्रबन्धन हेतु कोविड-19 महामारी के प्रभाव के दौरान प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के तहत इनपुट अर्थात सब्जी के बीज, फल के पौधे, फूल के बीज/पौधे, कीटनाशक, जैव कीटनाशक आदि का प्रावधान 50-60% की सीमा के साथ किया गया था।

मधुग्राम : निर्णय लिया गया कि मधुमक्खी पालन क्लस्टर आधार पर किया जायेगा. इस संबंध में किसानों, बेरोजगार युवाओं और भूमिहीन किसानों के लिए राज्य की प्रत्येक न्याय पंचायत में एक मधुग्राम स्थापित किया जाएगा।

जनपद स्तर पर एक जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय तथा ब्लाक/न्यायपंचायत स्तर पर उत्तराखंड के समस्त जनपदों में 186 उद्यान सचल दल केन्द्रों के माध्यम से उद्यान विभाग की योजनाओं का संचालन किया जाता है।

'अपेक्षित औद्यानिक विकास न होने के कारण'-

पहाड़ी क्षेत्रों में जोत का आकार कम व विखरा होना, चक्कबन्दी का न होना, वर्षा आधारित खेती, जंगली जानवरों सुअर बन्दर से फसलों को नुकसान, प्राकृतिक आपदाओं (जैसे अतिवृष्टि, ओला वृष्टि, बेमौसम बरसात, अधिक ठंड व पाला आदि) से फसलों को होने वाले नुकसान, गुणवत्तायुक्त फसल निवेशों (फल पौध, बीज, दवा, खाद आदि) की कमी एवं समय पर न उपलब्ध होना, आधुनिक तकनीकों के प्रचार-प्रसार में कमी, ढांचा गत एवं परिवहन सुविधाओं का अभाव, विपणन में विचौलियों का बाहुल्य, भंडारण एवं प्रसंस्करण सुविधाओं का अभाव, तुड़ाई उपरान्त प्रबंधन सुविधाओं का न होना, अनुसंधान विकास एवं प्रसार क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों एवं कृषकों में समुचित समन्वय का अभाव, 'योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता का न होना' आदि कई समस्याएं हैं जिस कारण पहाड़ी जनपदों में अपेक्षित उद्यान विकास नहीं हो पा रहा है।

'संम्भावनाएं'

पहाड़ी क्षेत्रों में उद्यान विकास की अपार संभावनाएं हैं यहां आलू अदरक,प्याज, लहसुन, मसाला मिर्च की व्यवसायिक फसलें परंपरागत रूप से उगाई जाती आ रही है योजनाओं से किसानों की मदद कर इन फसलों के उन्नत किस्म के बीज कृषि विश्वविद्यालयों से मंगा कर कृषकों से इन व्यवसायिक फसलों के बीज उत्पादन कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास होने चाहिए।

पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन का अपना विशेष महत्व है। जिस समय मैदान क्षेत्रों में सब्जियों का उत्पादन नहीं हो पाता तथा अभाव रहता है उस समय (गर्मी व बरसात) पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जियों (मटर बन्दगोभी, फूल गोभी, टमाटर, सिमला मिर्च, खीरा, फ्रासवीन, मूली, हरा धनिया आदि) का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है इस प्रकार बेमौसम में सब्जियां का उत्पादन कर यहां का कास्तकार अच्छा आर्थिक लाभ अर्जित कर सकता है।

पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादित सब्जियां अधिक स्वादिष्ट पौष्टिक शुद्ध व रसायन मुक्त होती है। यूरोपीयन सब्जियां (ब्रोकली, ब्रुसल स्प्राउट्स, सतावरी, रेड कैवैज, आर्टीचोक, लैट्यूस आदि) का उत्पादन पर्वतीय क्षेत्रों में आसानी से किया जा सकता है।

सब्जी व्यवसाय में उत्पादन से लेकर वितरण तक अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।

बन्द गोभी फूल गोभी, गाजर, मूली, चुकुन्दर आदि सब्जियों के बीज उत्पादन की अपार संभावनाएं है।

उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम तथा कई पर्यटक स्थल होने के कारण माह मई से लेकर सितंबर तक लाखों यात्री एवं पर्यटक राज्य के भ्रमण पर आते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में आड़ू, प्लम, खुबानी से माह मई से अगस्त तक फल प्राप्त होते हैं, यात्रा मार्ग के स्थानों में इन फलों का उत्पादन कराया जा सकता है जिससे उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों एवं पर्यटकों को फल उपलब्ध हो सकें इससे स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।

पहाड़ी क्षेत्रों के कृषक परंपरागत रूप से जैविक खेती करते आ रहे हैं,इन क्षेत्रों के कृषकों द्वारा कृषि कार्यों में रसायनिक उर्वरकों तथा दवाओं का उपयोग कम मात्रा में किया जाता है। स्थानीय उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए स्थानीय बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर तथा सीमांत एवं लघु सीमांत गरीब कृषकों की उपज को जैविक मोड़ में ला कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है।

जैविक खेती कर उत्तराखंड को कृषि आधारित, प्रदूषण मुक्त, स्वास्थ्य वर्धक एवं स्वावलंबी राज्य बनाने की ओर अग्रसर किया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक तापक्रम में ऊंचाई के हिसाब से बटन मशरूम वर्ष भर में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चार, मध्य में तीन एवं घाटी वाले क्षेत्रों में दो बार उत्पादन लिया जा सकता है। प्राकृतिक तापक्रम में मशरूम उत्पादन में लागत काफी कम आती है वहीं दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में मशरूम उत्पादन हेतु नियंत्रित तापक्रम की आवश्यकता होती है जिस कारण इन क्षेत्रों में मशरूम उत्पादन पर लागत अधिक आती है।

समय पर स्पान (मशरूम बीज) व खाद उपलब्ध कराकर युवाओं को मशरूम उत्पादन से जोड़ कर स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है। 'उत्तराखंड में कृषक कल्याण योजनाओं का अमश्त पी गये/पी रहें हैं, विचौलिये और दलाल'।

प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वर्ष 2017 में किसानों की आय वर्ष 2022-23 तक दुगनी करने का संकल्प लिया, किसानों की आय दोगुनी (डबलिंग फारर्मस इनकम) करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किसानों के हित में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के लिए कई कृषक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं की गई।

1. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) ।
2. बागवानी मिशन की योजना।
3. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)।
4. फार्म मशीनीकरण योजना।
5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ।
6. पीएम किसान सम्मान निधि।
7. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना।
8. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
9. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएम एफएवाई) आदि।

केन्द्र सरकार की इन योजनाओं में राज्य के कृषकों के लिए हजारों करोड़ बजट का प्रावधान रखा गया तथा अनुदान राशि 'डीबीटी योजना' के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में डालने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में कृषकों के कल्याणार्थ चलाईं गई इन योजनाओं में केवल बन्दर बांट की गई।

उत्तरप्रदेश हिमाचल आदि सभी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में वर्ष 2017 से ही कृषकों को योजनाओं में मिलने वाला अनुदान डीबीटी के माध्यम से सीधे कृषकों के खाते में जा रहा है।

भारत सरकार के निर्देश के पांच साल बाद कृषि सचिव उत्तराखंड शासन के पत्रांक 535/11-2/2021-5(28/2014 दिनांक 17 मई 2021से राज्य के कृषकों को देय अनुदान आधारित योजनाओं को डीबीटी द्वारा क्रियान्वयन के आदेश निर्गत किए गये, उक्त शासनादेश के साथ उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल सरकार के शासनादेशों को संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया गया है कि उन्ही के अनुरूप उत्तराखंड में भी डीबीटी लागू की जाय।किन्तु यह शासनाद. ेश विभागों में अभी भी कार्य रूप में लागू नहीं हुआ ,विभाग द्वारा इस शासनादेश का अक्षरत अनुपालन नहीं किया जा रहा है। विभागों के मुखिया भ्रष्टाचार में संलिप्तता के कारण, राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों, छोटी जोत, किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होना व अभी पोर्टल बन रहा है का बहाना बना कर डीबीटी लागू नहीं होने दे रहे हैं।

जबकि राज्य में 7,60,148 (सात लाख साठ हजार) कृषकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रति वर्ष 06 हजार रुपए की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान की जा रही है क्योंकि ये अनिवार्य है। किन्तु अन्य योजनाओं में राज्य में ऐसा नहीं होता यहां पर विभाग टेंडर प्रक्रिया दिखा कर या फर्मों की सूचीबद्धता के नाम पर निम्न स्तर का सामान उच्च दरों पर चहेती फर्मों के दलालों के माध्यम से कृषकों को बांटना दिखाते है।

योजनाओं में डीबीटी लागू होने से कई लाभ होंगे।

1. उद्यान / कृषि विभाग में दलाली पर रोक लगेगी।
2. किसानों को उचित दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाला सामान मिलेगा जिससे किसान अधिक उत्पादन कर सकेंगे।
3. क्षेत्र विशेष में दवा बीज खाद आदि कृषि निवेश आपूर्ति हेतु स्थानीय पढ़ें लिखे बेरोजगारों को व्यवसाय करने एवं रोजगार के अवसर मिलेंगे साथ ही कृषकों को उनके मनपसंद कृषि निवेश समय पर व घर पर ही स्थानीय बाजार में उपलब्ध हो पायेंगे।

'भौगौलिक परिस्थिति एवं जलवायु में विविधता होने के कारण उत्तराखंड राज्य में बागवानी विकास के अन्तर्गत फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फूलों की खेती, मसाला व सब्जी बीज उत्पादन, मशरूम उत्पादन, औषधीय व सगन्धीय फसलों की खेती एवं मधुमक्खी पालन जैविक खेती आदि की अपार संभावनाएं हैं। जब तक क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति के अनुसार योजनाओं में सुधार नहीं किया जाता तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता नहीं लाई जाती राज्य में अपेक्षित औद्यानिक विकास होगा सोचना बेमानी है'।

कृषि उद्यान विशेषज्ञ।

उत्तराखण्ड में समरस समाज से आ सकती है खुशहाली

श्रीमती सरिता देवी

उत्तराखण्ड का स्थान, वातावरण, और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर कई प्रमुख कारकों का प्रभाव हो सकता है। इस समय, उत्तराखण्ड विकास की दिशा में अग्रसर हो रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी चुनौतियाँ हैं। उत्तराखण्ड में पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण, और स्थानीय विकास के क्षेत्र में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तराखण्ड में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान भी महत्वपूर्ण है। उत्तराखण्ड को समृद्धि और समाजिक उत्थान की दिशा में प्रोत्साहित किया जा रहा है। पर्यटन, कृषि, उद्योग, और शिक्षा के क्षेत्र में और विकास के अवसरों को बढ़ाने के लिए नवाचार और निवेश की आवश्यकता है। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण और समाजिक समानता को भी महत्व दिया जाना चाहिए ताकि समुदाय का समृद्धि सहित सभी व्यक्तियों को लाभ पहुंच सके।

आगे उत्तराखण्ड को स्वास्थ्य, शिक्षा, और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकारी नीतियों और योजनाओं को अमल में लाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, विपणन की तकनीकों में सुधार कर उत्पादों को अधिक बाजार में पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। विकास के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक समानता और विकास की सही दिशा में परियोजनाओं को लागू करने पर ध्यान देना चाहिए। उत्तराखण्ड को जल, ऊर्जा, और जलवायु परिवर्तन के साथ निपटने के लिए अधिक सक्षम बनाने के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अद्यतन करने की आवश्यकता है। साथ ही, सामुदायिक संरचनाओं को मजबूत बनाने, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, और सामाजिक संबलता को बढ़ाने के लिए उत्तराखण्ड में साम. ुदायिक और विकासीय योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उत्तराखण्ड को स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के साथ संगठित रूप से निपटने के लिए नीतियों और कदमों की जरूरत है। इसके साथ ही, सामुदायिक और शैक्षिक संरचनाओं को मजबूत करने, नए और संरचनात्मक योजनाओं को प्रोत्साहित करने, और विकास के सभी क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक समानता को प्राथमिकता देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उत्तराखण्ड को स्थायी विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सक्षम बनाने के लिए सुधार के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें सहायक योजनाएं, विकास कार्यक्रम, और समुदाय के साथ सहयोग को मजबूत करना शामिल है। विपणन, खनन, पर्यटन, और कृषि जैसे क्षेत्रों में नई और उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि सामर्थ्य और उत्पादकता में सुधार हो सके। इसके साथ ही, संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए विकास की नीतियों को पर्याप्त मात्रा में परिपालन किया जाना चाहिए।

आगे उत्तराखण्ड को जल, ऊर्जा, और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्र और सामर्थ्यशाली बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम किया जाना चाहिए। इसके लिए सामुदायिक संरचनाओं का समर्थन, वन्यजीव संरक्षण, और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करना महत्वपूर्ण है। साथ ही, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नवाचारी योजनाओं को अमल में लाकर सामा. जिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड का स्थान, वातावरण, और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर कई प्रमुख कारकों का प्रभाव हो सकता है। इस समय, उत्तराखण्ड विकास की दिशा में अग्रसर हो रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी चुनौतियाँ हैं। उत्तराखण्ड में पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण, और स्थानीय विकास के क्षेत्र में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तराखण्ड में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान भी महत्वपूर्ण है।

उत्तराखण्ड को समृद्धि और समाजिक उत्थान की दिशा में प्रोत्साहित किया जा रहा है। पर्यटन, कृषि, उद्योग, और शिक्षा के क्षेत्र में और विकास के अवसरों को बढ़ाने के लिए नवाचार और निवेश की आवश्यकता है। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण और समाजिक समानता को भी महत्व दिया जाना चाहिए ताकि समुदाय का समृद्धि सहित सभी व्यक्तियों को लाभ पहुंच सके।

आगे उत्तराखण्ड को स्वास्थ्य, शिक्षा, और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकारी नीतियों और योजनाओं को अमल में लाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, विपणन की तकनीकों में सुधार कर उत्पादों को अधिक बाजार में पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। विकास के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक समानता और विकास की सही दिशा में परियोजनाओं को लागू करने पर ध्यान देना चाहिए।

उत्तराखण्ड को जल, ऊर्जा, और जलवायु परिवर्तन के साथ निपटने के लिए अधिक सक्षम बनाने के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अद्यतन करने की आवश्यकता है। साथ ही, सामुदायिक संरचनाओं को मजबूत बनाने, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, और सामाजिक संबलता को बढ़ाने के लिए उत्तराखण्ड में सामुदायिक और विकासीय योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

उत्तराखण्ड को स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के साथ संगठित रूप से निपटने के लिए नीतियों और कदमों की जरूरत है। इसके साथ ही, सामुदायिक और शैक्षिक संरचनाओं को मजबूत करने, नए और संरचनात्मक योजनाओं को प्रोत्साहित करने, और विकास के सभी क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक समानता को प्राथमिकता देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

उत्तराखण्ड को अपने पर्यावरण और सामाजिक संरचना को मजबूत बनाने के लिए अधिक उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में निवेश करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में संचार और सुधार को प्रोत्साहित करने, स्थानीय उत्पादों की विपणन क्षमता को बढ़ाने, और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उत्तराखण्ड के साथी संस्थानों, शिक्षा संस्थानों, और उद्योगों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए। इससे राज्य में सामर्थ्य और स्थायित्व की बढ़त होगी और लोगों को और बेहतर जीने की संभावनाएं मिलेंगी।उत्तराखण्ड को अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए सशक्त नीतियों और कानूनों के माध्यम से समर्थित किया जाना चाहिए। जल, वन्यजीव, और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। साथ ही, समुदायों को शामिल करने और उनकी सहभागिता से जोखिम प्रबंधन योजनाओं को विकसित किया जाना चाहिए। उत्तराखण्ड को साक्षरता और शिक्षा के क्षेत्र में भी नवाचारी योजनाओं का समर्थन करने की जरूरत है ताकि हर व्यक्ति को समान शिक्षा का अधिकार हो। विशेष रूप से, नारी और बच्चों के शिक्षा के लिए विशेष योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह सभी क्षेत्रों में उत्तराखण्ड को सामूहिक और स्थायी विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। उत्तराखंड को भू-राजस्व, पर्यटन, और गैर-सामग्री उत्पादन के क्षेत्र में नवाचारी योजनाओं का समर्थन करना चाहिए। इसके लिए स्थानीय समुदायों को समर्थन और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें अपने स्वार्थों को प्राथमिकता देने का अधिकार मिले। साथ ही, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए स्रोतों का विकास और स्थायी आय उत्पन्न करने के लिए सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को सुधारने की आवश्यकता है। उत्तराखंड को विकास के इस सफर में अद्वितीय समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सुदृढ़ कदम उठाने होंगे।उत्तराखंड को अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। जल, वन्यजीव, और भूमि संरक्षण के लिए सशक्त नीतियों और कदमों को अमल में लाना चाहिए। साथ ही, जल संकट और जल संरक्षण को लेकर जागरुकता और जनता की शिक्षा को बढ़ाना आवश्यक है। उत्तराखंड को भूकंप, बाढ़, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सामुदायिक संरक्षण और तैयारी में भी गोनों को खोजने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस प्रकार, उत्तराखंड अपने स्थायी और समृद्ध विकास की दिशा में अग्रसर हो सकेगा। उत्तराखंड को अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। जल, वन्यजीव, और भूमि संरक्षण के लिए नए और प्रभावी कार्यक्रमों को अमल में लाना चाहिए। साथ ही, सामुदायिक संरचनाओं को मजबूत करने, नवाचारी रूप से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए स्रोतों का विकास करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचारी योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को समान रूप से उनके अधिकार मिलें। उत्तराखंड को अपने विकास के संरक्षित और समृद्ध मार्ग पर लाने के लिए सरक. ारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। उत्तराखंड को अपने प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते हुए, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के पति समर्पित रहना चाहिए। इसके लिए समुदाय को सशक्त बनाने और उनकी सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक संरचनाओं का समर्थन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल, वन्यजीव, और प्राकृतिक संसाधनों की उत्तम व्यवस्था और प्रबंधन के लिए नवाचारी और अधिक प्रभावी तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन के लिए स्थानीय उत्पादों के विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्थन प्रदान करना आवश्यक है। विकास के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक समानता को प्राथमिकता देने के साथ, न्यायपूर्ण और सही नीतियों को अमल में लाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। आगे उत्तराखंड को अपनी समृद्धि के लिए शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में अधिक प्रयास करना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से नौजवानों को आवश्यक नौकरियों के लिए तैयार किया जा सकता है और उन्हें स्वतंत्रता और स्वावलंबन की शिक्षा दी जा सकती है। इसके साथ ही, पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों को अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

साथ ही, स्थानीय उत्पादों के प्रचार और प्रोत्साहन के माध्यम से सामुदायिक विकास को समर्थन देना चाहिए, जिससे स्थानीय आर्थिक संरचना को मजबूती मिले। उत्तराखंड को अपने संसाधनों का समझौता करके विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के लक्ष्य को साथ में लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उत्तराखंड को सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं को सभी वर्गों के लिए समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही, महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों को समान अधिकारों और अवसरों का लाभ उठाने का मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए। उत्तराखंड को अवसरों के समान देने और समुदायों को सहायक बनाने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करना चाहिए। इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन को बनाए रखने के लिए सामुदायिक संरचनाओं का समर्थन और विकसित करने की आवश्यकता है। उत्तराखंड को अपने संसाधनों का समझौता करके स्थायी और संतुलित विकास की दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। उत्तराखंड को अपने प्राकृतिक संसाधनों का समझौता करने और संरक्षित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। जल, वन्यजीव, और भूमि संरक्षण को लेकर सामा. जिक चेतना को बढ़ाने और लोगों को प्रेरित करने के लिए शिक्षा और संगठनों के सहयोग का महत्व है। लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सामुदायिक तैयारी में भाग लेने और सुरक्षित स्थानों के निर्माण में सहायक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विकास के प्रत्येक क्षेत्र में समाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने, महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, और शिक्षा सेवाओं के पहुंच को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उचित नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए। इस प्रकार, उत्तराखंड को सामाजिक, आर्थिक, और पर्यावरणिक दृष्टि से स्थायी विकास की दिशा में अग्रसर होने के लिए समर्थ बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए।

शेष पृष्ठ 16 **पर**

15 **का शेष भाग,**

उत्तराखंड को सामूहिक और स्थायी विकास की दिशा में अधिक प्रयास करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

साथ ही, पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त नीतियों को लागू करना और संवेदनशीलता में बढ़ोतरी करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड को स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, और विकास के साथ सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने के लिए उनके साथ गहरा संबंध बनाने की आवश्यकता है। साथ ही, समृद्ध और स्थायी विकास के लिए उचित राजनीतिक, आर्थिक, और सामाजिक नीतियों को बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार, सभी स्तरों पर समृद्धि और समानता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष करना चाहिए ताकि उत्तराखंड की जनता को बेहतर भविष्य की संभावनाएं मिल सकें।

उत्तराखंड को अपने पर्यावरण, समाज, और आर्थिक विकास के साथ सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम करने की जरूरत है। प्राकृतिक संसाधनों की सही तरह से प्रबंधन, जल संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवे. दनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही, गरीबी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने, आर्थिक विकास के लिए उत्तराखंड के संसाधनों का उपयोग करने, और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए सामुदायिक संरचनाओं का समर्थन करना चाहिए। इसके साथ ही, उत्तराखंड को शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक सेवाओं की पहुंच को बढ़ावा देने और महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों को समान अधिकारों और अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस रूप में, सभी क्षेत्रों में सुधार के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है ताकि उत्तराखंड अपने विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।उत्तराखंड को विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी गंभीरता से काम करना चाहिए। वन्यजीव संरक्षण, जल संरक्षण, और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा और संगठनों को सहयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही, सामाजिक समृद्धि के लिए भी, समाज में समानता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसमें महिलाओं, अल्पसंख्यक समुदायों, और पिछड़े वर्गों को समान अवसर मिलें। आर्थिक समृद्धि के लिए, स्थानीय उत्पादों का विकास प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि संविदा और रोजगार के नए स्रोत उत्पन्न हो सकें। उत्तराखंड को अपने विकास में स्थायीता और संतुलन को महत्व देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य मिल सके।

उत्तराखंड को अपने प्राकृतिक संसाधनों की सही तरह से देखभाल करने के लिए समृद्ध और प्रभावी नीतियों पर अमल करना चाहिए। जल, वन्यजीव, और भूमि संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए और उन्हें सहयोग देना चाहिए ताकि प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण में सक्षम हो सकें। साथ ही, सामाजिक समृद्ध के लिए महत्वपूर्ण है कि हर वर्ग के लोगों को समान अधिकारों और अवसरों का लाभ मिले। आर्थिक विकास के लिए, उत्तराखंड को आर्थिक उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारी योजनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। अंतत: उत्तराखंड को सामूहिक प्रयासों के माध्यम से और विकास के साथ संतुलित और स्थायी विकास की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। उत्तराखंड को सामूहिक और समर्थ बनाने के लिए सरकार, स्थानीय समुदाय, और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से एक विकासमूलक रोजगार रणनीति को बढ़ावा देना चाहिए। इससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही, स्थानीय उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि लोगों को स्वतंत्रता और स्वावलंबन का अधिक मार्ग प्राप्त हो। उत्तराखंड को अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से प्रबंधित करके वातावरणिक संरक्षण के प्रति भी संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए, जल, वन्यजीव, और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उत्तराखंड की प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए कठिन कदम उठाने की आवश्यकता है। अंत में, उत्तराखंड को स्थायी और समृद्ध विकास के लिए सामूहिक एवं सहयोगी प्रयासों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है ताकि इस राज्य का भविष्य सशक्त और सुरक्षित हो सके। उत्तराखंड को शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक सेवाओं की पहुंच में सुधार करने के लिए अधिक प्रयास करना चाहिए। साथ ही, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर जनसंचार और जागरूकता में वृद्धि करना जरूरी है। उत्तराखंड को सामाजिक और आर्थिक समृद्धि के लिए समाज के हर वर्ग को समान अवसर और समान अधिकारों का लाभ प्रदान करना चाहिए। इसके साथ ही, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने चाहिए। उत्तराखंड को अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से प्रबंधित करने के लिए भी जोर देना चाहिए ताकि यह स्थायी विकास की दिशा में अग्रसर हो सके। अंत में, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, स्थानीय निर्वाचन संस्थान, और समुदायों के सहयोग से उत्तराखंड को स्थायी और समृद्ध भविष्य की दिशा में अग्रसर किया जा सकता है। आगे उत्तराखंड को सामाजिक, आर्थिक, और पर्यावरणिक दृष्टि से समृद्धि की दिशा में अग्रसर होने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास करने की आवश्यकता है। यहां कुछ क्षेत्रों के प्रमुख प्रस्ताव हैं:

1. शिक्षा: सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक निवेश करना चाहिए, खासकर रूरल एवं अल्पसंख्यक क्षेत्रों में शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध अधिकारियों को भर्ती किया जाना चाहिए।

2. रोजगार: स्थानीय उद्योगों और उत्पादकों को संविदा योजनाओं के माध्यम से समर्थित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

3.पर्यावरण संरक्षण: प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए नीतियों को मजबूत किया जाना चाहिए और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।

4. सामाजिक समानता: सभी समुदायों के लिए समान अधिकारों और अवसरों को प्रदान करने के लिए नीतियों को लागू किया जाना चाहिए।

5. पर्यटन: पर्यटन को विकसित करने के लिए स्थानीय पर्यटन संबंधी उद्योगों को समर्थित किया जाना चाहिए, जो रोजगार के अवसर बढ़ाएगा और राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देगा।

इन सुझावों के अलावा, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और सामाजिक संरचना को समृद्ध करने के लिए उपाय अधिकांश ध्यान में रखने चाहिए। इसके लिए सरकार, सामाजिक संगठन, और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करना होगा। आगे, उत्तराखंड को समृद्ध और स्थायी विकास की दिशा में अग्रसर होने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। यहाँ कुछ और प्रमुख प्रस्ताव हैं:

1. प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा: उत्तराखंड के जल, जंगल, और भूमि संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन को प्राथमिकता देना चाहिए। इसमें जल संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है।

2. साक्षरता और शिक्षा: शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना चाहिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। साथ ही, व्यावसायिक और पेशेवर शिक्षा को भी महत्व देना चाहिए।

3. रोजगार: स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने और स्थानीय रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार को नीतियों और योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करनी चाहिए।

4. स्वास्थ्य: उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ावा देना चाहिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में और आदिवासी जनजातियों को विशेष स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने का अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

5. पर्यटन: उत्तराखंड को पर्यटन के लिए एक विकसित गति में आगे बढ़ाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरणीय पर्यटन, और परंपरागत पर्यटन के लिए विकसित करने की आवश्यकता है।

इन सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रयास करते हुए, उत्तराखंड एक स्थायी, समृद्ध, और सामाजिक रूप से विकसित राज्य बन सकता है।

आगे, उत्तराखंड को अपने प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण और सही ढंग से उपयोग करते हुए समृद्धि की दिशा में अग्रसर होने के लिए सरकार, समुदाय, और स्थानीय निकायों के सहयोग का लाभ उठाना चाहिए। विकास की प्रक्रिया में सभी वर्गों और समुदायों को समाहित करना और उनके साथ मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। साथ ही, तकनीकी और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि राज्य विकास के नए माध्यमों का लाभ उठा सके। इसके साथ ही, विकास के दृष्टिकोण से उत्तराखंड को पर्यटन, जल संरक्षण, ऊर्जा उत्पादन, और कृषि सेक्टर में नई अवसरों को खोजने और विकसित करने की जरूरत है। साथ ही, गांवों और छोटे शहरों के विकास को बढ़ावा देने के लिए नई और संवेदनशील नीतियों को अपनाना चाहिए। इस प्रकार, सभी क्षेत्रों में सही नीतियों और कार्रवाईयों के माध्यम से, उत्तराखंड एक समृद्ध और समर्थ राज्य के रूप
में अपनी पहचान बना सकता है।

आगे उत्तराखंड को सुरक्षित, सामृद्ध और समृद्ध बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। यहां कुछ और उत्तराखंड के विकास को बढ़ाने के उपाय हैं:

1. ऊर्जा संसाधनों का उपयोग: उत्तराखंड में जल, वायु, और सौर ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद कर सकते हैं।

2. जल संरक्षण: समुद्री जल एवं वनस्पति संरक्षण योजनाओं के माध्यम से जल संरक्षण को प्रमुखता देनी चाहिए।

3. प्राकृतिक खेल: पर्यावरणीय पर्यटन और प्राकृतिक खेलों के लिए सुविधाएं बढ़ाने से पर्यावरण संरक्षण का साथ दिया जा सकता है।

4. कृषि और उद्यानिकी: स्थानीय कृषि और उद्यानिकी के विकास को प्रोत्साहित करने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है।

5. स्थानीय समुदायों का समर्थन स्थानीय समुदायों को समाजिक, आर्थिक, और पर्यावरणीय स्थितियों में समर्थ बनाने के लिए नीतियों और कार्यक्रम में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए।

6. स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। गांवों और छोटे शहरों के लोगों को।

7. शिक्षा: उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने का स्तर बढ़ाया जा सकता है और लोगों को नई और विकसित विचारों को समझने का अवसर मिलेगा।

ये सभी कदम उत्तराखंड को समृद्ध और उत्तराखंड को उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए किया लाना जरूरी है। लोगों को सामूहिक रूप से जोड़कर संघर्षों का सामना करने और समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है। समाज की अधिकांश समस्याओं का समाधान केवल सरकारी वा व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं हो सकता, इसके लिए सामाजिक संगठनों और समुदायों की सहभागिता आवश्यक है। उत्तराखंड में स्थानीय समुदायों को समर्थ बनाने और उन्हें स्वशासन और स्वायतता के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वे अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही कर सकते हैं और अपने स्वायतता के साथ अपने स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं।

साथ ही, तकनीकी उन्नति के क्षेत्र में भी नवाचार को प्रोत्साहित करना चाहिए। उत्तराखंड में आधुनिक तकनीक का उपयोग कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, और अन्य क्षेत्रों में समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जा सकता है। तकनीकी उपलब्धियों का समुदाय के लाभ के लिए सही ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए।

अग्रसर होने के लिए, उत्तराखंड को सभी स्तरों पर विकास के साथ-साथ समर्थ, सामूहिक और सामाजिक बनाने की जरूरत है। यह सभी विभागों और समुदायों के सहयोग और साझेदारी के माध्यम से हो सकेगा। और, उत्तराखंड को स्थानीय उत्पादों और शिल्पकला को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। स्थानीय उत्पादों को विशेषता देकर बढ़ावा देने से लोगों को नौकरी के अवसर मिलेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। साथ ही, प्रदेश में स्थानीय उत्पादों को अन्य क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए विपणन और प्रचार-प्रसार के माध्यम से अधिक प्रसारित किया जा सकता है। इससे स्थानीय उत्पादकों को नए बाजार और ग्राहकों का अधिक दायित्व मिल सकता है। उत्तराखंड में संगीत, नृत्य, कला, और हस्तशिल्प को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे स्थानीय कलाकारों को समर्थन मिलेगा और उन्हें अपनी कला को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा। अत्यंत जरूरी है कि सामाजिक, आर्थिक, और पर्यावरणीय पहलुओं के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति और परंपरा को भी समाहित किया जाए। इससे समुदाय की आत्मसम्मान बढ़ेगी और स्थानीय भूमिकाओं का सम्मान किया जाएगा। इन सभी पहलुओं को सम्मिलित करके, उत्तराखंड को एक समृद्ध और समर्थ राज्य के रूप में विकसित किया जा सकता है। उत्तराखंड में पहाड़ी महिलाओं की स्थिति को सुधारने और उनके उत्थान के लिए कई प्रयास किए जा सकते हैं। यहाँ कुछ उन प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है जिनमें प्रयास किया जा सकता है:

1शिक्षा: पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा सकती हैं। उन्हें उच्च शिक्षा और पेश. वर शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं ताकि वे अपने प्रतिभा को विकसित कर सकें।

2. रोजगार: स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सकती हैं जो पहाड़ी महिलाओं को विभिन्न उद्योगों और व्यावसायों में सक्रिय बनाए रखेगी।

3. स्वास्थ्य सेवाएं: स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम और योजनाएं विकसित की जा सकती हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदान की जा सकती है।

4. सामाजिक समृद्धि: महिलाओं के सामाजिक समृद्धि हेतु, सामाजिक संगठन और समुदाय केंद्रों को स्थापित किया जा सकता है। इन केंद्रों में महिलाओं को जागरूक बनाने, उन्हें नौकरी और व्यवसाय के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करने और उन्हें समाज में सक्रिय भूमिका देने का काम किया जा सकता है।

5. नारी सशक्तिकरण: नारी सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जा सकती हैं। महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उनकी भूमिका को स्थायी रूप से सुनिश्चित करने के लिए यह कार्यक्रम उपयोगी हो सकते हैं।

इन प्रयासों के माध्यम से, पहाड़ी महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सकता है और उन्हें समृद्ध, स्वतंत्र और सशक्त बनाने में मदद मिल सकती है। उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान हेतु कई प्रयास किए जा सकते हैं, जो उन्हें सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक दृष्टिकोण से समृद्ध बनाने में मदद कर सकते हैं। यहां कुछ मुख्य प्रयासों का उल्लेख किया गया है: 1. शिक्षा का प्रसार: अनुसूचित जाति के लोगों को उच्च शिक्षा और पेशेवर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं। सरक. ारी स्कूलों और कॉलेजों में आरक्षित सीटों का प्रदान किया जा सकता है। 2.रोजगार के अवसर: अनुसूचित जाति के लोगों को विभिन्न रोजगार के अवसरों की पहुंच में मदद की जा सकती है। उन्हें स्वरोजगार के लिए उत्पादक योजनाओं का समर्थन दिया जा सकता है। 3. सामाजिक सुरक्षा: अनुसूचित जाति के लोगों को सामाजिक सुरक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है।

4. स्वास्थ्य सेवाएं: अनुसूचित जाति के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इससे उन्हें समय पर और उचित चिकित्सा सेवाएं प्राप्त हो सकें।

5. नारी सशक्तिकरण: अनुसूचित जाति की महिलाओं को नारी सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रोग्राम्स और योजनाएं आयोजित की जा सकती हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और समाज में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो सकते है.

कंचनपूरी हल्दूखाता कोटद्वार

मनमोहक परिदृश्यों, सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक महत्व से लवरेज है उत्तराखंड

मुस्कान

प्रस्तावना :-उत्तराखण्ड का नाम पहले उत्तरांचल था। यह उत्तर भारत का एक राज्य है, जिसका निर्माण 9 नवम्बर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड का निर्माण कई वर्षो के आंदोलन के बाद भारत गण-राज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था।

सन् 2000 से सन् 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य की आधिकारिक राय से नाम बदलकर उत्तराखण्ड कर दिया गया। राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी है। पश्चिम में हिमांचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे राज्य है। सन् 2000 में अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का एक भाग था।

पारंपरिक हिन्दू ग्रंथों और प्राचीन साहित्य में इस क्षेत्र का उल्लेख उत्तराखंड के रूप में किया है। हिन्दी और संस्कृत में उत्तराखण्ड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या भाग होता है। राज्य में हिन्दू धर्म की पवित्रतम् और भारत की सबसे बड़ी नदियों गंगा और यमुना के उदगम स्थल क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री तथा इनके तटों पर बसे वैदिक संस्कृति के कई महत्वपूर्ण तीर्थस्थान है।

उत्तराखंड की भाषाएं: उत्तराखण्ड की भाषाएं पहाड़ी भाषाओं की श्रेणी में आती है। उत्तराखंड में बोली जाने वाली भाषाओं को दो प्रमुख भाषाओं में विभाजित किया जाता है। कुमाऊंनी और गढ़वाली बोली जाती है। इन दोनों भाषाओं में संस्कृत के अनेक शब्दों की उपलब्धता से इन्हें संस्कृत से विकसित समझा जाता है। जौनसारी और भोटिया दो अन्य बोलियां, जनजाति समुदायों द्वारा क्रमशः पश्चिम और उत्तर में बोली जाती है।

गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषा हिन्दी भाषा ही है। गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषा यह राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि एक बोली है। पूरे उत्तराखंड में ज्यादातर इन दो भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है।

मंडल और जिले:- उत्तराखण्ड में 13 जिले हैं जो दो मंडलों में है। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 7 जिले चमोली, उत्तरकाशी, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, टिहरी व रूद्रप्रयाग आते हैं।

कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 6 जिले अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, ऊधमसिंहनगर व नैनीताल आते हैं।

पर्यटन स्थनः- साहसिक और धार्मिक पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे जिम कार्बेट, राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षण क्षेत्र और नैनीताल, अल्मोड़ा, कसौनी, भीमताल, रानीखेत और मसूरी जैसे निकट के पहाड़ी पर्यटन स्थल जो भारत के सर्वाधिक पहचाने जाने वाले पर्यटन स्थलों में है। पर्वतारोहियों के लिए राज्य में कई चोटियां है, जिनमें से नंदादेवी सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड में जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, हिन्दू धर्म के कुछ सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है और हजार वर्षो से भी अधिक समय से तीर्थयात्री मोक्ष और पाप शुद्धिकरण की खोज में यहां आते हैं। हरिद्वार के निकट स्थित ऋषिकेश भारत में योग का एक प्रमुख स्थल है और जो हरिद्वार के साथ मिलकर एक पवित्र हिन्दू तीर्थस्थल है। हरिद्वार में 12 वर्षो में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश, विद. ेश से आये करोड़ों श्रद्वालु भाग लेते हैं। तथापि उत्तराखंड केवल हिन्दुओं के लिए ही तीर्थाटन स्थल नहीं है। हिमालय की गोद में स्थित हेमकुंड साहिब सिखों का तीर्थस्थल है। मठ और उसके बौद्ध स्तूप से यहां तिब्बती बोद्ध धर्म की भी उपस्थिति है।

शिक्षा:- उत्तराखंड के शैक्षणिक संस्थान भारत और विश्वभर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये एशिया के सबसे पुराने अभियांत्रिकी संस्थानों का ग्रह स्थान रहा है जैसे रूड़की का भारतीय प्रोद्योगिकी संसथान और पंतनगर का गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय इनके अलावा विशेष महत्व के अन्य संस्थानों में देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी, इक्फाई विश्वविद्यालय, भारतीय वानिकी संस्थान, पौड़ी स्थित गो. विंद बल्लभ पंत अभियांत्रिकी महाविद्यालय और द्वाराहट स्थित कुमाऊं अभियांत्रिकी महाविद्यालय भी है।

इन सार्वजनिक संस्थानों के अलावा उत्तराखंड में बहुत से निजी संस्थान भी है जैसे ग्राफिक एरा संस्थान, देहरादून प्रोद्योगिकी संस्थान, भारतीय एयर हॉस्टेस अकादमी आदि।

हाल ही के वर्षो में बहुत से निजी संस्थान भी यहां खुले हैं, जिनके कारण उत्तराखण्ड तकनीकी प्रबंधन और अध्यापन शिक्षा के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में उतरा है।

उपसंहार:-अपने मनमोहक परिदृश्यों, सांस्कृतिक समृद्वि और आध्यात्मिक महत्व के साथ उत्तराखंड हिमालय के हृदय में एक सच्चे रत्न के रूप में खड़ा है।

यह एक ऐसा गंतव्य है जहां प्रकृति की भव्यता और मानव आध्यात्मिकता सामजस्यपूर्ण रूप में अस्तित्व मे है जो सुंदरता, परंपरा और भक्ति का एक असाधारण मिश्रण पेश करती है । चाहे आप प्राचीन मंदिरों के महत्व पहाड़ों में रोमांच का या पवित्र गंगा के किनारे ध्यान की शांति तलाश रहे हो। उत्तराखंड आपको खुली बांहों से आकर्षित करता है। यह रहस्यमय भूमि जिसे देवभूमि कहा जाता है उन सभी को मंत्रमुग्ध और प्रेरित करती है जो इसके रहस्यमय आकर्षण का अनुभव करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है।

उत्तराखण्ड के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा

श्रीमती सोनमलता तिवारी

उत्तराखण्ड, भारत का एक राज्य है जो पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ का नाम उत्तराखंड शब्द से लिया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश की उत्तरी धरती को दर्शाता है। यहाँ की वर्तमान दशा पर चर्चा करते हुए, उत्तराखण्ड के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

उत्तराखण्ड का भूगोल उत्तरी भारतीय हिमालय की चोटियों में स्थित है, जिसमें श्रेणीवास, घास के मैदान और गहरे नाले शामिल हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थल दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं।

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण, और नौकरियों पर आधारित है। यहाँ की जनसंख्या का अधिकांश हिमालयी प्रदेशों में ग्रामीण है, जिनकी मुख्य आजीविका कृषि है।

उत्तराखण्ड में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की भी अधिकता है। जिनमें केदारनाथ, बदरीनाथ, यमनोत्री और गंगोत्री शामिल हैं। यहाँ के मेले, पर्वतीय संस्कृति, और लोक संगीत उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विविधता का प्रमुख अंग हैं।

उत्तराखण्ड की राजनीति में भी बदलाव हुआ है। राज्य के विकास को गति देने के लिए नई सरकारी योजनाओं और पहलों की शुरुआत की गई है। इसके अलावा, पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण, और सामाजिक क्षेत्र में भी कई पहलू हैं जिनके विकास के लिए काम किया जा रहा है।

समाप्ति रूप में, उत्तराखण्ड एक विशेष प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता, और अपनी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के साथ एक उत्तम प्रांत है। इसकी वर्तमान दशा में विकास की दिशा में उन्नति की उम्मीद है, जो सभी सामाजिक और आर्थिक वर्गों के लिए लाभकारी हो। उत्तराखंड, भारत का एक छोटा लेकिन रूपरेखित राज्य, हिमालय की गोदी में स्थित है और अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य, और वार्षिक यात्राओं के लिए प्रसिद्ध है।

'भूगोल और पर्यावरण:

उत्तराखंड का स्थान अत्यंत सर्वोत्तम है, जब हम भूगोल की बात करते हैं। इसे देवभूमि या देवताओं की निवास स्थली के रूप में जाना जाता है। यहां प्राकृतिक सौंदर्य, ऊँचे पर्वत शिखर, गहरे घाटियों, और नदियों का समृद्धि से भरा है। यहां की शीतलता, ठंडक और हरियाली लोगों को आकर्षित करती है।

इतिहास और सास्कृतिक विरासत: उत्तराखंड का इतिहास से भरा हुआ है और यह भारतीय सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। यह एक कई साल पुराना क्षेत्र है जिसमें विभिन्न राजाओं और साम्राज्यों ने अपनी छाप छोड़ी है। केदारनाथ, बदरीनाथ, यमुनोत्री, और गंगोत्री जैसे धार्मिक स्थल इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक और तीर्थ स्थल बनाते हैं।

'जनसंख्या और भाषा: उत्तराखंड की जनसंख्या संतुलित है और यहां की आबादी अधिकांश गाँवों में बसी हुई है। कुमाऊं और गढ़वाली जैसी बोली भाषाएं इस क्षेत्र में बोली जाती हैं। यहां की भाषा, साहित्य, और संगीत में स्थानीय विविधता है जो इसे और भी रंगीन बनाती है।

राजनीति और प्रशासन: उत्तराखंड ने अपने अलग राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना के माध्यम से विकास का काम किया है। यह एक विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक सौंदर्य की रक्षा, और स्थानीय विकास को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है।

उपस्थिति और भूगोल:

उत्तराखंड, भारत का एक प्रमुख राज्य है, जो हिमालय की प्रदेश में स्थित है। इसका स्थान भूगोलिक रूप से अद्वितीय है, जिसमें विभिन्न पर्वत श्रृखलों, घाटियों, और नदियों का मेल है। राज्य का क्षेत्रफल लगभग 53,483 वर्ग किलोमीटर है और इसमें विभिन्न जलवायु और वन्यजीवों का समृद्ध है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

उत्तराखंड का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत ही रिच है। यह राजा और महाराजाओं के शासन का एक केंद्र रहा है और इसके क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं।

धार्मिक और तात्कालिक महत्वपूर्ण स्थल:

उत्तराखंड धार्मिक और तात्कालिक दृष्टिकोण से भी प्रमुख है। यहां के धार्मिक स्थलों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, और गंगोत्री शामिल हैं, जो भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के हिस्से हैं।

प्राकृतिक सौंदर्य:

राज्य की प्राकृतिक सौंदर्यशाली वातावरण ने इसे देवभूमि या देवताओं का निवास स्थल कहा जाता है। वन्यजीव, फूल, और बर्फ से युक्त उच्च पर्वत शिखरों का समृद्ध दृश्य यहां के नागरिकों और पर्यटकों को मोहित करता है।

जीवनशैली और सांस्कृतिक विरासत: उत्तराखंड की जीवनशैली स्थानीय लोगों की आत्मा को दर्शाती है और उनकी सांस्कृतिक विरासत बहुत धनी है। यहां की नृत्य, संगीत, और लोक कलाएं इसे विविधता और रिचनेस से भरा हुआ बनाती हैं।

पर्यटन की बढ़ती महत्वपूर्णता:

उत्तराखंड का पर्यटन एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र बना हुआ हुआ है, जो राज्य के विकास में मदद कर उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ सुझाव:

1. पर्यटन को बढ़ावा देना: उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्यता और पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए और आकर्षक बनाने के लिए अधिक उपाय किए जा सकते हैं।
2. कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना: कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार और निवेश करने से उत्तराखंड के कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
3. शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना: उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और उच्च शैक्षिक संस्थानों के विकास से युवाओं को और बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकते हैं।
4. जल संरक्षण और ऊर्जा संयंत्रों में नवाचार: प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उनके सही उपयोग के लिए नए तकनीकी उपाय विकसित किए जा सकते हैं।
5. सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना: स्थानीय सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी योजनाओं को और समर्थन प्रदान किया जा सकता है।

इन सुझावों के माध्यम से, उत्तराखंड को एक उज्जवल भविष्य की दिशा में अग्रसर किया जा सकता है। उत्तराखंड की चुनौतियों के समाधान के लिए कुछ कदम:

1. पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरण संरक्षण के लिए जल संरक्षण कार्यक्रमों, वन्यजीव संरक्षण योजनाओं, और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना।
2. आर्थिक समानता: रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करना, कौशल विकास कार्यक्रमों की शुरुआत करना, और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ावा देना।

समस्याए: जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरू के अवसरों के समान वितरण के लिए नीतियों को मजबूत करना, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का पुनरावलोकन करना।

शेष पृष्ठ 18 पर

अनेक प्राकृतिक आपदाऐं यहां आती रही हैं, फिर भी देव भूमि तठस्थ भाव से नतमस्तक है

सुनंदा असवाल

अपनी चंद पंक्तियों के साथ मैं अपने भाव व्यक्त करना चाहूंगी, पलायन का दर्द और हिमालय में हिमालय क्या कहता है

'ज्ञान मुझे है प्रियवर,'
'तूने क्यों छोड़ दिया है ये घर।'
'ऊंची अट्टालिकाएं सूने बेघर,'
'जिसमें रमते अब निशाचर।'
'सफेद धूल से मलिन दीवार,'
'क्या रखा है उनके भीतर।'
'झांक रही असहाय गरीबी,'
'बेबस पड़े सूने घर।'
'किसी कोने पर सोती खाट चर चर,'
'मैं समझा था तूही लेटा है वहां प्रियवर।'
'ताने है तू है क्यों सीमित चादर,'
'क्यों सोया है भाग्य तेरा ओ! रघुवर ?'
'रो रहा आज दशा पर,'
'पलायन का ले दर्द दर दर।'
'स्वार्थ की भेंट चढ़ा, खोया प्रेम प्रियवर,'
'न कोई मेरे जैसा वहां होगा मित्रवर।'
'अंतस कहता हां! प्रेम है पर्वत से ,'
'मुझे क्यों न हो आखिर, वो मेरा है घर।'
'स्पर्श करती कंदराएं और शीतल बहते निर्झर,'
'करुणा से ढह जाती दीवारें सूने होते जब घर।'

देव भूमि, तेरह जिलों का प्रदेश उत्तराखंड भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग ५३ , ८४३ किलोमीटर, में बीस नदियां हैं ।

'ज्वलंत समस्या और उत्तराखंड का परिवेश:'

उत्तराखंड की दशा आज उस मुहाने पर खड़ी है , जिसे सन् ९ नवंबर २००० में उत्तर प्रदेश से पृथक राज्य का दर्जा मिला। नेताओं ने पृथक राज्य की मांग अपने राज्य के हितों की नींव पर रखकर की, परंतु, आज उत्तराखंड बेरोजगारी की चरम पर है। यह किसी प्राइवेट एजेंसी आंकड़े के हिसाब से, साल २०२१-२२ के हिसाब से ३.९ प्रतिशत की कमी आई है जो आज २०२२-२०२३ में घटकर ५ प्रतिशत दर हो गई है। यह तथ्य कितना सही हैं,यह तो जनसंख्या और रोजगार कार्यालय के आंकड़ों पर निर्धारित होगा। फिलहाल, यह समस्या अभी मुंह बाएं खड़ी है।

पलायन पर मजबूर युवक :

यहां का शिक्षित युवा बेहतर रोजगार की तलाश में अपने गांव से सैकड़ों मील दूर सफर करने के लिए बाध्य हुआ है। गांव में पूरे परिवार के जीवन निर्वाह के लिए वह आज पलायन कर रहा है । जिसके कारण गांव विरान और ध्वस्त हो रहे हैं । उच्च शिक्षा लेने के बाद भी उसे उचित रोजगार नहीं मिल पाता, जिसके बाद उसे यह कदम उठाना पड़ रहा है।

'बेरोजगारी के कारण :'

१) 'स्वरोजगार के अवसर न होना।'
२) 'वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के' 'अनुसार कोई रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता।'
३) 'स्वदेशी कम्पनी या सरकारी संस्था का रोजगार की उपेक्षा।'
४) 'शिक्षित युवा के लिए प्रार्याप्त संसाधनों का अभाव।'
५) 'सरकारी रोजगार योजना से वंचित युवा वर्ग।'
६) 'ग्रामीण इलाके योजनाओं में कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर।'
७) 'रोजगार योजनाओं व नौकरियों के प्रति उदासीनता।'
८) 'युवाओं में जागरूकता का अभाव।'
९) 'राजनीति का युवाओं में घुसपैठ।'
९०) 'दिशाहीन होना, ड्रग शराब आदि हानिकारक पेय का उपयोग।'

'कदम या उपाय:'

सरकार को युवकों के पलायन को रोकने के लिए उनसे सहानुभूति रखनी होगी और उनको स्वरोजगार के लिए आश्वस्त करना होगा । अन्यथा ,एक दिन इसके दूरगामी दुष्परिणाम आएंगे और जब चुनावी प्रचार के लिए नेता गांव से गांव जाएंगे तो उन्हें खंडहर ही खंडहर दिखाई देंगे । वक्त रहते चेतना होगा । गांव का हृदय रुपी युवक ही नहीं होगा तो विकास का संचार कैसे सम्भव हो सकता है? असम्भव ही है। आज चारों ओर ग्रामीण इलाकों में बूढ़े, लाचार व कमजोर दिखाई देते हैं। उत्तराखंड की ग्रामीण इलाकों में शिक्षा नीति लचर सिद्ध हुई है। सबके लिए कमजोर व्यवस्था बाध्य बनी है । उचित और बेहतरीन शिक्षा का अभाव हो रहा है, शिक्षा की कमजोर व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि, वहां के परिवार की ८० प्रतिशत स्त्रियों ने अपने बच्चों के संग शहरों की ओर रुख कर दिया है। उत्तराखंड के सैनिक, अन्य व्यवसाय या नौकरी दूर दराज इलाकों में करते हैं । उनके परिवार के लिए प्रर्याप्त व बेहतर शिक्षा न होने के कारण, वे अपने घरों को खाली कर रहे हैं ।

'समय की मांग:'

गांव में लोगों की मांग है कि ,यहां शिक्षा के लिए उचित संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। ग्रामीण अंचलों से आए दिन ऐसी हृदय विदारक खबरें आ रही हैं कि, गांव खाली होने की कगार मे हैं और वहां पर जंगली जानवरों का डेरा होने लगा है । जो बहुत बड़ी चुनौती है ।

'कृषि के लिये खतरा :'

उत्तराखंड पिछड़े व ग्रामीण अंचलों में खेती करना किसी खतरे को दावत देना है, पहले कभी, जहां दो से तीन बार मेहनत कश महिलाएं अपनी मवेशियों के लिए चारा व इंधन के लिए लकड़ी वन से इकठ्ठा कर ले आती थीं। साथ-साथ में खेती भी करती थीं । परंतु ,आज हालत ऐसे हैं कि, बाघ, जंगली सूअर, बंदरों का खतरा जान के लिए बढ़ गया है। जहां उनका पूरा जीवन कृषि पर निर्भर था आज, उन ग्रामीणों के मवेशियों को बाघ या अन्य जानवर उठा कर ले जाता है तो ,उनके विलाप पर ढांढ़स बंधाने कोई नहीं आता । वे अपने जीवन की दशा से खुद ही दो-दो हाथ कर रहें हैं। न ही उनके पास उन जानवरों से लड़ने के लिए प्रार्याप्त संसाधन् है और न ही हथियार।

मुनाफे का व्यवसाय व रोजगार प्रर्यटन उद्योग:

यहां, पर्यटन स्वरोजगार का सबसे अच्छा जरिया है ।
वन धन संपदा सबसे धनी है। उत्तराखंड में कई ओर्गानिक स्थान घोषित किए हैं, जहां, ओर्गानिक खाद्य का निर्माण होता है। आजकल, साहसिक खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि, भविष्य में इन खेलों को राष्ट्रीय स्तरों की प्रतियोगिता से जोड़ा जा सके।

'उत्तराखंड में रेवेन्यू:'

रेवेन्यू पैसा कितना है, इसके इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्भर करता है। जब पैसा आता है, उसी से एक ढांचे को तैयार किया जाता है। उत्तराखंड में रेवेन्यू सबसे अधिक फॉरेस्ट विभाग से आता है, परंतु ,अब यहां रेवेन्यू निश्चित किया जाता है। यह एक त्रासदी ही है कि, गुजरे वक्त के साथ इन धन संपदा की चोरी होती रही है, लगभग वन सम्पदा के रेवेन्यू से दस गुना अधिक चोरी हो रही है।वक्त चलते इसे बंद करना होगा, इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, यद्यपि ,यहां कोल व मैग्नीशियम माइंस प्रार्याप्त मात्रा में भंडार है।

'माइनिंग व ऊर्जा उत्पाद में रोक :'

वन अधिनियम कानून के तहत कोल माइंस को एन जी पी टी की रोक लगा दी गई है। जब यह रोक नहीं लगी थी ९०.९८ मेगा हट्र्स बिजली पैदा हुई धी ,जब उत्तराखंड राज्य बना नहीं था।
अब हाल यह है कि, कम बिजली उत्पादन की वजह से महंगी बिजली खरीद रहे यूपीसीएल की माली हालत खराब हो गई है,कॉरपोरेशन की कमाई का करीब ८५ % हिस्सा बिजली खरीद में खर्च होने के चलते वित्तीय वर्ष के बीच में आने वाले प्रोजेक्टों को बजट देने पर रोक लगा दी है।

'आत्मनिर्भरता' :

ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड आत्मनिर्भर है । जब वह अलग राज्य बना तब ६० प्रतिशत घर में बिजली थी और आज यह बढ़कर 90 प्रतिशत घर बिजली से रोशन हो गए हैं। वहां इसका उत्पादन एनजीपीटी और यूरो के रोक के कारण आगे नहीं बढ़ सका।
भावी सरकार की चार धाम रेलवे लाइन की परियोजना है, जिसके तहत रेल सेवा अग्रसर वहां तक जोड़ी जाएंगी। जो रेल मार्ग कर्ण प्रयाग से कुमाऊं तक लिंक होगा। पहले जब राज्य बनने से पूर्व मुख्य सड़क २०,००० किलोमीटर सड़क थी और आज ३२,००० किलोमीटर तक है।

'व्यवसाय और जीविका:'

उत्तराखंड की लगभग एक करोड़ बीस लाख आबादी है, यहां आबादी के दुगने प्रर्यटक आते हैं। यहां, विशेषकर किसानी व पशुपालन मुख्य व्यवसाय है । यहां, आजकल होम स्टे का भी प्रचलन बढ़ गया है, जो कि, रोजगार व आय का प्रमुख्य स्रोत है। जो ग्रामीण रोजगार में पर्यटन को बढ़ावा दे रहे है।
उत्तराखंड तेइस वर्ष का तरुण हो गया है। हमारा उत्तराखण्ड सैन्य प्रदेश और वीरों की धरती है। यहां का पुश्तैनी कार्य कृषि ही है।

शेष पृष्ठ 19 पर

उत्तराखण्ड के विभिन्न पहलुओं पर.....

17 **का शेष भाग,** 4. अधिकारिक विकास: आदिवासी और अनुसूचित जातियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए न्यायिक संरचना में सुधार करना, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए उन्हें विकसित करना।

इन समाधानों के लिए सरकार, स्थानीय समुदाय, स्थानीय प्रशासन, और अन्य संगठनों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तराखंड का विकास समृद्ध, सामाजिक रूप से न्यायसंगत, और पर्यावरण के संरक्षण के साथ हो। उत्तराखंड की चुनौतियों के समाधान को और भी सशक्त बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त कदम हो सकते हैं:

5. तकनीकी और आधुनिक योजनाएं: उत्तराखंड में आधुनिक तकनीकी सोल्यूशंस को लागू करना, जैसे कि विद्युत उत्पादन, जल संचयन, और स्वच्छता के क्षेत्र में नवाचारिक योजनाएं।
6. शिक्षा को प्रोत्साहन: उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करना, उच्च शैक्षिक संस्थानों को विकसित करना, और विद्यार्थियों को उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार प्रशिक्षित करना।
7. सामुदायिक सहभागिता: स्थानीय समुदायों को विकास के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल करना, उनके द्वारा विकसित योजनाओं को समर्थन करना और उन्हें संसाधनों का संप्रभावी उपयोग करने के लिए प्रेरित करना।
8. कृषि और ग्रामीण विकास: कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में नए तकनीकों को लागू करना, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, और किसानों को वित्तीय समर्थन प्रदान करना।
9. स्वास्थ्य और जल स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, जल स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता अभियानों को प्रोत्साहित करना, और जनसामान्य को स्वास्थ्य और जल संरक्षण के महत्व को समझाना।

इन कदमों को संभव बनाने के लिए सरकार, स्थानीय अधिकारी, सामाजिक संगठन, और नागरिक समुदायों के सहयोग की आवश्यकता है। इससे उत्तराखंड के विकास को समृद्ध, संतुलित, और सामा. जिक रूप से न्यायसंगत बनाया जा सकता है।

1. शिक्षा: उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण बदलाव की आवश्यकता है। सरकार को प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने, और उत्तराखंड के युवाओं को विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए योजनाओं का विकास करना होगा।
2. स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार की जरूरत है। सरकार को उपयुक्त स्वास्थ्य संरचना के निर्माण, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार, और गांवों और अनुवादी क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कदम उठाने होंगे।
3. पर्यावरण संरक्षण: उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। वन्य जीवन, जलवायु परिवर्तन, और जल संसाधनों का प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए समुदाय को सशक्त करना महत्वपूर्ण है।
4. पर्यटन: पर्यटन उत्तराखंड के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण स्रोत है। स्थानीय समुदायों को प्रोत्साहित करना और पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना होगा।
5. कृषि: स्थानीय कृषि को सुरक्षित करने, उत्पादन को बढ़ाने, और किसानों को तकनीकी ज्ञान और वित्तीय संसाधनों की सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

इन सभी क्षेत्रों में सरकार और समुदाय का साथ मिलकर काम करना होगा ताकि उत्तराखंड को विकास और समृद्धि की दिशा में अग्रसर किया जा सके।

इन सभी समस्याओं का सामना करने के लिए, सरकार और समुदायों को मिलकर कठिनाईयों का सामना करना होगा और सही दिशा में कदम उठाना होगा।

ग्राम-धमंडपुर
पोस्ट ऑफिस- निबुचौड़
(निकट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज घमंडपुर)
कोटद्वार गढ़वाल

पहाड़ों में कृषि व व्यवसाय को उपेक्षित या हेय दृष्टि से देखना भी विकास में बाधक

डॉ. राजेश्वर उनियाल, मुंबई

उत्तराखंड राज्य के वर्तमान और भावी परिदृश्य पर चर्चा करने से पहले हमें उत्तराखंड के पौराणिक महत्व के साथ ही वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, भाषिक, राजनीतिक, आर्थिक, पलायन, पर्यटन एवं पर्यावरणीय आदि स्थिति का संक्षिप्त में अध्ययन करना आवश्यक है, ताकि हम इसका तथ्यात्मक विश्लेषण कर सकें ।

पौराणिक महत्व

पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई थी, तो ब्रहमा जी ने देवताओं के आग्रह पर उत्तराखण्ड की भूमि को देवताओं के लिए सुरक्षित कर दिया था, इसीलिए उत्तराखण्ड को देवभूमि भी कहा जाता है। प्राचीनकाल में यहां ऋषि-मुनि तपस्या किया करते थे । पौराणिक ग्रंथों में ब्रम्हपुराण, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, श्रीमद्भागवत्पुराण, वायुपुराण, अग्निपुराण, नारदीयपुराण, स्कंदपुराण, मारकंडेयपुराण, कूर्मपुराण तथा रामायण और महाभारत महाकाव्यों में मध्य हिमालय क्षेत्र का विस्तृत वर्णन मिलता है।

खण्डा पत्र्च हिमालयस्थ कथिता नैपाल कूर्माचलौ केदारोथ जलंधरोथ रुचिर: काश्मीर संज्ञोन्तिम (स्कन्ध पुराण)

पर्वतों में नगाधिराज हिमालय, शिव के श्वसुर और उमा पार्वती के पिता के रूप में पूजनीय हैं, तो मेरू, मंदर, गंधमादन, गोवर्धन, बिंध्य व अमरकंटक आदि पर्वत आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था को प्रतिबिम्बित करते हैं। मध्य हिमालय क्षेत्र में कामेठ, बंदरपूंछ, त्रिशूल, चौखंभा, नंदा देवी, हर की दून, केदारकांठा आदि हिम शिखर तीर्थ और सौन्दर्य दोनों भावों को एक साथ व्यक्त करते हैं। वस्तुत: सबसे लम्बी और सबसे सुन्दर पर्वत शृंखला इसी खंड में स्थित है।

इन्हीं पर्वतों के अंचलों में ऋषि-मुनियों ने तप करके अनेकों रहस्यों का प्रादुर्भाव किया था।

उत्तराखंड की पावन भूमि हिंदुओं का प्रसिद्ध चारधाम श्रीबद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमनोत्री जैसे तीर्थस्थलों, पंच बद्री, पंच केदार व पंच प्रयाग सहित अनेकों पौराणिक तथा प्राचीन मंदिरों एवं सती स्थलों के कारण पूजनीय है ।

एम. ई. जैकलियर सहित कई विद्वानों के अनुसार भारत संसार का मूल स्थान है। अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि मनुष्य की उत्पत्ति भारत में हुई, तो फिर वह स्थान कौन सा है, जहां से मानव जाति प्रारंभ होती है। जल प्लावन के समय जहां मनु ने हिमालय पर्वत में शरण ली थी, उस स्थान का नाम अल्कापुरी है। कहा जाता है कि मनु की नाव हिमालय के त्रायमाण नामक स्थान तक आई थी, यही त्रायमाण आज का माणा गाँव है, जो कि बदरीनाथ से थोड़ा आगे भारत का प्रथम गांव है। जल प्लावन के बाद धरती पर यही हिमालय पर्वत बचा था। इसीलिए उत्तराखण्ड को सृष्टि का उत्पत्ति स्थल भी कहा गया है। जयशंकर प्रसाद जी ने भी कामायिनी में हिमगिरी को उत्पत्तिस्थली के रूप में प्रस्तुत किया है-

हिमगिरी के उतुंग शिखर पर, बैठ शिला की शीतल छाँह, एक पुरुष भीगे नयनों से, देख रहा था प्रलय प्रवाह ।

वेदों के अनुसार मरीचि, अंगीए, अत्रि, अगस्त्य, भृगु, वशिष्ठ एवं मनु आदि सप्तऋषियों ने जल प्लावन के बाद माणा गांव से ही जीवन प्रारंभ किया था। वेदों में जिन सप्तसिंधुओं का वर्णन किया गया है, वे उत्तराखंड से बहने वाली नदियां हैं, जिनके वैदिक एवं आधुनिक नाम इस प्रकार है।

वैदिक नाम

प्रचलित नाम

शतुदि, सिंधु, अलकनन्दा, श्वेत्या

धोली, रसा सरस्वती, नदांग (सरस्वती),ऋभु,पिंडारका, कुभा, मंदाकिनी, गंगा, परुणि, नयार

सामाजिकी परिवेश

उत्तराखण्ड में पौराणिक व प्राचीनकाल में यक्ष, गंर्धव, किन्नर, दस्यु, किरात, खश, हूण, कुणिंद, नाग व यवन आदि विभिन्न जातियों का तथा विक्रमी सम्वत के बाद चौथी, पांचवी ईस्वी तक इस सम्पूर्ण क्षेत्र में नागों का अधिपत्य रहा। जब बौद्ध धर्म एवं नाथ सम्प्रदाय का विस्तार होने लगा, तो उत्तराखण्ड भी उससे अछूता नहीं रहा। वर्तमान में उत्तराखण्ड के कई क्षेत्रों में इन प्राचीन जातियों के वंशज भोटिया, जाड़, थारु, बोक्सा व जौनसारी जनजा. तियों के रूप में वास कर रही हैं।

2. उत्तराखण्ड के शासकों का वर्णन महाभारत काल से मानते हैं। हालांकि रामायण काल में भी गुरु वशिष्ठ मुनि का किरात वेश में हिमालय क्षेत्र में वास करने का वर्णन मिलता है, परन्तु महाभारत से पहले का इतिहास या साहित्य उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण उत्तराखंड के शासकों का वर्णन महाभारत काल से ही वर्णित किया जाता है। रामायण एवं महाभारत में भी उत्तराखण्ड के जनजीवन का वर्णन मिलता है। सीता माता यहीं सितोन्स्यूं में धरती में समाई थी तथा राजा रघु, हिमालक, किरात, कम्बोज व हूण जातियों का युद्ध, महाभारत युद्ध में गढ़वाल के शक्तिशाली राजा सुबाहु का भाग लेना व जौनसार के राजा विराट की बेटी उत्तरा का अभिमन्यु से विवाह का वर्णन मिलता है। सुबाहू एवं विराट के अलावा तीसरा राजा बाणासुर था। राजा सुबाहू की राजधानी श्रीपुर थी, जिसे आज श्रीनगर गढ़वाल के नाम से जाना जाता है।

यहाँ शक, खस, कत्यूरी, चंद, गोरखा व अंग्रजों ने भी राज किया, लेकिन मुगल यहाँ कभी पैर नहीं पसार सके । कत्यूरियों के पतन के बाद यहाँ गढ़वाल में पवार व कुमाऊँ में चंद वंश ने शासन किया । पवार बाद में शाह कहलाए। सन 1890-1815 तक कुमाऊँ में व 1804 से 1815 तक गढ़वाल में गोरखाओं का अधिपत्य हो गया था। उस दौरान गोरखाओं ने जो अत्याचार किए थे, उसे आज भी लोग गोरख्याणी के नाम से जानते हैं। उसके बाद अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर उत्तराखंड से गोरखों को भगा दिया और बदले में दो-तिहाई उत्तराखण्ड में अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया। शेष एक तिहाई भाग में टिहरी राजा का शासन था, जिसका कि 1949 में भारत में विलय कर इसे उत्तर प्रदेश राज्य का अंग बना दिया गया। बाद में 9 नवम्बर 2000 को कुमाऊँ एवं गढ़वाल मंडल को उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखण्ड राज्य गठित कर दिया गया। मध्य हिमालय में अवस्थित नवगठित उत्तराखण्ड राज्य भारत के 11 हिमालयी राज्यों में से सबसे नया राज्य है। इस राज्य के दो मंडल हैं, जिनके नाम गढ़वाल व कुमाऊँ हैं। हालांकि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र का आधुनिक समाज जिसे अभिजात्य समाज भी कहा जाता है, लगभग एक जैसा ही है, लेकिन प्राचीन समाज, जिसे लोक जातियाँ भी कहा जा सकता है, उनके आचार-विचार व पहनावा आदि में थोड़ा बहुत अन्तर अवश्य देखने को मिलता है।

सांस्कृतिकी परिवेश

उत्तराखण्ड की संस्कृति केवल उत्तराखण्ड तक ही सीमित न रहकर सम्पूर्ण मानव समाज की संस्कृति कहलाती है। यहाँ हरिद्वार में प्रत्येक 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ व 12 वर्ष बाद कुंभ मेला का आयोजन होता है तथा नंदा राजजात नामक 280 किलोमीटर की 20 दिवसीय, विश्व की सबसे लम्बी पदयात्रा भी आयोजित होती है। कैलास मानसरोवर की यात्रा भी यहीं से होकर होती है। इसी के साथ प्राय: समस्त बड़े गांवों में वर्ष में एक बार रामलीला का मंचन भी होता हैं। यहाँ के मुख्य लोक-त्योहारों में फूलदेई, वर्ष प्रतिपदा, मकर संक्राति, नंदादेवी मेला, वैकुंठ चतुर्दशी, गेंद मेला, बिस्सू मेला, देवीधुरा का मेला, नंदादेवी का मेला, बिखौती, भिटोली,

3. हरेला, भैलो, घुघुतिया, चेती का मेला, जौलजीवो का मेला, मानेश्वर का मेला एवं कई छोटे-बड़े मेले आयोजित किए जाते हैं। इसी के साथ नाग पंचमी, गणेश चतुर्थी आदि के साथ यहा रक्षा बंधन, दिपावली, होली, दशहरा आदि राष्ट्रीय त्यौहार भी धमूधाम से मनाए जाते हैं तथा हिंदू धर्म के समस्त 16 संस्कारों को मनाया जाता है।

उपरोक्त सभी तथ्यों की पुष्टि हम लोक-साहित्य की विभिन्न विधाओं अर्थात जागरों, लोक- गीतों, लोक-कथाओं व लोक-गाथाओं के अंतर्गत भी कर सकते हैं। इन्हीं लोक तत्वों के आधार से पता चलता है कि उत्तराखंड की धरती में जहां राजुला जैसी सौंदर्यशाली रुपवती हुई, तो वीरभड माधोसिंह भण्डारी, वीरबाला तीलू रौतेली, जियारानी, मालूशाही तथा कर्णावती जैसी रानी हुई।

भाषायी परिवेश

वेदों की रचना भी उत्तराखण्ड में की गई थी। वेदों की भाषा वैदिकी कही जाती है। वैदिकी में वेदों के छंदात्मक मंत्र रचे गए हैं। उत्तराखंड की समस्त भाषाएं एवं उपबोलियां भी, उसी वैदिक भाषा से निकली है, जिससे ब्रज, अवधी, मगधी, मैथिली, भोजपुरी व ऊर्दू आदि अन्य भारतीय एवं अरबी भाषाएं निकली हैं। इसलिए उत्तराखंड की भाषाएं एक तरह से हिन्दी का ही दूसरा रूप है। श्री हरिराम धस्माना ने वेदमाला पुस्तक में बताया कि आर्य उत्तराखंड के रहने वाले थे एवं उत्तराखंडी संस्कृत से संबंधित है। डा. धीरेन्द्र वर्मा एवं डा. भोलाशंकर व्यास आदि भाषा विशेषज्ञों के मतानुसार उत्तराखंड की उत्पति शोरसैनी से हुई है। परन्तु डा. सुनीति कुमार चटर्जी इनकी उत्पति दरद या खश से मानते हैं। मैक्समुलर ने उत्तराखंडी को प्राकृत भाषा का रूप माना । गढ़वाली गढ़वाल के एवं कुमाऊँनी कुमाऊँ के शासकों की भी भाषा रही ।

प्रारम्भिक लेखक श्री हरिकृष्ण दोर्गादित्ति, श्री हर्षपुरी एवं श्री लीलानंद कोटनाला आदि माने जाते हैं। प्रकाशित रचनाओं में गढ़वाली भाषा में सन् 1892 में लिखित बाईबिल प्रथम कृति मानी जाती है । आरम्भिक काल में कविताएं ही मुख्यत: पाई जाती थी। इस युग में श्री हर्षपुरी की बुरो संग एवं चेतावनी काफी लोकप्रिय हुई थी। गढ़वाली साहित्य का उदय सन् 1905 में प्रकाशित गढ़वाली पत्र से माना जाता है।

गढ़वाली एवं कुमाऊँनी भी हिंदी की पांच क्षेत्रीय भाषाओं एवं 18 बोलियों के अंतर्गत मानी गई हैं। उत्तराखण्ड की बोली-भाषाएं एक तरह से हिन्दी का ही दूसरा रूप है। डॉ. ग्रियर्सन ने सन् 1916 में प्रकाशित भारतीय भाषा का सर्वेक्षण नामक पुस्तक में गढ़वाली भाषा को आठ एवं कुमाऊँनी को तेरह उपबोलियों अर्थात कुल इक्कीस बोलियों में विभाजित किया है। वस्तुत: उत्तराखण्ड की समस्त 22-23 लोक-भाषाएं व 70-75 उप-बोलियां भी संस्कृत के गर्भ से

4. विकसित हुई हिन्दी भाषा के महत्वपूर्ण अंग है। भाषा विन्यास की दृष्टि से देखा जाए तो एक तरह से गढ़वाली कुमाऊँनी भाषाएं हिन्दी साहित्य के विशाल साम्राज्य की ही शाखाएं है। वर्तमान में उत्तराखण्ड की 22-23 मुख्य बोलियों में श्रीनगरी, नागपुरिया, टिहरियाली, राठी, बधाणी, सलाणी, दसौल्या, मांझ-कुम्मैया, जौनसारी, जोहारी, मझकुमैया, दानपुरिया, गंगोली, पछाई, फल्दाकोटी, रौ-चौभैसी, खसपर्जिया, कुमैया, चोगर्खिया, सोरयाली, सीराली व अस्कोटी आदि का समावेश है तथा लगभग प्रत्येक बोली की तीन-चार उप-बोलियां भी हैं।

शेष पृष्ठ 20 पर

अनेक प्राकृतिक आपदाऐं.....

18 का शेष भाग,

उत्तरकाशी जैसी पहाड़ी भौगोलिक स्थिति व उचित तापमान में फूलों की बागवानी की जाती है। जिसे अन्य स्थानों पर निर्यात किया जाता है। यहां के युवकों में पुष्ट भुजबल है। जो यहां की जटिलता का बड़ी धैर्यता के साथ सामना करते हैं।

यहां विदेशी और देशी सैलानियों के बीच, डैम और झीलें मुख्य आकर्षण का केंद्र रही है। इससे प्रर्यटन उन्नत हो रहा है। वह विकास की राह को छू रहा है ।

'प्रदेश का दुर्भाग्य:'

यह एक लाख हेक्टेयर कृषि भूमि बंजर है। दो हजार गांव आबादी शून्य हो गए हैं ।

यहां, पर्यटन को जितना महत्व देना था, उतना नहीं दिया गया है। पर्यटन मंत्रालय केवल २५ करोड़ का है। जिसमें रेवेन्यू उतना नहीं आता परंतु रोजगार अवश्य मिलता है ।

'इसे भौगोलिक स्थिति के अनुसार मुख्यत: चार भागों में विभक्त किया जाता है :'

'१) तराई

२) निम्न

३) मध्य

४) उच्च'

उच्च : बहुत अधिक मात्रा खनिज संपदा प्रकृति से भरपूर मात्रा में भंडार है,अन्य औषधि लगभग ५००० से २०००० तक की कीमत वाली यहां पर मिलती हैं। जो शहर में नहीं मिलती है ।

मध्य पर्वतीय भाग में सब्जियों का अच्छा कारोबार होता रहा है । ओर्गानिक खाद्य द्वारा बेमौसमी सब्जियां भरपूर मात्रा में होती हैं,जिनका खूब निर्यात किया जाता है। जो अच्छी नस्ल की हाइब्रिड होती हैं ,जो स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभप्रद है।

'पहाड़ों का प्रेरित सौंदर्य व सक्षमता :'

कभी-कभी ऊंचे ऊंचे मनोरम पहाड़ों में भूस्खलनों व दैवीय प्रकोप से कंदराएं थर्रा-थर्रा कर कांप उठती हैं, परंतु, उसकी प्रवृत्ति प्रकृति के उस विनाश को अपने में समा लेती हैं ।

अनेक प्राकृतिक आपदाऐं यहां आती रहीं हैं, फिर भी देव भूमि तठस्थ भाव से नतमस्तक है । कठिन से कठिन कहरों को इसने अपने कंधों पर उठा लिया है । यहां का सैनिक अपनी भारत भूमि पर गर्व करता है । देवालय स्थान पर विराजमान होने के कारण यह भूमि देव तुल्य है । कवियों और रचनाकारों ने हमेशा इसे अपनी कहानियों और कविताओं में पिरोया है । तभी तो, लेखकों की कलम इसे स्पर्श करते ही पवित्र और निष्पाप लेखनी की प्रतीक बनी है ।

'ऐसी देव भूमि को मेरा कोटि- कोटि नमन !'

शेष पृष्ठ 19 पर

उदाहरण के लिए श्रीनगरी अगर मुख्य बोली है, तो श्रीनगरी के साथ ही बजरिया, देवप्रयागी व गंगपरिया बोलियां भी श्रीनगरी की उप-बोलियां हैं। इतना ही नहीं, तो पौड़ी व खिसूं क्षेत्र की उपबोलियों में भी काफी अंतर है, जबकि ये सभी श्रीनगरी में ही मानी जाती हैं। इसी प्रकार सलाणी हो या फल्दाकोटी सभी में तीन-चार उप-बोलियां समाहित हैं।

उत्तराखंडी अपनी बोली-भाषाओं की तरह ही हिन्दी से अपनत्व रखते हैं। इतना ही नहीं, तो हिंदी के विकास में उत्तरांचली साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि हम बीसवीं शताब्दी में हिन्दी के विकास में उत्तरांचल की भूमिका को अग्रणी एवं सर्वोपरि श्रेणी में रखें, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिन्दी के पहले डी. लिट. डा. पीताम्बर दत बड़थ्वाल (1933) तथा हिन्दी के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार (1968) से सम्मानित श्री सुमित्रानंदन पंत की जन्म एवं कर्मभूमि इसी उत्तरांचल में है।

भारतेन्दु हरिश्चंद्र जी ने खड़ी बोली में हिंदी गद्य की रचना की थी, जबकि उनके जन्म से लगभग एक सौ वर्ष पूर्व गढ़वाली में गद्य में कालग्यान सम्वत् 1806 (सन 1749) में लिखा गया। इसी प्रकार श्रीधर पाठक से भी लगभग एक सौ वर्ष पहले खड़ी बोली में हिन्दी पद्य के रचयिता श्री लो. ककवि गुमानी दत पंत (सन 1790-1846) से लेकर वर्तमान में उत्तरांचल की गोद में कई ऐसे साहित्यकार हैं, जिनके साहित्यिक अवदान की गाथा का उल्लेख करना अपने आप में परम् सौभाग्य की बात है।

हालांकि वर्तमान में लोक-भाषा के कुछ साहित्यकार गढ़वाली एवं कुमाऊँनी को संविधान की अष्टम अनुसूची में अधिसूचित करने हेतु प्रयासरत हैं, जबकि कुछ विद्यतजन समस्त उत्तराखंड की सांस्कृतिक, भौगोलिक व ऐतिहासिक एकता को बनाए रखने हेतु उत्तराखंडी भाषा की व्युत्पति पर बल दे रहे हैं।

उत्तराखंड के कई राजा कला और साहित्य के बड़े प्रेमी थे। फलत: भूषण, मतिराम, नीलकंठ, रतन कवि आदि ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

उत्तरांचल की पहली पत्रिका समय विनोद को माना जाता है। इसका प्रकाशन सन् 1868 में जसपुर (नैनीताल) में हुआ था। सन् 1901 में गढ़वाल के कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा गढ़वाल यूनियन नामक मासिक समाचार पत्र प्रारंभ किया। इसी के साथ उत्तरांचल के हजारों रचनाकार, कवि व पत्रकार हिन्दी साहित्य की सेवा में जुटे हुए हैं। ऋषियों, मुनियों की जन्म व कर्म स्थली व देवभूमि उत्तरांचल से संस्कृत व आधुनिक हिन्दी का उदय होना तथा गढ़वाली कुमाउँनी व जौनसारी आदि क्षेत्रीय भाषाओं का पनपना इस बात को प्रमाणित करता है कि जब तक उत्तरांचल की धरती से गंगा जमुना की धाराएं प्रवाहित होती रहेंगी, तब तक यहाँ साहित्य की धाराएँ भी फल फूल कर विकसित होती रहेगी ।

सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विष्णु खरे के शब्दों में उत्तरांचल के लोगों ने वर्तमान साहित्य को बहुत कुछ दिया है व गौरवान्वित किया है। हालांकि श्री खरे ने उत्तरांचल के साहित्यकारों के योगदान को वर्तमान तक ही सीमित रखा है, अन्यथा जिस धरती पर वेदों, पुराणों की रचना हुई हो, जिस धरती में महाकवि कालिदास जैसे मनीषियों ने जन्म लिया हो, उस धरती के योगदान का वर्णन वर्तमान की अपेक्षा यदि सदैव में किया जाता, तो ज्यादा उपयुक्त होता ।

सुमित्रानंदन पंत, इलाचंद जोशी, डा. मनोहर श्याम जोशी, शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी, गौरा पंत शिवानी, डा. गोविंद चातक, डा. रमेश चन्द्र शाह, डा. श्याम सिंह शशि, डा. यशोधर मठपाल, ब्रजेन्द्र लाल साह, डा. मुरली मनोहर जोशी, डा. रमेश पोखरियाल निशंक, भक्त दर्शन, डा. शिव प्रसाद डबराल चारण, श्री भजनसिंह सिंह, श्री कन्हैयालाल डंडरियाल, अबोध बंधु बहुगुणा, केशवदास अनुरागी, श्री मोहनलाल बाबुलकर, डा. शिवानंद नौटियाल, देवकी महरा, गोपाल दत भट्ट, मथुरादत मठपाल, भवानी दत्त पंत, मोहन थपलियाल, गिरीश तिवाड़ी गिर्दा, दुर्गेश पंत, राजेन्द्र बोरा, डा. रघुनंदन सिंह टोलिया, जुगल किशोर पेटशाली, एम. डी. अण्डोला, कैप्टन शूरवीर सिंह पवार, डॉ. नंदकिशोर दौडियाल, डॉ. प्रभा पंत व डा. राज. ेश्वर उनियाल आदि हिंदी, गढ़वाली व कुमाऊनी के प्रमुख उत्तराखंडी साहित्यिक स्तंभों में गिने जाते हैं।

आर्थिकी

उत्तराखंड की आर्थिकी मूलत: गांवों पर निर्भर मानी जाती है और गांवों के जीवन का मूल आधार जंगल या वन ही होता है। आज से लगभग दो-तीन शतक पूर्व तक उत्तराखण्ड आर्थिक रुप से समृद्ध क्षेत्र था। यह बात इससे भी प्रमाणित होता है कि भारत के विभिन्न भागों से कई जातियों ने उत्तराखण्ड के अलग-अलग भागों में जाकर वास करना प्रारंभ किया । उस समय तक वहां की आय का मुख्य साधन कृषि कार्य तथा पशुपालन था । उत्तराखण्ड का क्षेत्रफल 53,484 वर्ग किलोमीटर है तथा उत्तराखण्ड राज्य का 88 प्रतिशत भाग पर्वतीय व 12 प्रतिशत भाग मैदानी है। इस सम्पूर्ण भू-भाग को तराई व भावर, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय व उच्च हिमालय में वर्णित किया जा सकता है। उत्तराखण्ड के 63.99 प्रतिशत भू-भाग में वन पाए जाते हैं। भारत की राष्ट्रीय वन नीति के मानक के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में वन 60 प्रतिशत तक होना चाहिए, लेकिन प्रसन्नता की बात है कि उत्तराखण्ड में वन इससे अधिक हैं।

पहाड़ों की प्रकृति का संतुलन भी, तो इन्हीं जंगलों से सुरक्षित रहता है। यहाँ के लोगों का पर्वतों, वन-कंदराओं व नदियों आदि से प्राकृतिक रूपों से जुड़ना स्वाभाविक है। उत्तराखण्ड के लोगों में प्रकृति प्रेम अथाह रूप से भरा हुआ होता है, इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण इससे भी मिलता है कि रामायण काल में जब हनुमानजी जड़ी बूटी लाने के लिए हिमालय का एक टुकड़ा काटकर ले गए, तो इससे प्रकृति प्रेमी चमोली जिला के उस गाँव के वासी हनुमानजी से रुष्ट हो गए और वे आज भी हनुमानजी की पूजा नहीं करते हैं। इसी के साथ जब वनों की अंधाधुंध कटाई होने लगी, तो गौरा देवी नामक ग्रामीण महिला ने ग्रामीणवासियों से पेड़ों से चिपकने का आहवान किया, ताकि पेड़ों को काटने के बचाया जा सके। यही आंदोलन बाद में चिपको आंदोलन के रूप में विश्वविख्यात हुआ।

पलायन

देवभूमि होने के कारण इस राज्य की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहां के लोग आत्मसंतोषी होते थे। वे थोड़ा सा पाकर भी बहुत सुखी जीवन जीते रहे। परन्तु जैसे-जैसे समय बदलता गया, यहां के लोग भी भौतिक सुख की तलाश में महानगरों की ओर पलायन करते गए । अब जब ये लोग साधन संपन्न होकर गांवों में लौटते थे, तो इनकी देखा-देखी अन्य लोगों में भी भौतिक सुख की भूख बढ़ने लगी। इस प्रकार उत्तरांचल के लोग आध्यात्मिक सुख से भौतिक सुख की ओर बढ़ने लगे और जब उन्हें वह सब आसानी से नहीं मिला, जिसको प्राप्त करने के लिए वह प्रयासरत रहा, तो उसका परिणाम निकला संघर्ष और धीरे-धीरे इसी संघर्ष ने उसे आंदोलनों की ओर प्रवृत्त किया ।

परन्तु उत्तराखण्ड में सन 1803 में भयंकर भूकंप आया था। उस भूकंप का प्रभाव मुख्यत: गढ़वाल क्षेत्र में अधिक पड़ा। लगभग 60-70 प्रतिशत लोग भूकंप की चपेट में आकर मर गए थे । प्राकृतिक जलस्त्रोत बंद हो गए। ठीक उसी दौरान गोरखाओं के अत्याचार व कुशासन तथा अंग्रेजों की अदूरदर्शिता के कारण कुछ विकास नहीं हो सका। इन सब कारणों से पहाड़ों में आर्थिक विपन्नता प्रारंभ हो गई ।

अंग्रेजों के राज के बाद व विशेषकर 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता होने लगी। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद तो अंग्रेजों ने सेना में भरती का अभियान सा चला दिया। जगह-जगह सैनिक भर्ती होने लगे। पहाड़ी युवक क्योंकि परिश्रमी होते थे, इसलिए सेना में उनकी मांग ज्यादा होने लगी। अब जो सेना के योग्य थे, वे सेना में भरती होने लगे, बाकी लोगों ने लखनऊ, दिल्ली व मुंबई जैसे शहरों की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ किया। जिसे जो भी काम मिला, उसने उसे ही स्वीकार किया ।

पलायन संपदा

स्वतंत्रता से पहले पहाड़ों में उच्च शिक्षा की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पहले अशिक्षित युवक ही पलायन करते थे।

स्वतंत्रता के बाद अर्धशिक्षित, शिक्षित एवं अब उच्च शिक्षित, प्रशिक्षित व प्रतिभाशाली युवक अधिक पलायन कर रहे हैं। उत्तराखंड से प्रतिभा पलायन के साथ ही नैसर्गिक पलायन व भौतिक पलायन भी हो रहा है। हालांकि हम नैसर्गिक व भौतिक संपदा का पलायन रोक तो नहीं सकते हैं, परंतु हमें उस संपदा का समुचित उपयोग कर उसका पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिए ।

यदि हम उत्तराखण्ड के विकास हेतु पलायन संपदा का उचित प्रबंधन करें, तो इसका अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। उत्तराचंल राज्य हेतु संघर्ष में भी प्रवासी उत्तराखण्डियों ने महत्वपूर्ण व सक्रिय भूमिका निभाई थी। उत्तराखण्ड के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रवासी प्रतिभाओं की हो सकती है। वर्तमान में उत्तराखण्ड की जनसंख्या लगभग 115 लाख है, जिसमें से पहाड़ी अंचल की जनसंख्या लगभग 70-80 लाख तक की है। प्रवासी उत्तराखण्डी भले ही आर्थिक रूप से इतने साधन-सम्पन्न न हों कि वे स्वयं उत्तराखण्ड के विकास में आर्थिक योगदान दे सकें, परन्तु उत्तराखण्ड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटकों को प्रेरित करने, वहां उद्योग-धंधे लगाने हेतु उद्योगपतियों को आवश्यक सहयोग देने तथा वहां के विकास हेतु पूंजी निवेश के प्रति प्रवासी लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

उत्तराखण्ड से पलायन होती जा रही नैसर्गिक, प्राकृतिक, भौतिक व प्रतिभाओं के सर्वेक्षण, रिकार्डिंग तथा समन्वय हेतु एक पृथक पलायन संपदा विभाग का गठन किया जाना चाहिए । यह विभाग मुख्यत: प्रवासी संपदा के साथ उचित संपर्क कर उत्तराखण्ड के विकास हेतु कार्य करे । इससे प्रवासियों को भी सुविधा होगी।

प्राकृतिक संपदा

यह प्रसन्नता की बात है कि अब उत्तराखण्ड में नदियों में जगह-जगह बांध बनाए जा रहे हैं । इसी प्रकार छोटे-छोटे कूलों, जलधाराओं व नहरों आदि में घट या घराट (पनचक्की) आदि बनाकर ग्रामीण विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। नदियों, नहरों को जगह-जगह रोककर उनमें बाड़ा एवं पिंजड़ा मछली पालन भी किया जा सकता है। पहाड़ों में हवा बहुत चलती है । उत्तराखण्ड में जगह-जगह पवन चक्कियां बनाकर विद्युत उत्पादन को नई गति दी जा सकती है। पहाड़ों से जंगलों की अंधाधुंद कटाई कर उन्हें मैदानी क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। इस क्षेत्र में सुदृढ नीति बनाकर पहाड़ों में ही काष्ठकला उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा तथा राज्य सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा । इसी तरह वनस्पति पदार्थों से जड़ी-बूटी उद्योग, जैविक संवर्धन केन्द्रों की स्थापना व परिसंस्करण संयंत्र आदि कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं। इस प्रकार हम समुचित प्रबंध कर इस प्राकृतिक संपदा का भरपूर उपयोग कर सकते हैं।

परंपरागत व्यवसाय

इसी के साथ पहाड़ों के भोले-भाले लोगों के मन मस्तिष्क में कुछ तत्वों द्वारा सुनियोजित ढंग से यह भर दिया गया कि जंगल से लकड़ी घास लाने वाली औरतें या अपनी खेती व पशुपालन करने वाले ग्रामीण लोग अनपढ या गंवार होते हैं। एक ओर मैदानी क्षेत्रों के लोग कृषि को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जबकि पहाड़ों में इस व्यवसाय को उपेक्षित या हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। इस कारण से भी उत्तराखंड के लोगों ने अपने प्राचीन व परंपरागत व्यवसाय को अपनाने की अपेक्षा शहरों में जाकर नौकरी करना उपयुक्त समझा। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोगों के मन में अपनी खेती, पशुपालन, मछली पालन व परंपरागत व्यवसाय को अपनाने के प्रति पुन: आकर्षण उत्पन्न करें। इस संबंध में सरकार को भी आगे बढ़ना होगा तथा घस्यारी (घास काटने वाली) व गोपालक जैसे व्यवसायियों को वित्तीय व सामाजिक सुविधाएँ एवं पुरस्कार आदि देकर प्रोत्साहित करना चाहिए ।

हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उत्तराखंड के लोग पशुपालन एवं कृषि कार्य करते तो हैं, परंतु वे लोग इसे व्यवसाय की अपेक्षा केवल अपने परिवार के भरण-पोषण व जैविक स्वाद हेतु ही उपयोग में लाते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हम उन्हें विक्रय संबंधी वह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ताकि वह इसे व्यावसायिक रूप से अपनाएँ। इस हेतु हम उन्हें गांवों में पंचायती व्यवसाय या सहकारी समितियां बनाकर इनका सामुहिक उत्पादन व पालन हेतु प्रोत्साहित करें। इसी के साथ हमें इस ओर विशेषकर नवपीढी को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें शिक्षा व्यवस्था तथा प्रशिक्षण संस्थानों में कृषि को महत्व देना होगा ।

पर्यटन एवं फिल्मोद्योग

महाकवि कालिदास की जन्मभूमि और अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला की रंग भूमि उत्तराखंड, रंग. मंच और चित्रपट हेतु प्राकृतिक सौंदर्य से भरा अत्यंत उपयुक्त स्थल है। यहाँ मसूरी, कौसानी और नैनीताल जैसे अनेकों पर्यटन स्थल हैं। अगर फिल्मी भाषा में कहा जाए तो हमारा उत्तराखण्डी फिल्म उद्योग प्राकृतिक एवं जनसंपदाओं से भरा हुआ एक सागर-सा है ।

इसी के साथ यदि उत्तराखंड में फिल्म निर्माण का व्यवसाय बढ़ने लगे, तो इससे राज्य के आर्थिक विकास के साथ ही वहाँ के लोक-कलाकारों, तकनीकिशिनों व व्यवसायियों विशेषकर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल सकेगा। वैसे भी हमारी आधुनिक पीढ़ी का एक वर्ग अब फिल्म निर्माण तथा फिल्मोद्योग से जुड़ रहा है। यदि हम उन्हें समुचित सुविधाएं प्रदान करेंगे तो वे इस क्षेत्र में भी अपना व्यवसाय बढ़ा सकेंगे ।

यदि हम उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर समुचित ध्यान दें, तो हम उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बना सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड के आर्थिक विकास हेतु समुचित योजना बनाते एवं उसे क्रियान्वित करने से पहले हमें उत्तराखंड के पौराणिक, प्राचीन, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक व ऐतिहासिक महत्व एवं परंपराओं का भी पूरा-पूरा ध्यान रखना होगा, ताकि सृष्टि का सृजनकर्ता से लेकर समस्त मानव एवं भौतिक व अभौतिक तत्व, देवभूमि उत्तराखंड का सदैव गुणगान कर सकें। विशेषकर वर्तमान में जैसे-जैसे वैश्वीकरण बढ़ता जा रहा है, यहाँ बाहरी तत्वों का आना और बसना बढ़ रहा है। यदि इस ओर समय रहते समुचित ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में इस देव भूमि की पौराणिक व प्राचीन संस्कृति पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें इस दिशा में भी समुचित प्रयास करने होंगे।

uniyalsir@gmail-com
9869116784@8369463319

कैसा राज्य बने उत्तराखण्ड?

उ0प्र0 सरकार द्वारा 1994 में गठित 6 सदस्यीय मंत्रीपषिद की सिफारिशें

रमा शंकर कौशिक
अध्यक्ष, मंत्री परिषद समिति एवं मंत्री, नगर विकार, उ.प्र.
भगवती सिंह
सदस्य, मंत्री परिषद समिति एवं मंत्री, वन विभाग, उ.प्र.
बाबू राम यादव
सदस्य मंत्री परिषद समिति एवं मंत्री, राजस्व विभाग, उ.प्र.
राज बहादुर
सदस्य, मंत्री परिषद समिति एवं मंत्री, समाज कल्याण, उ. प्र.
श्री राम यादव
सदस्य, मंत्री परिषद समिति एवं मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र.
टी. एस. आर. सुब्रमण्यम
सदस्य, मंत्री परिषद समिति एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
आर. एस. टोलिया
संयोजक, मंत्री परिषद समिति एवं सचिव, उत्तराखण्ड विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन

पृथक उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं पर समिति के समक्ष प्रस्तुत्त सुझावों, प्रत्यावे. दनों और विविध सामग्री तथा प्रश्नावली के विश्लेषण एवं समिति के सदस्यों के मध्य गहन विचार-विमर्श के पश्चात, समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित स्तुतियाँ दी जा रही हैं-

1. प्रस्तावित उत्तराखण्ड राज्य की सीमाएँ वर्तमान उत्तराखण्ड के आठ जनपदों (उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, चमोली, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा नैनीताल) की सीमाओं तक सीमित हो। इसमें किसी अन्य क्षेत्र को सम्मिलित करना अथवा किसी क्षेत्र को वर्तमान उत्तराखण्ड की सीमा से बाहर रखना उचित नहीं होगा। इस प्रकार क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखण्ड एक स्वाश्रयी राज्य बनने की क्षमता रखेगा।
2. वर्तमान में उत्तराखण्ड में प्रशासनिक इकाइयों (मण्डल, जनपद, तहसील व विकास खण्ड) का आकार आवश्यकता से अधिक बड़ा है। इन्हें छोटा करने की आवश्यकता है। समिति के विचार में वर्तमान आठ के स्थान पर १४ तक जनपदों का गठन किया जाना चाहिए। नए जनपद कहाँ सृजित हों और उनके अधीन कौन सा क्षेत्र आए, यह निर्णय स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं एवं प्रशासनिक सुविधा के आधार पर लिया जा सकता है। नए जनपदों के सृजन व गठन के अनुरुप अन्य प्रशासनिक इकाइमों का पुनर्गठन भी किया जाना चाहिए।
3. मण्डलों की संख्या वर्तमान में दो है, इसे बढ़ाकर तीन किया जाना चाहिये। तीसरा मण्डल गढ़वाल तथा कुमाऊं मण्डलों के बीच में स्थित हो तथा इसमें चार जनपद रहे। इस प्रकार गढ़वाल व कुमाऊं मण्डलों में पांच-पांच जनपद तथा नये तीसरे मण्डल में चार जनपद रहे।
4. जब उत्तराखण्ड में नए जनपद व अन्य प्रशासनिक इकाइयों का सृजन अथवा पुनर्गठन किया जाए तो यह बात ध्यान में रखी जाए कि प्रशासनिक व्यय अत्यधिक न बढ़े। इसके लिये यह आवश्यक है कि उत्तराखण्ड में जनपद स्तर पर प्रशासनिक ढाँचा प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत विस्तृत न हो तथा क्षेत्र की विशेष भौगोलिक परिस्थियों को देखते हुए इसमें आवश्यक लचीलापन व चुस्ती होनी चाहिए।
5. प्रस्तावित उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी पर्वतीय क्षेत्र में किसी केन्द्रीय स्थल पर बने जहाँ से उत्तराखण्ड के विभिन्न भागों में लगभग समान तौर पर आसानी से पहुंचा जा सके। भविष्य के लिए विस्तार की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह भी आवश्यक है कि जिस स्थान पर राजधानी बनें वहाँ पर्याप्त भूमि व जल भी उपलब्ध हो। राजधानी के लिए स्थान विशेष के चयन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, जिसमें भूगोलविद्, भू-तत्वविदों, राजस्व विभाग के अनुभवी व जानकार अधिकारी, मानव व समाज विज्ञान विशेषज्ञों को सम्मिलति किया जाए। समिति राजधानी के लिए गैरसैंण (चमोली) क्षेत्र को उपयुक्त पाती है।
6. उत्तराखण्ड की राजधानी निर्माण के लिए एक कोष की स्थापना की जाए जिसमें उत्तर प्रदेश और केन्द्र सरकार के अतिरिक्त आम जनता, उद्योग घरानों व नॉन रेजीडेण्ट भारतीयों से भी सहयोग प्राप्त किया जाए।
7. नई राजधानी को हिमालय क्षेत्र के नैसर्गिक तथा सामाजिक आदर्श नगर के रुप में विकसित किया जाए। साँस्कृतिक वातावरण के अनुरुप एक आदर्श नगर के रूप में विकसित किया जाय।
8. समित्ति उत्तराखण्ड के वित्तीय संसाधनों का पूर्ण रूप से आंकलन नहीं कर पाई क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का अभिन्न अंग होने के कारण उत्तराखण्ड के आय और व्यय स्रोतों का अलग से अनुमान लगाना संभव नहीं है। यह समस्या आयोजनेत्तर व्यय के सम्बन्ध में और भी जटिल है। फिर भी समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आय के समस्त स्रोतो की स्थिति देखते हुए उत्तराखण्ड की वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश से बहुत भित्र नहीं होगी। हिमालय क्षेत्र के अन्य राज्यों की भांति उत्तराखण्ड भी विशेष श्रेणी का राज्य होगा। इस कारण इसे भी हिमाचल प्रदेश के स्तर पर ही विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होनी चाहिए।
9. वर्तमान उत्तर प्रदेश की सम्मिलित व अविभाज्य परिसम्पत्तियों में उत्तराखण्ड को उसका अंश मिलना चाहिए। अंश की राशि एवं भुगतान पद्धति का निर्धारण उन्हें सिद्धान्तों पर किया जाए जो पंजाब के बटवारें और हरियाणा, हिमाचल के गठन तथा असम के बंटवारे के फलस्वरूप पूर्वोत्तर राज्यों के गठन के समय अपनाये गये।
10. चूंकि वर्तमान में उत्तराखण्ड में लगभग 19 प्रतिशत भू-भाग राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव विहार तथा बायो स्फीयर रिजर्व के अधीन है जिसके कारण इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगे हैं। अतएव समिति के मत में केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को मुआवजे के रुप में विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए।
11. समिति का यह मत है कि पृथक राज्य बनने के पश्चात उत्तराखण्ड में विकास की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी और विकास की गति भी तीव्र हो जाएगी। यहाँ विकास के लिये पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक व मानव संसाधन उपलब्ध हैं जिनके पूर्ण विकास व पर्यावरण सम्मत दोहन से आर्थिक व वित्तीय संसाधनों में भी वृद्धि होगी जिससे उत्तराखण्ड आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है।
12. उत्तराखण्ड राज्य में विकास की प्रक्रिया को सही मार्गदर्शन और दिशा देना बहुत आवश्यक है ताकि विकास के साथ पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधनों (बन, जल, मृदा, वायु आदि) का भी संरक्षण हो और विकास का लाभ आम लोगों तक पहुँच सके। ऐसा करना केवल क्षेत्र के हो हित में नहीं वरन वृहद राष्ट्रीय हित में भी आवश्यक है। अतएव समिति का मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में एक उच्च स्तरीय विकास परिषद का गठन किया जाए जिसमें वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों व प्रमुख नागरिकों को सदस्य बनाया जाए।
13. उत्तराखण्ड क्षेत्र में ब्रिटिश शासनकाल से आज तक भूमि व्यवस्था तथा सुधार कानूनों की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं रही है। इस समस्या को हल करने के लिए समय-समय पर प्रयास भी किए गए हैं, किन्तु कोई प्रगति नहीं हो पाई है। समिति का मत्त है कि नए राज्य के गठन के साथ इस विषय पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए जो निश्चित समय में उत्तराखण्ड में भूमि व्यवस्था तथा सुधार कानूनों के स्वरुप पर अपनी संस्तुति दे।

विकास की अवधारणाः समिति को सुझाव

चण्डी प्रसाद भट्ट,
दशौली ग्राम स्वराज्य मण्डल गोपेश्वर चमोली

हमारे अब तक के अनुभव है कि विभिन्न क्षेत्रों की भित्र सामाजिक आर्थिक भौगोलिक - सांस्कृतिक स्थितियों के अनुरुप ही यदि नियोजन तथा कार्यान्वयन की व्यवस्था हो तो विकास की अवधारणा को ज्यादा आसानी से व्यवहार में उतारा जा सकता है। स्थानीय संसाधनों का स्थानीय आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरुप उपयोग व विकास स्थानीय परम्पराओं व मानव संसाधनों को ज्यादा पुष्ट करता हैाकल्याणकारी राज्य-व्यवस्था में जनता के समस्त हितों का संरक्षण राज्य करता है। इसलिए राज्य-सत्ता लोगों की आसान पहुँच के भीतर होना आवश्यक है। इसलिये छोटे-छोटे प्रशासनिक इकाइयों की आवश्यकता अक्सर प्रतिपादित की जाती है। सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र की अपनी विशिष्ट स्थितियां हैं जिनका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता हैाहिमालय क्षेत्र तथा मैदानों व शेष देश के विकास की आवश्यकताओं, आकांक्षायें तथा स्थितियां पृथक-पृथक है। पृथक नियोजन-चिन्तन तथा मानक तय किये बिना विकास की अवधारणाओं को व्यवहार में नहीं उतारा जा सकता है। इसी कारण सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र में नियोजन व प्रशासन की क्षेत्रीय स्थितियों के अनुरुप ढालने के लिये अधिकार सम्पन्न राज्यों का निर्माण किया गया। मात्र मध्य हिमालय के गढ़वाल व कुमाऊं को अलग राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया है। इसलिए उत्तराखंड राज्य एक क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता भी है। उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल व कुमायूं के अलावा हरिद्वार जनपद को शामिल किया जाना जरुरी है क्योंकि हरिद्वार गढ़वाल की तीर्थ परम्परा का प्रवेश द्वार है। उत्तराखंड राज्य में कम से कम सोलह जिले होने चाहिए तथा इनका निर्माण वर्तमान जिलों पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून तथा हरिद्वार के अलावा जो सात नये जिले बनाये जायें उनका निर्माण जलागम क्षेत्र के रुप में हो। गढ़वाल में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, पिण्डर तथा कुमायूं में बागेश्वर, चम्पावत, रानीखेत तथा राम नगर नये जिले बनाये जा सकते हैं। कमिश्नरियां भी पुर्नगठित की जानी होंगी। हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी तथा देवप्रयाग के लिये देहरादून मंडल, रामनगर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली तथा पिण्डर जिलों का गढ़वाल मंडल तथा बागेश्वर चम्पावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रानीखेत तथा नैनीताल के लिये नैनीताल मंडल बनाया जाना चाहिए।

शेष पृष्ठ 23 पर

22 **का शेष भाग,**

हमें प्रशासन को विकासोन्मुखी बनाने का प्रयास शुरु करना चाहिए। हमारे विकास खंड विकास की विविध गतिविधियों का संचालन करते हैं, जिनका सम्बन्ध किसान तथा उसके खेतों, खलिहानों से होता है, लेकिन भूमि सम्बन्धी पत्रावलियों के लिए, उसे तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते हैं। मेरा सुझाव है कि जलागम क्षेत्र समीपता तथा संचार सुविधा को आधार बनाते हुए विकास खंड छोटे हों, जहाँ किसी भी गांव से २-३ घंटे में पहुंचा जा सके। इन विकास खंडों में खंड विकास अधिकारी के बजाय क्षेत्रीय विकास एवं प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त हो। उनके अधीन सहायक प्रशासनिक अधिकारी तथा सहायक राजस्व अधिकारी के पद हों, जो क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारी व विकास अधिकारी के निर्देशन में कार्य करें। क्षेत्रीय प्रशासनिक व विकास अधिकारी को तहसीलदार तथा अधिशासी अधिकारी के समस्त अधिकार प्राप्त हो। इस व्यवस्था में तहस. ीलों, तहसीलदारों व परगनाधिकारियों की जरूरत नहीं होगी। ग्रामों में प्रशासन व विकास को समन्वित व सुचार रुप से चलाने के लिये हर ५-७ गांवों के बीच ग्रामीण विकास केन्द्र हो, जिसमें पंचायत प्रशासनिक अधिकारी तथा उसके अधीन कानून व्यवस्था, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य पंचायत। राज, पशु पालन कृषि, उद्यान आदि से सम्बद्ध ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता तथा इनसे संबंधित मगर क्षेत्रों में नगर प्रशासनिक व विकास अधिकारी तथा कानून कयवस्था के लिये पुलिस के यवस्था हो। गांवों में कानून-व्यवस्था का दायित्व पटवारियों पर हो। इनका पद-नाम बदला जा सकता है। ल परजातराखंड में वानिकी अर्थ-व्यवस्था मुख्य आधार हो। लघु जलविद्युत योजनाओं को अंजा कायम की जा सकती है।

जड़ी बूटियों तथा सूखे फलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है तथा इन पर आधारित उत्तराखण्ड को आर्थिक मजबूती दे सकते हैं। आरिराखण्ड को कुछ वर्षों तक केन्द्रीय शासन के अधीन एक स्वायत्तशासी अधिक्रम के रुप में रखा जा सकता है जिसमें नियोजन, प्रशासन व वित्त की पूरी स्वायत्ता हो। एक विधायक की व्यवस्था होनी चाहिए। यहां प्रत्येक जिले से एक सांसद तथा हर दो विकास खंडों से एक विधायक होना चाहिये।

यह सम्मेलन उ.प्र. सरकार द्वारा उठाये गये उन सभी कदमों को इन आठ पर्वतीय जिलों के विकास के लिए अपर्याप्त समझता है जो उ.प्र. सरकार ने इन जिलों के विकास के नाम पर उठाये हैं, और अब विगत १५ सबों की उपेक्षा तथा सतत पिछड़ाव को देखते हुए सम्मेलन पृथक राज्य को ही इन आठ जिलों के समुचित विकास व समृद्धि के लिए एकमात्र हल समझता है।

भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक भूभाग को और वहां के वासियों को वहां के साधनों प्राकृतिक सम्पदा और सामर्थ्य के अनुसार विकास और उन्नति करने के लिए उचित अवसर देने की गारंटी करता है। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व सन् १९४७ में प्रति व्यक्ति औसत आय २६० रु. थी जब कि सम्पूर्ण भारत की प्रति व्यक्ति औसत २४८ रु. थी। आजादी के २५ साल बाद उ. प्र. की प्रति व्यक्ति आय घटकर २५१ रु. करीब रह गई है। जबकि शेष भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय बढ़कर ३२१ रु. हो गई है। इन पर्वतीय जिलों में प्रति व्यक्ति औसत आय शेष उ.प्र. से भी कम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन उत्तरी जिलों में से पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी का विशेष नियोजन सन् १९६० में १२९ मे घटकर सन् १९७१ में ८५ रु., पिथौरागढ़ में १७६ रु. से घटकर १०७ रु. और चमोली में २९४ रु. से घटकर १६४ रु. रह गई है। हमारी आर्थिक उन्नति (?) को यह दशा क्या इस का हमसे तकाजा नहीं करती कि हम कुछ मूल बातों पर गंभीरता से सोचें ? क्या भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आश्वासनों के बावजूद और प्रचुर प्राकृतिक साधन वन सम्पदा होते हुए भी हमारे इस पर्वतीय भूभाग का उचित विकास व उन्नति हो पाई या नहीं, क्या उ.प्र. राज्य आज अपनी ९ करोड़ की आबादी को समुचित प्रशासन, विकास व उत्रति के अवसर प्रदान करने में समर्थ है? क्या यह सच नहीं है कि उ.प्र. इतना बड़ा प्रान्त हो गया है कि उसमें साधारण प्रशासन, कानून व व्यवस्था की दशा भी असंतोषजनक है। त्वरित विकास तथा सजग प्रशासन को दृष्टि से क्या अधिकांश लोग आज यह अनुभव नहीं करने लगे हैं कि उ. प्र. का विभाजन किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है।

यदि उत्तर प्रदेश का विभाजन आवश्यक तथा जन साधारण के हित में है तो हमारे इन आठ पर्वतीय जिलो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी और देहरादून तथा आसपास के भाबर व तराई के हिस्सों का एक अलग प्रदेश के रुप में गठित किया जाता इन आठों जिलों के विकास व उन्नति के लिए क्या और भी आवश्यक नहीं है यदि लोक सभा पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय आदि प्रदेशों का पुनर्गठन कर सकती है तो उत्तर प्रदेश के जन साधारण के हित के लिए उनकी भावनाओं के अनुरुप हमारी लोकसभा उ.प्र. राज्य को भी दो या अधिक भागों में पुनर्गठित नहीं कर सकती है? इसके लिए भारतीय संविधान के प्रथम खण्ड के अनुच्छेद २ और २ में भारतीय लोकसभा को पूर्ण अधिकार दिये गये हैं कि वह आवश्यकतानुसार राज्यों की सीमाओं में परिर्वन करे, नाम में परिवर्तन करें, किसी राज्य के क्षेत्रफल घटाये बढ़ाये और किसी राज्य के क्षेत्रफल को विभक्त करके कोई नया राज्य बनाये आदि। संविधान में दिये गये. लोकसभा के इन अधिकारों को देखने से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं को यह आभास था कि आवश्यकतानुसार भविष्य में राज्यों का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक हो जायेगा। पिछले २० सालों में जो राज्यें में हेर-फेर किये गये, राज्यों का निर्माण किया गया वह इस सच्चाई का जीता जागता सबूत है। इसलिए उपरोक्त आठ पर्वतीय जिलों के शीघ्र व समुचित विकास, उन्नति और सजग प्रशासन की दृष्टि से यदि पृथक राज्य की बात भी जाय तो यह न असंवैधानिक है न देश भक्ति के प्रतिकूल है बल्कि संविधान के अनुकूल और उन्नति, विकास को मूल व स्वाभाविक भावनाओं से ओत-प्रोत है सन् १९४८ में दर आयोग ने:

१. भौगोलिक निरंतरता।
२. वित्तीय आत्म निर्भरता।
३. प्रशासनिक सुविधा।
४. भविष्य में विकास की संभावनायें।

और समान भाषा को एक पृथक राज्य की कसौटी बताया था। स्वयं कांग्रेस र पुनर्गठन पर यह प्रस्ताव पास किया था कि राज्यों के पुर्नगठन पर विचार करते हुए भारत की एकता राष्ट्र को और प्रतिरक्षा संस्कृति और भाषा प्रशासनिक सुविधा वित्तीय, समस्यायें, आर्थिक समोन्नति आदि को दल को राज्यों के ध्यान में रखना चाहिए। चाहिए। पर उल्लिखित कसौटियों पर हम उ.प्र. के इन आठ उत्तरी जिले देहरादून, विरो उत्तरकाशी, पौढ़ी, गढ़वाल, चमोली नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के लिए पष्टथक गाय की पीग को खरा उतार सकते है? निश्चय ही हमारी मांग सभी कगौटियों पर पूर्णता तर्क संगत है और उचित है।

भौगोलिक निरन्तरता

परिस्थितियों स्पष्ट है कि ये आठों जिले भौगोलिक दृष्टि से एक इकाई के रुप में हैं और भौतिक के रहन-सहन की स्थितियों भी सस्थान परिस्थिति निरन्तरता के साथ साथ यह बात भी देखने योग्य हैं कि भारत की सम्पूर्ण उत्तरी सीमा पर बेथल इन अर जिलों के भाग को छोड़कर अन्य सम्पूर्ण भाग पूर्ण राज्य या अर्थपूर्ण राज्य के रुप में विकसित है जिसे पश्चिम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्व में पेघालय, नागालैंड, मणीपुर, त्रिपुरा आदि इसके अलावा मध्य हिमाल्य नेपाल, भूटान व सिक्किम स्वतंत्र राज्य भी हैं। इनमें से भारत के अन्दर के राज्यों की जनसंख्या व क्षेत्रफल को देख तो जम्मू कश्मीर के बाद द्वितीय स्थान हमारे आठ जिलों के इस मध्य हिमाचल भाग (उत्तरांचल) को मिलेगा।

नाम राज्य क्षेत्रफल		जनसंख्या	प्रशासन का कार
१. जम्मू कश्मीर	222870	35,60,976	
२. हिमाचल प्रदेश	55.658	28,04,594	पूर्ण राज्य
३. नेफा (अरुणांचल)	81.436	3,36,558	संघ क्षेत्र
४. मेघालय	13.929	7,63,000	पूर्ण राज्य
५. नागालैंड	16,488	३69,200	पूर्ण राज्य
६. मणीपुर	22,346,	7.80,037	(संघ क्षेत्र पूर्ण राज्य घोषित)
७. त्रिपुरा	१०४५१	11,42,005	(संघ क्षेत्र पूर्ण राज्य घोषित)
८. उ.प्र. के आठ पर्वतीय जिले (उत्तरांचल)	51,106	31,06,254	

इन पर्वतीय जिलों के उचित विकास की आवश्यकता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये हिमालय के मध्य भाग में तिब्बत की सीमा से मिले हुए हैं। वित्तीय आत्मनिर्भरता

यह कसौटी सबसे महत्वपूर्ण है. इसीलिए यह एक आम संथाल पूछा जाता है कि पर्वतीय जिले के कर्मों के जिले हैं क्या पृथक राज्य बनने पर उनकी अर्थव्यवस्था आला निर्भर हो सकेगी? इस प्रश्न का उत्तर है निश्चय ही हो। यदि हमने अपनी प्राकृतिक सम्पदा को पहच. ाना होता तो ष्टायद यह प्रश्न पूछा ही न जाता। हमारे इन आठ जिलों से उ.प्र. सरकार को केवल जंगलात से ही विशुद्ध आय २२ करोड़ रुपया वार्षिक है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि पश्चिमी जर्मनी में इतना ही जंगलात है जितना हमारे इन आठ जिलो में और पश्चिमी जर्मनी जगलात की पैदावार हमारे इन आठ जिलों की पैदावार से ४० गुना अधिक है। तब नि:संदेह ही हमारे जगलात की पैदावार भी बढ़ाई जा सकती है। जिससे हमारे जंगलात की वार्षिक आय यदि चालीस गुना नहीं तो कम से कम इस बोस गुना तो निश्चित ही बढ़ सकेगी। आवश्यकता केवल इस बात की है कि जंगलों की देखभाल अधिक सही हो माल की निक. ासी व देखभाल के लिए अधिक सड़कें हों और जंगलात की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष चोरी रोकी आए। इसके लिए ठेकेदारी पद्धति को समाप्त करना जरूरी होगा क्योंकि उसने जंगलात को चोरी व मजदूरों का शोषण अधिक होता है। जंगलात विभाग स्वयं या मजबूरों की सहकारी समितियों के जरिये माल की निकासी व व्यापार कर सकता है। स्टार पेपर मिल को चीड़ की लकड़ी का जो ठेका दिया गया है और बरेली टरपनटाईन फैक्ट्री को जिस भाव से लोसा दिया जाता है यह सब हमारी खुली लूट के प्रभाव हैं। इनसे हमें बाजार भाव भी नहीं मिलता।

विद्युत

दूसरी हमारी मुख्य सम्पदा जिसका बहुत कम उत्पादन व उपयोग हुआ है वह है विद्युत।

हमारे इन आठ जिलों में इतनी जल धाराये है कि उनका पूरा उपयोग करके उनसे बिजली का उत्पादन किया जाय तो हम अपनी बिजली को पूर्ण आवश्यकता पूरा करने के बाद भी अधिकांश उत्तरी भारत को बिजली देने में समर्थ हो सकते हैं। व्यकि आज स्वयं उत्तर प्रदेश बाहर से बिजली ले रहा है। इस विषय में बिजली निर्माण की जापानी पद्धति को भी अपनाना उचित होगा। सुविधानुसार छोटे-बड़े सभी प्रकार के विद्युत गश्ते के निर्माण को ध्यान में रखना होगा इससे न केवल घरेलू इस्तेमाल के लिये सस्ती बिजली उपलब्ध होगी बल्कि अनेकों छोटे-बड़े कुटीर उद्योगों को निर्माण में मदद मिलेगी साथ ही बिजली की बिक्री से करोड़ो रुपये की वार्षिक आय उपलब्ध हो सकेगी। माथ ही बिजली के अधिकाधिक उपयोग से जीवन के स्तर में अच्छा परिवर्तन हो सकेगा।

फल उद्यान

यहां की अर्थ-व्यवस्था का तीसरा मुख्य आधार फल सेब, आलू व अदरक आदि का उत्पादन हो सकता है। आज हिमाचल प्रदेश में किसानों की खुशहाली का मुख्य आधार सेब ओलू व अदरक की पैदावार है। और इसी पैदावार से व्यापारी वर्ग भी खुशहाल है। हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय ६०० रुपये से अधिक है जबकि सम्पूर्ण भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय ३२१ है और उत्तर प्रदेश में २५१ है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन् १९४७ में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय दो सौ भाठ रुपये थी और पूरे भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय दो सौ अड़तालिस रुपये साल थी। पहाड़ में अधिक से अधिक भूमि को फलों के बगीचों में लाना ही उचित व अधिक लाभदायक है क्योंकि जहां सिंचाई के साधन नहीं है वहां अन्य प्रकार खेती लाभ कर नहीं है। लेकिन यह काम तभी सम्भव हो सकता है जब पहाड़ के किसानों को इस कार्य के लिए उचित आर्थिक व अन्य सहायता और प्रोत्साहन मिले इम सम्बन्ध में हिमांचल प्रदेश सरकार के कदमों का अनुकरण करना आवश्यकीय होगा । हिमांचल प्रदेश सरकार द्वारा वहां किसानों को न केवल फलों के बगीचे स्थापित करने के लिये उचित आर्थिक व अन्य सहायता तथा प्रशिक्षण दिया गया बल्कि वहां की सरकार फलों के पैदावार की उचित संरक्षण और निर्यात के लिए भी उन्हें बहुत बड़ी सुविधा देती है। इसके लिए हिमांचल प्रदेश सरकार द्वारा बड़े-बड़े शहरों में कोल्ड स्टोरेज बनवाये गये हैं और वायुयान द्वारा भी फल निर्यात करने की सुविधायें किसानो को प्राप्त है ठीक इसके विपरीत सन् १९७१ में यहां के फल उत्पादकों। इसीलिए काफी नुकसान हुआ क्योंकि उनको फल संरक्षण की कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी।

खनिज पदार्थ

हमारी अर्थव्यवस्था का एक अन्य आधार हमारे खनिज पदार्थ हो सकते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आठ करोड़ रुपये की लागत से एक सीमेन्ट फैक्ट्री का निर्माण हुआ जो ६०० टन सीमेन्ट प्रतिदिन तैयार करेगी? क्या इसी प्रकार हमारे यहां सीमेन्ट फैक्ट्री नहीं लगायी जा सकती? नि:संदेह हमारे यहां भी चूने का बहुत अच्छा पत्थर प्राप्त होता।अल्मोडा जिले में मेगनासाईट, तांबा आदि अबरक आदि की खाने मौजूद है। लेकर ही सरकार द्वारा ष्टाटाश की फर्म को दे दिया गया है जिससे स्थानीय रोजगार को बेहतरीन चिली भाव खड़िया पाथर का ठेका पिट्टी के भाव पहले ही जयपुर की कर्म को दिया हुआ है हालको बाहर ले जाते है। यहां तांबे कर उद्योग बहुत पुराना है परन्तु वह मृतप्राय है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को यहां के उद्योगों की ओर देखने की फुरसत ही नहीं पदि यहां वालों की अपनी सरकार हो तो अतिरिक्त यहाँ अनेक ऐसे स्थान है यह पता लगता है कि यहां कभी लोहा सोना थांदी का भी उत्पादन होता था।

कुटीर उद्योग

सस्ती बिजली के उत्पादन और फलों तथा जंगलात की पैदावार की मदद से इन जिलों में अमे कुटीर उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। जो निश्चय ही यहाँ की बेकारी, बेरोजगारी और गरीबी को दूर करे सहायक हो सकते हैं। जैसे जाप, चटनी, फल, रस, सोंठ आदि बनाने के कारखाने, कागज, तारपीन का तेल बारनिश, फर्नीचर, स्पोर्ट का सामान, जड़ी-बूटी आदि बनाने के कारखाने। इससे यहां के रोजगार की स्थिति में मजबूत हो सकती है तथा ब्यापार भी बढ़ सकता है। अभी तक हमारे यहां बावड़, चीड़ के गिलटे, लीसा, इमार लकड़ी बाहर भेजी जाती रही है लेकिन पक्का माल बनाने के कोई कारखाने हमारे जिले में नहीं लगाये गये। पी बनाने के उद्योग के लिए कई स्थानों को जलवायु आदर्श है। जैसे रानीखेत, लैन्स डाऊण, अल्मोड़ा, पीपला आदि।

पर्यटन

हमारे इस मध्य हिमालय भाग में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री आदि तीर्थस्थान तो हैं ही से प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर हैं इनके अतिरिक्त सैकड़ों स्थल ऐसे हैं जो पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जा सकते हैं। केन्द्रीय सरकार प्रति वर्ष काफी बड़ी धनराशि पर्यटन विकास के लिए व्यय करती है लेकिन उत्तर प्रदेश की उदात्तौनता के कारण इन जिलों को पर्यटन विकास के लिए बहुत कम या नहीं के बरोबर अंश मिल पाता है । इन जिलों के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, नैनीताल, मंसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा जो पहले से ही कुछ विकसित ह उनमें भी आवास की कमी के कारण केवल बहुत धनी वर्ग ही पर्यटन के लिए आ सकता है। आवश्यकता इस बात को है कि नये स्थलों तक या कम विकसित स्थलों में भी आवागमन व आवास की सुविधायें प्राप्त हों। सरकार की ओर से आवास गृहों का निर्माण हो जो उचित मूल्य पर सैलानियों को प्राप्त हो सके। इसी प्रकार अनेकों अछूते स्थल है जिन्हें पर्यटन की दष्टष्टि से अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है और पर्यटन भी इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अच्छा आधार बन सकता है।

खाद्य सामग्री

आम तौर पर यह शंका रखी जाती है कि पर्वतीय जिले खाद्य सामग्री के उत्पादन में कभी के जिले है लेकिन नैनीताल, कोटद्वार, व देहरादून के तराई भावर के इलाकों में जो इस समय कृषि उत्पादन है वह इस शंका को दूर कर देता है।

दूसरे यदि सिंचाई व कृषि उत्पादन की अन्य बेहतर सुविधायें यहां प्राप्त होती हैं तो यह उत्पादन और भी बढ़ाया जा सकेगा।

प्रशासनिक सुविधाः-

प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से आज हमें अधिक सुविधायें प्राप्त है अथवा इन आठ पर्वतीय जिलों के पृथक राज्य के निर्माण के बाद अधिक सुविधायें प्राप्त होंगी यह कसौटी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा विचारणीय है उत्तर प्रदेश अपने एक लाख बत्तीस हजार एक सौ पचास वर्ग मील के क्षेत्रफल तथा लगभग नौ करोड़ की आबादी सहित आज देश का सबसे बड़ा साथ ही सबसे गरीब प्रदेश है। इसके कुशल प्रशासन (?) की कसौटी यही है कि सबसे बड़े प्रदेश होते हुए भी यह सबसे गरीब है।

यदि उत्तर प्रदेश पूर्णतः पृथक राष्ट्र भी होता तो दुनियां में आठवां राष्ट्र होता लेकिन इतना विशाल प्रदेश प्रधुर साधनों के रहते हुए भी गरीब है। और इस गरीबी का मुख्य कारण यह है कि लखनऊ में केन्द्रीय प्रशासन प्रदेश के सम्पूर्ण भू-भाग को न तो समुचित प्रशामन न हो प्रदेश की जनता की आकांक्षा के अनुरुप विकास एवं नियोजन की सुविधा दे सकता है। इसी लिए यह आज एक आप धारणा है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रशासनिक इकाई बन गया है। पा आई रिपोर्ट (१९९८) में भी सिफारिश की गई थी कि यदि शासन की इकाइयां छोटी और एक रूप होगी तो उशासन की कार्य अधिक सरल होगा। आज यदि प्रदेश के मंत्रियों या सच्चियों के पास कोई विधायक कोई पसरला लेकर आता है तो यही उत्तर मिलता है कि भाई आपका ही जिला तो है नहीं सारा प्रदेश है और ५५ मिले है कहां-कहां देखे।

उत्तर प्रदेश का प्रशासन इसलिए भी हमारे साथ न्याय नहीं कर सकता कि उसके साथ में एक और ४७ जिलों की साढ़े आठ करोड़ जनता की एक सी समस्या और उनके समाधान है और दूसरी ओर पर्वतीय हिस्सों के ये आठ जिले और यहां की करीब ४० लाख की आबादी है जिनको समस्यायें मैदानी भागों से अलग है उनके समाधान भी अलग हैं। दूर स्थित प्रशासनिक केन्द्र से मानों इन जिलों के प्रशासन पर नियंत्रण ही नही रह जाता। उस समय हर समझादार व्यक्ति को लज्जा महसूस होती है जब कोई क्षुब्ध और दुःखो व्यक्ति यह कह बैठता है कि इस आजादी में तो अंग्रेजी राज्य अच्छा था।

ऐसे व्यक्ति के सामने उस समय त्वरित प्रशासनिक सुविधा का ही प्रश्न होता है। प्रशासनिक सुविधा के साथ हो उ.प्र. विधानसभा में हमारे प्रतिनिधत्व का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है निम्नलिखित तालिका को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जम्मू कश्मीर के बाद दूसरे बर में आबादी हमारे इन आठा जिलों की है लेकिल विधानसभा के सदस्य हमारे सबसे कम है।

यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में आबादी का घनत्व हमारे पर्वतीय जिलों को अपे कही अधिक है और हमको भी प्रतिनिधित्व उसी तंजपव में बांधना सरासर अन्याय है। जबकि शेष पर्वतीय धागो में प्रतिनिधित्व २५ से ४५ हजार तक है, इस प्राप्त प्रतिनिधित्व का एक और पहलू भी है, विधानसभा में एक ओर ४०० में अधिक विधायक आठ करोड़ ५० लाख जनता को एक सी समस्यायें और दूसरी तर पर्वतीथ जिलो की ३५-४० लाख जनता और उनके १८-२० विधायक ऐसे ही है जैसे नक्कारखाने में सूती को आवाज नहीं चल सकती। इन जिलों से इमजजमत कमंस के शोर को मुनकर उ.प्र. सरकार ने विकाम होई की स्थापना जरुर का है और सामान्य प्रशासन तथा जनता के विकास को आवश्यकता में वह कहां तक असर डाल सकता है यह अभी अम्पष्ट है क्या विकास बोर्ड की स्थापना के बाद आप लोगों को तहसील व थानों की धांधलियों से निजात मिलेगी: क्या औद्योगिक ऋण चाहने वालों को कानपुर का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा? क्या माध्यमिक स्कूलों को अनुदान के लिए इलाहाबाद के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे?

उ.प्र. सरकार तथा राजस्व परिषद ने इन आठ जिलों में बसो अनुसूचित जातियों तथ हरिजनों की जमीनों की रक्षा के लिए अनेक नियम व कानून बनाये हैं जो थानों व तहसीलों की कृपा से बेअसर हो गये हैं क्या विकास बोर्ड इस मामले में इन लोगों की रक्षा कर सकेगा ? स्पष्ट है कि जब तक केन्द्रीय प्रशासन नजदीक नहीं होता और पूरे प्रशासन में उसकी जागरुक देख रेख नहीं होती तब तक हमारा कोई भवि नहीं है।

श्री सुन्दरलाल बहुगुणा, पर्यावरण-विद

श्री बहुगुणा ने समिति के सदस्यों का आभार व्यक्त किया तथा वर्तमान सरकार को इस कार्य के लिए बधाई दी। श्री बहुगुणा ने यह अवगत कराया कि उन्होंने क्षेत्र का व्यापक भ्रमण एवं अध्ययन किया है। हिमांचल प्रदेश की राज्य समिति से सम्बद्ध रहने के साथ-साथ योजना आयोग के साथ भी वह सम्बद्ध रहे हैं। हिमालय बचाओ आन्दोलन में अग्रणी रहे हैं। सर्व प्रथम उन्होंने यह बताया कि पृथक राज्य के लिए आर्थिक संसाधन क्या होंगे, इस पर विचार किया जाना अति आवश्यक है।

राज्य के सामने विगत वर्षों से दबी हुई जन आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल नहीं होता है तो पृथक राज्य का अस्तित्व ही खतरे में हो सकता है। आर्थिक संसाधनों के विषय पर उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड क्षेत्र के प्रमुख संसाधन वन, खनिज तथा जल हैं। उनका वैज्ञानिक विधि से दोहन कर प्रस्तावित राज्य को आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र बनाया जा सकता है। उन्होंने शराब बन्दी पर विचार व्यक्त किए तथा यह बताया कि शराब के कारण तीर्थ यात्रियों की श्रद्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ-साथ सेना के लिए क्षेत्र से उपयुक्त लोग नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने जंगलों की कटाई एवं खनिज दोहन के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए तथा यह भी बताया कि इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि केन्द्र सरकार १० वर्षों तक पृथक राज्य के व्यय को शत-प्रतिशत वहन करे। इसके बाद ही आर्थिक निर्भरता लायी जा सकेगी।

स्थानीय लोगों को रोजगार न मिलने के कारण क्षेत्रीय युवाओं में असंतोष व्याप्त है तथा उनका पलायन हो रहा है। ऐसी स्थति में स्थानीय लोगों को ही शत-प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे क्षेत्र की उपलब्ध जन शक्ति का पूर्ण उपयोग हो सके तथा क्षेत्रीय संसाधन बढ़े। उन्होंने हिमालय पर वनस्पति कवर बढ़ाया जाना भी आवश्यक बताया। उन्होंने यह भी बताया कि क्षेत्र में कृषि योग्य सिंचित भूमि कम है। ऐसी स्थिति में हिमालय की चोटी पर पानी पहुंचाया जाना चाहिए ताकि वनस्पत्ति उत्पन्न हो तथा साथ ही साथ स्थानीय लोगों को काम उपलब्ध हो सके। पानी का उपयोग बिजली उत्पादन कर निर्यात में किया जा सकता है जैसा कि हिमांचल प्रदेश में किया जा रहा है।

श्री बहुगुणा बड़े बाँध बनाने के पक्ष में नहीं थे। राजधानी के सम्बन्ध में उन्होंने सुझाव दिया कि राजधानी ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ पर समुचित सुविधायें उपलब्ध हों। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि व्यय में कमी लाने हेतु छोटे राज्य के मंत्रियों को भी सीमित सुविधा देने पर विचार किया जाना चाहिए। श्री बहुगुणा ने समिति के समक्ष दो पुस्तकें दी जिसमें पृथक राज्य के विषय में कतिपय विचार व्यक्त किए गए हैं।

श्री बी0 सी0 खण्डूडी, सांसद, पौड़ी क्षेत्र

श्री खण्डूडी ने समिति को अवगत कराया कि पृथक राज्य के विषय पर उनके द्वारा संसद में प्रश्न किया गया है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा नवम्बर, १९९१ में पृथक उत्तराँचल राज्य के विषय पर एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किया गया था। केन्द्र ने प्रस्ताव के सम्बन्ध में कतिपय सूचनायें मांगी थी जिनको वर्ष १९९२ में भेज दिया गया था। इसके उपरान्त कतिपय सूचनायें केन्द्र सरकार द्वारा मांगी गयी थी।

वर्तमान सरकार को पूर्व में किए गए प्रस्ताव को ही आगे बढ़ाना चाहिए। तथा इसके लिए केवल यह प्रस्ताव भेजना आवश्यक है कि पूर्व में प्रेषित किए गए प्रस्ताव से वर्तमान सरकार सैद्धान्तिक रुप से सहमत है। संसाधनों के विषय पर उन्होंने बताया कि कई नये राज्य भी बन चुके हैं जिनमें संसाधन के विषय पर विचार राज्य बनाने के बाद किया गया। वही प्रक्रिया उत्तरांचल राज्य के विषय पर अपनाई जानी चाहिए।

संसाधनों की उपलब्धता के विषय पर उन्होंने यह भी बताया कि झारखण्ड क्षेत्र में प्रचूर संसाधन उपलब्ध हैं परन्तु पृथक राज्य नहीं बनाया जा रहा है। राजस्व मंत्री माननीय श्री बाबूराम यादव ने यह अवगत कराया कि पृथक उत्तराखण्ड राज्य हमारी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में है। इससे यह स्पष्ट है कि हम पृथक उत्तराखण्ड राज्य के पक्षधर है। यहाँ पर केवल आपकी राय जानना चाहते हैं। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि तत्कालीन सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को मात्र एक लाइन का प्रस्ताव भेजा गया था। हमारी मंशा स्पष्ट है तथा हम आपकी पूर्ण राय के साथ केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। हमारी सरकार की मंशा पर अब किसी प्रकार की शंका नहीं की जानी चाहिए तथा पृथक राज्य को राजनैतिक मुददा न बनाने का उन्होंने अनुरोध किया। श्री खण्डूडी ने यह कहा कि प्रस्ताव शीघ्रता से भेजा जाना चाहिए तथा संसाधनों के आधार पर कोई अड़चन उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। पृथक राज्य केवल उत्तराखण्ड के विकास की दृष्टि से बनाया जा रहा है। पृथक राज्य बनाये जाने से पूर्व हिल कैडर के सम्बन्ध में भी विचार कर लिया जाना चाहिए।

श्री हरक सिंह रावत, सदस्य विधान सभा, पौड़ी क्षेत्र

श्री रावत जी ने मंत्री गणों का अभिनन्दन किया तथा अवगत कराया कि धार्मिक दृष्टिकोण से पर्वतीय क्षेत्र को त्रिवेणी कहना उपयुक्त होगा। इस प्रस्तावित राज्य के प्राकृतिक, भौगोलिक एवं धार्मिक इत्यादि रुप का सही उपयोग किया जाय तो यह सबसे सम्पन्न राज्य होगा। उन्होंने अवगत कराया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ५ मार्च, १९९२ को ३५ पृष्ठों की एक रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी थी, गैर सरकारी विधेयक पर मतदान भी हुआ था।

उन्होंने समिति के सदस्यों को धन्यवाद दिया कि उनके द्वारा जो यह शुरुआत की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र के अधिकतर लोग पृथक राज्य चाहते हैं तथा इसका प्रस्ताव शीघ्रता से तैयार किया जाना चाहिए। प्रस्तावित राज्य के स्वरुप के विषय पर उन्होंने मंत्री परिषद के सदस्यों को बताया कि पृथक उत्तरांचल राज्य समय की आवश्यकता है तथा उसे शीघ्र ही बन जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को तीन बिन्दुओं पर प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए। पहले बिन्दु पर पृथक उत्तरांचल राज्य की घोषणा का प्रस्ताव, दूसरे बिन्दु पर परिसीमन आयोग शीघ्र गठन का प्रस्ताव तथा तीसरे बिन्दु पर राजधानी और जिला आदि का प्रस्ताव। पृथक उत्तराखण्ड राज्य के स्वरुप के विषय पर उन्होंने बताया कि इसको पूर्ण वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिए जाने चाहिए तब इसे चाहे कोई भी नाम दिया जाय परिषद अथवा राज्य। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखण्ड एक प्रमुख इकाई है जो मानसरोवर तक (वर्तमान में चीन के अन्तर्गत है) फैला हुआ है। इस इकाई में काशीपुर व रुद्रपुर नहीं आते हैं। इसके आधार पर भारत सरकार को आवश्यक प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए।

श्री प्रीतम सिंह, विधायक, चकरीता क्षेत्र, देहरादून

श्री सिंह ने समिति को अवगत कराया कि पृथक राज्य का विचार स्व० श्री चन्द्र भानु गुप्ता के मुख्य मंत्रित्व काल से किया जा रहा है परन्तु अभी तक पृथक राज्य का गठन नहीं किया जा सका है। हम पृथक राज्य की स्थापना चाहते हैं जो कि इस क्षेत्र के विकास के हित में है। हम सभी सदस्यों का स्वागत करते हैं कि उन्होंने जो शुरुआत की है, यह अच्छी है। पूर्व सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था।

उन्होंने आशा व्यक्त कि केन्द्र सरकार जन भावनाओं के अनुरुप निर्णय लेगी। पृथक राज्य के गठन में केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

श्री राजेन्द्र सिंह, विधायक, मसूरी क्षेत्र, देहरादून

उन्होंने अवगत कराया कि वनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। जिस पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि क्षेत्र से रोजगार के अभाव में नवयुवकों का पलायन हो रहा है जिसको रोकने के लिये आवश्यक होगा क्षेत्र के नवयुवकों के लिए रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराये जांय। उन्होंने यह भी बताया कि क्षेत्र में विपुल सम्पदा उपलब्ध है जिनका समुचित दोहन कर आर्थिक सम्पत्रता लायी जा सकती है। उन्होंने क्षेत्र के बारे में सुझाव दिया कि इसमें हरिद्वार भी सम्मिलित कर लिया जाय। उन्होंने यह भी बताया कि हिल कैडर को अभी तक कड़ाई से लागू नहीं किया गया है जबकि यह उत्तरांचल की आधारशिला है। इस पर समिति के अध्यक्ष ने यह कहा कि माननीय सदस्य बैठक के विषय से हटकर विचार व्यक्त कर रहे हैं।

संसाधनों के विषय पर उन्होंने बताया कि क्षेत्र में वन सम्पदा, जल, उद्यान, पर्यटन इत्यादि के रूप में प्रचुर संसाधन उपलब्ध है। वन इस क्षेत्र की आय का प्रमुख स्रोत है। भारत की प्रमुख नदियों इस क्षेत्र से गुजरती हैं। लघु जल विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली को अन्य प्रदेशों में निर्यात कर आय के स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं। पर्यटन इस क्षेत्र का बहुत बड़ा खजाना है इसके द्वारा क्षेत्र को आर्थिक मजबूती दी जा सकती है। उद्यान के क्षेत्र में यदि सही दिशा में प्रयास किये जाये तो यह बढ़ा आर्थिक स्रोत हो सकता है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि पृथक दिल्ली प्रदेश को घोषणा कर दी गई है और बाकी बातें बाद में निर्धारित की जा रही हैं। दिल्ली की ही भोति केन्द्र सरकार पर यह दबाव डाला जाना चाहिए कि पृथक उत्तराखण्ड राज्य की घोषणा करे।

श्री डी0 पी0 उनियाल, पत्रकार, हिमालय टाइम्स

श्री उनियाल ने अवगत कराया कि केन्द्र सरकार द्वारा क्षेत्र के ८ जिलों के लोगों को वे अधिकार नहीं दिए गए जो कि हिमालय के अन्य राज्यों को दिए गए है। यह बहुत बड़ी विसंगति है तथा भारत सरकार द्वारा दो प्रकार के मापदण्ड अपनाये गये हैं जब कि हिमालय के मध्य क्षेत्र के ८ जिलों को हिमालय के अन्य पूर्वी राज्यों की तुलना में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल में बहुत बड़े है। श्री उनियाल ने यह भी बताया कि आयोजनोत्तर मद में उत्तराखण्ड क्षेत्र में कम धनराशि व्यय हेतु दी जा रही है। इस क्षेत्र के पर्यावरण को बचाने के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

श्री केदार सिंह फोनिया, सदस्य विधान सभा, बदरी-केदार क्षेत्र

श्री फोनिया ने बताया कि इस क्षेत्र में मशरूम, रेशम, जल सम्पदा, वन, दुग्ध विकास इत्यादि की पर्याप्त संभावना उपलब्ध है। श्री सिंह ने यह भी बताया कि क्षेत्र के अधिकारियों का क्षेत्र से लगाव नहीं है। इसे रोकने हेतु तथा पलायन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए। उन्होंने जोरदार शब्दों में पृथक राज्य के गठन के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया।

श्री हरबंस कपूर, विधायक, देहरादून क्षेत्र

श्री कपूर ने पृथक राज्य के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया तथा बताया कि सभी लोग यह चाहते हैं कि पृथक राज्य बने। यह क्षेत्र विपुल संसाधनों से परिपूर्ण है जैसे खनिज, वन, जल आदि।

इन संसाधनों का समुचित दोहन कर आर्थिक सम्पत्रता लायी जा सकती है तथा पृथक राज्य बनाने में कोई कठिनाई नहीं है। श्री कपूर ने अवगत कराया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को पृथक राज्य का प्रस्ताव भेजा था तथा उन्होंने प्रसत्रता व्यक्त की कि वर्तमान सरकार भी पृथक राज्य की पक्षधर है। श्री हरवंश कपूर ने हिल कैडर को प्रभावशाली ढंग से लागू करने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सभी राजनीतिक दल मिलकर केन्द्र सरकार पर यह दबाव डालें कि यह पृथक राज्य के प्रस्ताव को स्वीकार करें। प्रस्तावित राज्य के स्वरुप पर उन्होंने सुझाव दिया कि प्रस्तावित राज्य में हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाय।

श्री इन्द्रमणि बडोनी, भू0 पू0 विधायक, देवप्रयाग

श्री बडोनी ने श्री मुलायम सिंह को धन्यवाद दिया तथा यह कहा कि श्री सिंह एक ऐतिहासिक पुरुष है तथा उन्होनें इस समिति का गठन करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।

श्री बडोनी ने यह भी बताया कि पृथक उत्तराखण्ड राज्य का नाम बहुत पुराना है तथा इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड क्रान्ति दल ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि पृथक उत्तराखण्ड राज्य के गठन के सम्बन्ध में वर्तमान माननीय मंत्री-गण वचनवद्ध हैं।

श्री बडोनी ने सुझाव दिया कि क्षेत्र के नियोजन, क्षेत्रीय संसाधनों का उपयोग भौगोलिक परिप्रेक्ष्य तथा जलवायु के अनुरुप होना चाहिए।

राजधानी के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि कुमाऊँ / गढवाल के मध्य क्षेत्र में स्थित किसी स्थान पर चयन किया जाना चाहिए तथा इसके लिए गैरसैंण अधिक उपयुक्त हैं। उन्होंने कई बुग्यालों का भी उल्लेख किया तथा यह सुझाव दिया कि उनका सौन्दर्यीकरण कर पर्यटन को बढावा दिया जा सकता है। उन्होंने भूमि की चकबन्दी करने का सुझाव दिया। इससे पर्यावरण पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। गैरसैण के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि वहां पर प्रचुर मात्रा में जल तथा समतल भूमि इत्यादि उपलब्ध हैं तथा यह केन्द्र में स्थित है। इसको राजधानी बनाया जाना चाहिए तथा वीर चन्द्र सिह गढ़वाली के नाम पर इसका नाम चन्द्र नगर रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि धन की कोई कमी नहीं है तथा धन की समुचित व्यवस्था की जा सकती है।

श्री रमेश पोखरियाल निशंक विधायक कर्णप्रयाग क्षेत्र

पृथक उत्तराखण्ड राज्य के प्रारूप को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। पृथक उत्तराखण्ड राज्य समय की आवश्यकता है तथा सभी दलों द्वारा मिलकर इसके लिए केन्द्र पर दबाव डाला जाना चाहिए कि वह पृधक राज्य के प्रस्ताव को स्वीकार करें तथा परिसीमन आयोग का गठन कर पृथक राज्य से सम्बन्धित मुदों पर निर्णय लें। उन्होंने यह बताया कि मिजोरम, नागालैण्ड आदि अधिक छोटे राज्य हैं जब कि उत्तरांचल क्षेत्र बहुत बड़ा है। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या उत्तराँचल क्षेत्र में एक जनपद पौड़ी के लगभग बराबर है। उन्होंने क्षेत्रफल एवं जनसंख्या पर आधारित तहसीलों विकास खण्डों तथा ग्राम सभाये आदि बनाने का सुझाव दिया। पर्यावरण के सम्बन्ध में उन्होंने यह बताया कि पर्यावरण को विकास से जोड़कर ही विचार किया जाना चाहिए।

आर्थिक संसाधनों के विषय पर उन्होंने बताया कि विद्युत उत्पादन की प्रचुर संभावनायें है, साथ ही साथ वन, जड़ी-बूटी, पर्यटन, डेरी उद्योग तथा चीन से व्यापार के क्षेत्र में पर्याप्त संभावनायें हैं इन्हें विकसित करने पर बल दिया जाना चाहिए। क्षेत्र के औद्योगिक विकास में हिल्ट्रान, खनिज पदार्थ, पवन ऊर्जा आदि विशेष भूमिका अदा कर सकती है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि प्रथम श्रेणी तक के लिए, हिल कैडर घोषित किया जाना चाहिए तथा उद्यान, कृषि, भूमि संरक्षण आदि विभाग के लिए निदेशक का पद अलग से सृजित किया जाना चाहिए। उन्होंने उत्तराखण्ड विकास विभाग को समस्त वित्तीय अधिकार उपलब्धकराये जाने का भी सुझाव दिया।

श्री सकलचन्द रावत अध्यक्ष जिला परिषद, उत्तरकाशी

श्री रावत ने समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए पृथक राज्य के प्रयास के लिए, धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पृथक राज्य का नाम कोई भी रखा जाय, पृथक राज्य का गठन किया जाना चाहिए। राजधानी के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि राजधानी केन्द्र स्थान पर हो जो पूर्व से विकसित हो ताकि काफी कम खर्च हो। प्रस्तावित राज्य के स्वरुप के विषय में उन्होंने यह सुझाव दिया कि प्रस्तावित राज्य में हरिद्वार जनपद को सम्मिलित किया जाना औचित्य पूर्ण होगा क्योकि हरिद्धार कुमाऊँ तथा गढ़वाल का द्वार है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रशासानिक इकाइयों का गठन जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के आधार पर किया जाना चाहिए। तहसील, जिला, विकास खण्ड का गठन क्षेत्रफल के आधार पर किये जाने का उन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने यह कहा कि छोटे राज्य के गठन से विकास की गति तीव्र होगी जैसा कि हिमाचल प्रदेश में हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि क्षेत्र से नव युवकों का पलायन हो रहा है तथा उनमें रोजगार न मिलने के कारण आक्रोश पैदा हो रहा है। नवयुवकों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सुलभ कराये जायें।

आर्थिक संसाधनों के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि वन, खनिज, फल आदि क्षेत्र के प्रमुख संसाधन है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से वनों को न काटना अधिक उपयोगी है। उन्होंने वनों पर आधारित लघु उद्योग के विकास का सुझाव दिया। वनों पर तमाम प्रकार के लघु उद्योग स्थापित किये जा सकते है जैसे चीड़ की पत्ती पर आधारित उधोग, जड़ी बूटी लीसा आदि। माइक्रो हाइड्रिल पर विशेष बल देने का उन्होंने सुझाव दिया। पहले वे कार्य सम्पन्न किये जाये जो कि राज्य सरकार के आधीन है जैसे हिल कैडर लागू कराना, उत्तराखण्ड विकास विभाग के कार्यालय की पर्वतीय क्षेत्र में स्थापना आदि।

श्री रामचन्द्र उनियाल अध्यक्ष जिला परिषद, चमोली

श्री उनियाल ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया तथा पृथक राज्य के पक्ष में अपने विचार रखे। श्री उनियाल ने यह भी कहा कि पृथक राज्य बनाने से पूर्व यह निर्धारित कर लिया जाना चाहिए कि प्रदेश के वर्तमान आर्थिक संसाधनों में इस क्षेत्र का क्या हिस्सा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार के अधीन ७ जिलों, १० तहसील एवं 16 विकास खण्डों के प्रस्ताव लम्बित हैं। पृथक राज्य से पूर्व इन प्रस्तावों को स्वीकृत हो जाना चाहिए। पृथक राज्य के स्वरूप के विषय में सुझाव दिया कि पूर्व में गढ़वाल राज्य में सहारनपुर, नगीना एवं हरिद्वार सम्मिलित था। प्रस्तावित राज्य में चकरीता से टनकपुर के क्षेत्र को जोड़े जाने का उन्होंने सुझाव दिया ।

श्री सुरेन्द्र सिंह, विधायक, लैन्सडाऊन क्षेत्र

श्री सिंह ने समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए यह बताया कि इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों एवं विकास के नाम के मानक पैदानी क्षेत्रों से भिन्न हैं अत: पृथक राज्य का पूर्ण औचित्य है। स्वरुप के विषय में उन्होंने बताया कि हरिद्वार श्यामपुर, मोटाढाक, बहादराबाद आदि क्षेत्रों की बोलचाल की भाषा एवं रहन सहन एक है अत: इन क्षेत्रों कों प्रस्तावित राज्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए। संसाधनों के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अपार संसाधन उपलब्ध हैं। पर्यटन के सफल विकास द्वारा ही प्रस्तावित राज्य में आर्थिक सम्पन्नता लायी जा सकती है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि उत्तराखण्ड विकास विभाग कतिपय विकास कार्यक्रम जो समाप्त हो गय है, उन्हें बहाल किया जाना चाहिए।

श्री सुन्दरलाल बाबुलकर शास्त्री, भू0 पू0 प्रमुख, क्षेत्र समिति कोट, गढ़वाल

श्री बाबुलकर ने समिति के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए उत्तराखण्ड राज्य गठन की शुरुआत करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखण्ड एक पौराणिक नाम है तथा उसे उत्तराँचल के नाम पर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक क्षेत्र के अनुरुप योजनायें न बन सकने के कारण विकास कार्यों में गति नहीं लायी जा सकी है। उसके कारण ही पृथक राज्य की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्र में चकबन्दी करने का सुझाव दिया तथा यह भी सुझाव दिया कि पृथक राज्य की स्थापना के पूर्व रोजगार परक योजनायें तैयार की जानी चाहिए तथा इस क्षेत्र को केन्द्र शासित किए जाने पर भी विचार किया जा सकता है।।

श्री प्रताप सिंह पुष्पांण, भू0 पू0 विधायक, बद्री-केदार क्षेत्र

श्री पुष्पांण ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया तथा यह सुझाव दिया कि पृथक राज्य की स्थापना के पूर्व यह क्षेत्र केन्द्र शासित प्रदेश के रुप में होना चाहिए। इससे उपयुक्त अधिकारी क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। श्री पुष्पाण ने क्षेत्र में चकबन्दी के पक्ष में अपना मत व्यक्त नहीं किया।

श्री भारत सिंह रावत, भू0 पू0 विधायक, लैन्सडाऊन क्षेत्र

श्री रावत ने कहा कि यह हम लोगों का सौभाग्य है कि पृथक उत्तराखण्ड राज्य के गठन के लिए समिति गठित की गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय जनता पृथक राज्य का औचित्य स्वीकार करती है।उन्होंने छोटी प्रशासनिक इकाइयों के गठन का प्रस्ताव दिया। प्रस्तावित राज्य के स्वरुप के विषय पर उन्होंने सुझाव दिया कि इसमें नजीबाबाद, हरिद्वार बिजनौर, काशीपुर को सम्मिलित किया जाना चाहिए। राजधानी के विषय पर श्री रावत ने यह सुझाव दिया कि कालागढ़ सबसे उपयुक्त स्थान है। अभी इसमें कोई खर्चा नहीं है। वित्तीय संसाधन के विषय पर उन्होंने बताया कि क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर संसाधन उपलब्ध हैं जिनका समुचित दोहन कर राज्य आर्थिक रुप से स्वतंत्र हो सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हिमाचल प्रदेश को मॉडल मानकर इस क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश की भाँति उत्तराखण्ड क्षेत्र बाएबल राज्य नहीं बन सकता है। अत: उन्होंने इस क्षेत्र को केन्द्र शासित प्रदेश के रुप में अपनाये जाने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि उत्तरॉचल विकास विभाग को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार दिये जाने चाहिए।

श्री हरिसिंह राणा, प्रमुख, डुण्डा, उत्तरकाशी

श्री राणा ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया तथा माननीय मुख्य मंत्री जी को पृथक राज्य के विषय पर पहल करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पृथक राज्य की मांग का पूर्ण औचित्य है तथा इसे व्यापक जन-समर्थन प्राप्त है। श्री राणा ने सुझाव दिया कि राज्य बनाने से पूर्व छोटी प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया जाना चाहिए जो कि प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। इससे विकास की गति तीव्र हो सकेगी।

श्री आर. पी. जोशी, अध्यक्ष जिला परिषद नैनीताल

श्री जोशी ने समिति के उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये यह अवगत कराया कि वर्तमान सरकार का यह संकल्प प्रशंसनीय है। छोटे राज्य की मांग वर्तमान उत्तराखण्ड के पिछड़ेपन के कारण ही उठाई जाती है तथा यह मांग बहुत पुरानी है। वृहत्त उत्तराखण्ड में गढवाल- कुमाऊँ से जुडे तराई एवं भाबर क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाना चाहिये। उनकी राय में प्रस्तावित राज्य की राजधानी चन्द्रनगर, गैरसैंण में बनाना उपयुक्त नहीं होगा क्योकि वहां अभी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। उनकी राय में पृथक उत्तराखण्ड निर्माण से पूर्व छोटे-२ जनपदों का निर्माण अति आवश्यक है। जिसकी मांग अनेक क्षेत्रों में की जा रही है। उन्होंने समिति से आग्रह किया कि सर्वप्रथम वे इस मांग को पूर्ण करें। उन्होंने काशीपुर को पृथक जनपद बनाये जाने की मांग की। श्री जोशी ने अवगत कराया कि पृथक उत्तराखण्ड राज्य की धारणा मात्र से ही क्षेत्र का विकास संभव नहीं हैं। पहाडी क्षेत्र में चकबन्दी के बिना विकास संभव नहीं है तथा बिखरे क्षेत्रों में कृषि, बागवानी व डेरी आदि संभव नहीं है।

महेन्द्र पाल सिंह पाल, भूतपूर्व सांसद, नैनीताल

श्री पाल ने अवगत कराया कि प्रस्तावित राज्य का नाम उत्तराखंड ठीक रहेगा तथा इसकी सीमायें वर्तमान ८. जिलों के अलावा इससे लगे क्षेत्र जैसे ठाकुरद्वारा तथा बहेड़ी तक बढ़ायी जाये। श्री पाल के अनुसार प्रस्तावित राज्य की राजधानी गर्मियों में नैनीताल जाड़ों में देहरादून उपयुक्त होगी। राजधानी के लिये रामनगर तथा गैरसैंण आदि क्षेत्र भी उपयुक्त है, इन पर भी विचार किया जा सकता है। प्रस्तावित राज्य को ६० विधान सभा क्षेत्रों में बाँटा जाना उपयुक्त होगा, जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति, वनरावत, रिफ्यूजी तथा सवर्ण जातियों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर तय किया जाना चाहिये। श्रीपाल के अनुसार उत्तराखंड क्षेत्र में जल तथा वन सम्पदा अपार है, जिनके उचित दोहन से वित्तीय संसाधनों की मांग पूरी की जा सकती है। श्री पाल ने मांग की जसवंत सिंह कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार शीघ्र निर्णय ले। पूर्व भा.ज.पा. सरकार द्वारा पृथक उत्तराखंड पर लाया प्रस्ताव भी इनके अनुसार देखा जाना चाहिये।

श्री काशी सिंह ऐरी, विधायक

श्री ऐरों ने पृथक राज्य के पक्ष में अपना मत व्यक्त करते हुए समिति का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने यह कहा कि क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने तथा आर्थिक विकास हेतु पृथक राज्य आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि न केवल देश एवं प्रदेश बल्कि सम्पूर्ण विश्व क्षेत्र के पर्यावरण से प्रभावित होता है। पर्यावरण ऐसा होना चाहिए कि पूरा विश्व सुखी रहे। यह एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। पृथक राज्य का वैज्ञानिक आधार के तथा इसका नियोजन क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुरुप होना चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य बनना देश के हित में है। पस्तावित राज्य के स्वरुप के विषय पर उन्होंने हरिद्वार को सम्मिलित करने, पर बल दिया। उन्होंने यह सुझाव दिया कि पृथक राज्य का ब्लू प्रिंट सब तरह से सम्पूर्ण होना चाहिए ताकि केन्द्र सरकार इसे माने। वर्तमान सरकार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पृथक राज्य बनवाये। यह प्रस्ताव इसी सत्र में लाया जाये तथा इसमें विलम्ब न किया जाय। उन्होंने अन्य नये राज्यों के भी अध्ययन का सुझाव दिया ताकि उस ज्ञान का उपयोग करते हुये प्रस्ताव को स्पेशल केम के रूप में किया जाये। इसके बाद श्री ऐरी ने ममिति के सदस्यों को धन्यवाद दिया।